



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या—1

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या—1

विषय सूची

विवरण		सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राककथन			vii
विहंगावलोकन			ix-xvi
भाग—अ			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के कार्यकलाप			
परिचय			
प्रस्तावना		1-2	1-2
जवाबदेही तन्त्र		3-4	2-3
पीएसयूज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण		5-6	3
उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश		7-9	4-5
भाग—I			
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम			
अध्याय—I			
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप			
परिचय		1.1	7
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन		1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण		1.3	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश		1.4	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता		1.5	9-11
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान		1.6	11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण		1.7-1.8	11-13
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन		1.9-1.19	13-20
उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता		1.20	20-22
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ		1.21	22-23
“यूपीपीटीसीएल द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		1.22	23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपालन कार्यवाही		1.23-1.25	23-24
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली		1.26	24-25
अध्याय-II			
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण			
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड			
“उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा	2.1-2.36	27-52	

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
अध्याय—III		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
ऊर्जा विभाग		
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
राजस्व की परिहार्य हानि	3.1	53-54
लेखापरीक्षा प्रभाव		
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
कम लागू किये गये न्यूनतम प्रभार ₹ 1.15 करोड़ की वसूली	3.2	55
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के ₹ 1.82 करोड़ की वसूली	3.3	55
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड		
शटडाउन प्रभार के ₹ 2.92 करोड़ की वसूली	3.4	56
भाग—II		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)		
अध्याय—IV		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
परिचय	4.1-4.2	57-58
राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	4.3-4.4	58-59
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण	4.5	59
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	4.6	60-61
उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	4.7	61
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	4.8	61-63
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमिकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	4.9	63
अकार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का समापन	4.10	63
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	4.11	63-64
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	4.12-4.23	64-72
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.24-4.25	73-74
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	4.26	74
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	4.27-4.29	74-75
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली	4.30	76
अध्याय—V		
राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
परिवहन विभाग		
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
सेवा करने आरोपित किये जाने के कारण सरकार को हानि	5.1	77-78

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		
परिहार्य ब्याज का भुगतान	5.2	78-79
गलत आरक्षित मूल्य के कारण परिषद को नुकसान	5.3	79-80
ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाना	5.4	80-82
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग		
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
अव्यावसायिक दृष्टिकोण की वजह से कम्पनी को हानि	5.5	83-84
अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण हानि	5.6	84-85
नगर विकास विभाग		
उत्तर प्रदेश जल निगम		
ठेकेदार को कार्य की अतिरिक्त मर्दें उच्चतर दरों पर दी गयीं	5.7	85-87
ठेकेदार को अनुचित लाभ	5.8	87-88
भाग—ब		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं संस्थाएँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)		
अध्याय—VI		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) की कार्य पद्धति		
प्रस्तावना	6.1	89
विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा	6.2	89-90
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	6.3	90
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	6.4	90-91
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही	6.5	91-92
संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति	6.6	92-94
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ	6.7	95
अध्याय—VII		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण		
हाईटेक टाउनशिप नीति	7.1	97
हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ	7.1.1	97-99
अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का न आरोपित किया जाना	7.1.2	99
नगरीय विकास शुल्क का संशोधन और वसूली न किया जाना	7.1.3	100
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का कम लगाया जाना	7.2	100-102
सम्पत्तियों की बिक्री में सरकार के आदेशों का अनुपालन न करना	7.3	102
अनुमन्य फ्लोर एरिया अनुपात के अनुरूप आरक्षित दर निर्धारित न करके विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया	7.3.1	102-103
आरक्षित दर में कार्नर शुल्क को शामिल नहीं करना	7.3.2	103

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
भूखण्डों के विक्रय पर अवस्थापना अधिभार आरोपित नहीं किया जाना	7.3.3	103-105
प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ	7.4	105-106
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग		
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण		
मानचित्रों की स्वीकृति के समय लेबर सेस के आंकलन एवं संग्रहण में विफलता	7.5	107-108
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग		
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण		
परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित न करना	7.6	108-109
परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
नवीनतम वर्ष के अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणाम का सारांश	1.1	111-112
ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक सरकार एवं अन्य द्वारा किये गये निवेश	1.2	113
लेखाओं के बकाया के अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) में किये गए निवेश की स्थिति दिखाने वाला विवरण	1.3	114
2017–18 के दौरान शीर्ष लाभ कमाने/हानि उठाने वाले पीएसयूज का विवरण	1.4	115
2000–2001 से 2017–2018 तक राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के चार उपक्रमों में निवेश की गयी धनराशि	1.5	116
राज्य सरकार द्वारा डिफॉल्टेड ब्याज सहित ऋण को छोड़कर निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्योरा	1.6	117
कम्पनी के विभिन्न विंगों की भूमिका दर्शाता विवरण	2.1	118
2013–14 के प्रारम्भ में उपकेन्द्रों एवं लाइनों की भौतिक स्थिति एवं 2013–14 से 2017–18 के मध्य विस्तार को दर्शाता विवरण	2.2	119
2013–14 से 2017–18 के दौरान नए उपकेन्द्रों के निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के नियोजन की स्थिति को दर्शाता विवरण	2.3	120
निर्माण के एक वर्ष के भीतर अतिभारित नए उपकेन्द्रों से संयोजित भार को दर्शाता विवरण	2.4	121
(अ) अतिभारित 220 केवी उपकेन्द्रों की स्थिति दर्शाता विवरण	2.5	122
(ब) अतिभारित 132 केवी उपकेन्द्रों की स्थिति दर्शाता विवरण	2.5	122-123
निर्माण गतिविधियों से समक्रमिक किए बिना सामग्री की खरीद की स्थिति दर्शाता विवरण	2.6	124-125

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
टीकेसी के माध्यम से खरीदे गए विभिन्न क्षमताओं के परिवर्तकों का विवरण	2.7	126
उपभोक्ता को गलत बिल निर्गत करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता हुआ विवरण	3.1	127-128
बिलों में न्यूनतम प्रभार का प्रावधान न करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता हुआ विवरण	3.2(अ)	129
बिल की गयी धनराशि को उपभोक्ता द्वारा कम सत्यापित करने के कारण राजस्व के नुकसान को दर्शाता हुआ विवरण	3.2(ब)	130
बिल योग्य माँग तथा अधिक माँग पर विचार न करने के कारण बिल की गयी धनराशि में कमी/अधिकता को दर्शाता हुआ विवरण	3.2(स)	131
इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	4.1	132-133
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र से अतिरिक्त) का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं है	4.2	134-137
31 मार्च 2018 को इस अध्याय में शामिल में किये गये राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र से अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	4.3	138-139
31 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के बीच पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	4.4	140-145
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.5	146-147
2000–01 से 2017–18 की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में संचारित किये गये कोष को दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6	148-152
आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण परिषद को हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण	5.1	153
आवश्यकता का निर्धारण किये बिना ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनुमति देने के कारण परिषद के हानि को दर्शाने वाला विवरण	5.2	153
अतिरिक्त मदों के निष्पादन पर किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	5.3	154
अतिरिक्त मदों में नई लकड़ी के प्रयोग पर अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	5.4	155
हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क न लगाने के कारण हानि को दर्शाता हुआ विवरण	7.1	156-157

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
उप्पल चड्ढा हाई-टेक टाउनशिप डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड पर अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क न लगाने को दर्शाता हुआ विवरण	7.2	158
उप्पल चड्ढा हाई-टेक टाउनशिप डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड से नगरीय विकास शुल्क का संशोधन एवं वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण	7.3	159
अनुमन्य एफएआर के अनुसार समूह आवास भूखण्ड के आरक्षित मूल्य को सही से निर्धारित न करने के कारण हुई हानि को दर्शाता विवरण	7.4	160
कार्नर सम्पत्तियों की नीलामी के आरक्षित मूल्य में कार्नर शुल्क न शामिल करने से हुई हानि का विवरण	7.5	161
अवस्थापना अधिभार को आरोपित एवं वसूल नहीं करने के कारण हुई हानि को दर्शाता हुआ विवरण	7.6	162
अवस्थापना अधिभार को आरोपित नहीं करने के कारण हुई हानि को दर्शाता हुआ विवरण	7.7	163-164
वाणिज्यिक भूखण्डों की बिक्री पर अवस्थापना अधिभार आरोपित न किये जाने को दर्शाता हुआ विवरण	7.8	165
ठेकेदार पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की धनराशि आरोपित न किये जाने को दर्शाता हुआ विवरण	7.9	166

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र के विभागों और संस्थाओं एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कम्पनियों और वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है। प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय—समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनियां, मानित कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करता है। इसके अतिरिक्त ये कम्पनियां सीएजी द्वारा किये जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था तत्सम्बंधी अधिनियमों के तहत निर्धारित की जाती है, जिसके तहत ये निगम स्थापित किये गये हैं। सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय—समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं। भाग—अ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप से संबंधित है और भाग—ब उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त सरकारी विभागों और संस्थाओं के क्रियाकलाप से सम्बंधित है।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2017–18 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये एवं गत वर्षों में संज्ञान में आये थे परंतु उनका उल्लेख गत वर्षों के प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2017–18 के बाद की अवधि से सम्बंधित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बंधित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुपालन में ही लेखापरीक्षा की गयी है।

विहंगावलोकन

विंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं। प्रतिवेदन के भाग—अ में पाँच अध्याय हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सामान्य जानकारी, "उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बंधित हैं। प्रतिवेदन के भाग—ब में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त, विभागों एवं संस्थाओं से सम्बंधित सामान्य जानकारी एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के दो अध्याय शामिल हैं।

भाग—अ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं धारा 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। ये वित्तीय विवरण सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

31 मार्च 2018 को, उत्तर प्रदेश में 107 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे, जिसमें 7 सांविधिक निगम एवं 101 सरकारी कम्पनियां (46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सम्मिलित करते हुए) सम्मिलित थीं जो भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत थीं। 31 मार्च 2018 को, 107 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 1,99,807.67 करोड़ था। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान किए गए ₹ 69,554.02 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र ने 85.60 प्रतिशत प्राप्त किया।

अध्याय—I : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,83,202.93 करोड़ था। निवेश में पूँजी 58.25 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 41.75 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.88 प्रतिशत (₹ 9,848.09 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण 87.12 प्रतिशत (₹ 66,636.35 करोड़) था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 18,127.40 करोड़ की समग्र हानि 2017–18 में बढ़कर ₹ 18,534.62 करोड़ हो गई। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के वर्ष 2017–18 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, तीन पीएसयूज ने ₹ 449.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 10 पीएसयूज ने ₹ 18,983.63 करोड़ की हानि उठाई। शेष दो पीएसयूज में सीमान्त लाभ/हानि¹ था।

31 मार्च 2018 को पूँजी निवेश के ₹ 94,157.20 करोड़ के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 1,33,638.98 करोड़ थी। ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से 11 पीएसयूज का निवल मूल्य (₹ –60,616.92 करोड़) 2017–18 के दौरान पूरी तरह से लुप्त हो गया।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुर्नुत्थान ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) एवं डिस्कॉम्स

¹ सर्दन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड : ₹ 682 एवं यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड: ₹ 91,611।

(पूर्वीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल एवं केस्को²) की ओर से उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (30 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं एमओयू के प्रावधानों के आधार पर, डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण (₹ 53,935.06 करोड़) में से, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ का अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल बकाया को 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान अधिग्रहीत किया। इसके अतिरिक्त, जीओयूपी ने भविष्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 409.93 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की।

लेखाओं की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र के कम्पनियों के खातों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान 21 अन्तिमीकृत लेखाओं में से, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने तीन लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की थी। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के तीन लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के 15 दृष्टान्त थे।

अध्याय-II : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लेखापरीक्षा

“उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा

विद्युत पारेषण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्यतः 132 केवी एवं इससे ऊपर, लम्बी दूरी तक ऊर्जा के बहुतायत स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों में सापेक्षतया निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज ऊर्जा में उच्चीकृत किया जाता है। एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर पर उच्चीकृत/निम्नीकृत करने एवं वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) की विद्युत प्रणाली को उत्पादन प्रणाली से संयोजित करने हेतु उपकेन्द्रों की सुविधायें जो कि उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली (पारेषण प्रणाली) का भाग है, प्रयुक्त की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राज्यान्तारिक पारेषण प्रणाली एवं ग्रिड संचालन का प्रबन्धन उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है।

2013–14 से 2017–18 के दौरान किये गये उपकेन्द्र परियोजनाओं के निर्माण/क्षमता वृद्धि के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कम्पनी के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से मार्च 2018 से नवम्बर 2018 के मध्य वर्तमान लेखापरीक्षा की गयी।

कम्पनी की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम्पनी ने पूँजीगत संपत्तियों में ₹ 17,788.43 करोड़ विनियोजित किये। कम्पनी ने 20,045 एमवीए क्षमता के 172 नये उपकेन्द्र बनाये एवं विद्यमान 486 उपकेन्द्रों का 23,638 एमवीए से क्षमता विस्तार किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी की पारेषण क्षमता में 74 प्रतिशत एवं वास्तविक पारेषित ऊर्जा में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.7 से 2.8)

² पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्वीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (एमवीवीएनएल) एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को)।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

परियोजना का नियोजन

- कम्पनी के पास अपनी नियोजन प्रक्रिया के दिशानिर्देशन हेतु कोई परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली (नियमावली) नहीं है। नियमावली नहीं होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में तदर्थ निर्णय लिए गए। परिणामस्वरूप, कुछ उपकेन्द्र उनके स्थापित किये जाने से एक वर्ष के अन्दर ही अतिभारित हो गये, जबकि कुछ मामलों में या तो निष्क्रिय क्षमता सृजित की गई या निर्मित उपकेन्द्र को वाणिज्यिक भार पर नहीं रखा जा सका।

(प्रस्तर 2.13 से 2.14)

अनुबन्ध एवं क्रय प्रबन्धन

- क्रय नीति / अधिप्राप्ति नियमावली और आवधिक क्रय योजना की अनुपस्थिति में, फील्ड इकाइयों द्वारा ₹ 85.26 करोड़ मूल्य के सामग्री की आपूर्ति इन सामग्रियों के प्रत्याशित उपयोग से अत्यधिक पूर्व में प्राप्त की गयी। निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिकता सुनिश्चित किये बिना किये गए क्रय से ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य बोझ पड़ा।

(प्रस्तर 2.15 से 2.16)

- कम्पनी अगामी निविदा में प्राप्त कम दरों का लाभ उठाने में असफल रही। इसके परिणामस्वारूप, ₹ 2.77 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.18)

- कम्पनी एक वर्ष से पाँच वर्षों की अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए ₹ 24.75 करोड़ मूल्य के 15 ट्रांसफार्मरों को न उठाने के लिए चूक करने वाली फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.20)

परियोजनाओं का अधिनिर्णय एवं क्रियान्वयन

- 2013–14 से 2016–17 के मध्य नियोजित 402 उपकेन्द्रों के निर्माण / क्षमता वृद्धि में से, 165 उपकेन्द्रों के निर्माण / क्षमता वृद्धि में 1 से 37 माह का विलम्ब हुआ। विलम्ब के मुख्य कारण समानांतर कार्यों का न किया जाना, भूमि की पहचान एवं अधिग्रहण में विलम्ब, सिविल कार्यों के क्रियान्वयन की अनदेखी एवं फर्मों द्वारा खराब निष्पादन थे। कम्पनी इन अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं की समीक्षा करने एवं इन परियोजनाओं में देरी करने वाली बाधाओं का निराकरण करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.22 से 2.25)

- चार पारेषण परियोजनाओं के प्रकरण में, ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के उपकेन्द्र एवं लाइनें पूर्ण हो गयी थीं किन्तु इन उपकेन्द्रों एवं लाइनों से सम्बंधित घटक अभी भी अपूर्ण थे। परिणामस्वरूप, ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के पूर्ण घटकों पर व्यय, नौ से अठारह माह के मध्य विस्तारित अवधि तक निष्प्रयोज्य पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.37 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.26)

- पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के साथ किए गए अनुबन्ध में कमियों के कारण, कम्पनी पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित ₹ 2,456 करोड़ मूल्य के कार्यों में 12 सप्ताह से 64 सप्ताह के मध्य विस्तारित विलम्ब होने के बावजूद ₹ 215.85 करोड़ की परिसमाप्त हर्जाना की कटौती करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.27)

- ठेकेदार को सामग्री निर्गत करने से पूर्व अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने हेतु तन्त्र विकसित करने में कम्पनी की विफलता के कारण एवं अनुबन्ध के निरस्त होने के पश्चात् तुरंत भण्डार सामग्री को वापस लेने में कम्पनी के स्तर पर निष्क्रियता होने के कारण दोषी टर्नकी ठेकेदारों ने ₹ 31.31 करोड़ मूल्य की सामग्री का गबन किया।

(प्रस्तर 2.28)

- कम्पनी के एक टर्नकी ठेकेदार ने ₹ 1.32 करोड़ के मूल्य की सामग्री की आपूर्ति विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)-II कानपुर को की लेकिन एक ही बिल को दो खण्डों के लिए यानि ईटीडी-II कानपुर एवं ईटीडी-II बाँदा को प्रस्तुत किया। वास्तविक रूप में बिना सामग्री को खण्ड में प्राप्त किये ईटीडी-II बाँदा ने सामग्री की प्राप्ति को प्रलेखित किया एवं भुगतान कर दिया।

(प्रस्तर 2.30)

कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र

- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यों की पॉवर सिस्टम डिवैलपमैंट फंड योजना में औपचारिक स्वीकृति से पूर्व आशय पत्र निर्गत करने के अविवेकी निर्णय के कारण कम्पनी ₹ 69.21 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2.33)

- कम्पनी के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र प्रभावी नहीं था।

(प्रस्तर 2.35)

संस्कृतियों का सारांश:

- कम्पनी के पास परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली होनी चाहिए। इसे भावी आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुए पारेषण परियोजनाओं हेतु दीर्घ अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए।
- कम्पनी की एक क्रय नीति/अधिप्राप्ति नियमावली होनी चाहिए। इसकी अधिप्राप्ति योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समक्रमिक होनी चाहिए। इसको अनुबन्ध के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तन्त्र बनाना चाहिए।
- कम्पनी को परियोजना के समापन में विलम्ब से बचने हेतु इसके क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्त समान्तर क्रियाकलाप प्रारम्भ करने चाहिए। अत्यधिक विलम्बित हुए उपकेन्द्रों के निर्माण के औचित्य की पुर्णवैधता हेतु इसका समीक्षा तन्त्र होना चाहिए। इसे इस तरह की अनुबन्ध की शर्तें बनानी एवं क्रियान्वित करनी चाहिए जिससे कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।
- कम्पनी को अपना कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र सुदृढ़ करना चाहिए। कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग होना चाहिए।

अध्याय-III: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को उजागर करते हैं। इंगित की गयी अनियमितताएँ निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- एक उपभोक्ता को गलत बिलिंग के कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 3.26 करोड़ के राजस्व की हानि सहन करनी पड़ी।

(प्रस्तर 3.1)

- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तीन मामलों में ₹ 5.89 करोड़ की राजस्व की वसूली की।

(प्रस्तर 3.2, 3.3 एवं 3.4)

अध्याय-IV: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश में 92 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे इनमें 49 कार्यरत पीएसयूज (43 कार्यरत कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम) एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) सम्मिलित थे। 92 राज्य पीएसयूज में से, 21 पीएसयूज जो कार्यरत थे एवं जिन्होंने 2015–16 या बाद की अवधि तक अपने लेखे तैयार कर लिए थे, को विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के लिए चुना गया था। अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 21 पीएसयूज ने 2017–18 के दौरान ₹ 7,725.28 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.56 प्रतिशत के बराबर था।

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक इन 21 पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 9,407.26 करोड़ (पूँजी ₹ 4,495.12 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण ₹ 4,912.14 करोड़) था। निवेश में पूँजी 47.78 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 52.22 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 34.51 प्रतिशत (₹ 1,694.98 करोड़) था जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 65.49 प्रतिशत (₹ 3,217.16 करोड़) केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

इस अध्याय में शामिल किए गए 21 राज्य पीएसयूज में से 16 पीएसयूज ने (₹ 423.52 करोड़) का लाभ कमाया, इन पीएसयूज को लाभ या तो एकाधिकारी का फायदा या निश्चित स्रोत से आय जैसे बजटीय सहायता, सेन्टरेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि के कारण है। वर्ष 2017–18 में शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियां उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 158.95 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (₹ 51.23 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (₹ 38.73 करोड़) थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान पाँच पीएसयूज द्वारा उठायी गयी कुल हानि ₹ 56.58 करोड़ में से ₹ 30.54 करोड़ की हानि एकाधिकारी क्षेत्र की तीन पीएसयूज ने उठायी थीं जबकि ये खुली बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं थीं।

आगे 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यरत दो पीएसयूज³ ने ₹ 26.04 करोड़ की हानि उठायी। इन पीएसयूज ने 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लगातार हानि उठायी एवं इनकी संचित हानि 2015–16 के ₹ 618.63 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 630.32 करोड़ हो गयी। इन दोनों पीएसयूज के निवल मूल्य का पूर्ण क्षण उनकी संचित हानि से हो गया था एवं 31 मार्च 2018 को इनमें पूँजी निवेश ₹ 228.82 करोड़ के विरुद्ध इनका निवल मूल्य (–) ₹ 401.50 करोड़ था। यह इन पीएसयूज की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिये गये कार्यरत पीएसयूज के 33 लेखाओं में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर क्वालीफाईड राय प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने प्रतिकूल प्रतिवेदन दिये थे। 22 लेखाओं में लेखाकंन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 69 मामले थे। सीएजी ने भी पाँच लेखाओं यथा अपट्रॉन

³ उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू पी. लिमिटेड।

पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (2016–17), श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड (2016–17), इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (2014–15), उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लिमिटेड (2016–17) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2013–14) में प्रतिकूल प्रमाण–पत्र निर्गत किए थे।

लेखाओं का बकाया एवं समाप्त

49 कार्यरत पीएसयूज में से केवल पाँच पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 के लेखे प्रस्तुत किये हैं। 30 सितंबर 2018 को 44 कार्यरत पीएसयूज के 191 लेखे बकाया थे। 43 अकार्यरत पीएसयूज में से 41 पीएसयूज के 627 लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयूज के समाप्त के सम्बंध में उचित निर्णय लेना चाहिये।

अध्याय–V: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के प्रबन्धन की कमियों को उजागर करते हैं। इंगित अनियमिताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

- उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम ने सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में एसी बसों के यात्रियों पर सेवा कर न आरोपित किया और न वसूल जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹ 18.31 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.1)

- निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को आवंटियों को ₹ 11.38 करोड़ की परिहार्य क्षतिपूर्ति देनी पड़ी।

(प्रस्तर 5.2)

- भूखण्डों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ₹ 2.27 करोड़ से वंचित रहा।

(प्रस्तर 5.3)

- उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के विरुद्ध तथा आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ठेकेदार को ₹ 40.86 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को ब्याज के रूप ₹ 1.50 करोड़ की धनराशि की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.4)

- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बिना अनुबन्ध किये भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव शुरू किया परिणामस्वरूप अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने की वजह से ₹ 6.49 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.5)

- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अनुपयुक्त भूमि का चयन किया एवं नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी होने के कारण मुआवजे की संशोधित उच्च दरों की अनदेखी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.92 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.6)

- उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा टिम्बरिंग के कार्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन उच्चतर दरों पर किये जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.05 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 5.7)

- उत्तर प्रदेश जल निगम ने अस्वीकार्य वृद्धि की अनुमति देकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 4.09 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.8)

भाग—ब आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं संस्थाएँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय—VI: परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार के अठारह विभाग आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015-16	2016-17	2017-18
ऊर्जा	48,218.81	33,976.69 ⁴	17,265.50 ⁵
अवस्थापाना एवं औद्योगिक विकास विभाग	3,080.27	6,296.11 ⁶	1,740.56 ⁷
आवास एवं शहरी नियोजन	2,213.97	2,888.06	723.39 ⁸
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,495.16	2,721.56	2,987.80
वन	840.46	1,231.72	808.21 ⁹

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

(प्रस्तर 6.2)

अध्याय—VII: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों और संस्थाओं के प्रबन्धन में कमियों को उजागर करने वाले अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनके गंभीर वित्तीय निहितार्थ हैं, को इस अध्याय में शामिल किया गया है। इंगित की गयी अनियमितताएँ इस प्रकार हैं।

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाये बिना महायोजना में इंगित भू—उपयोग में परिवर्तन करके विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लागत पर हाई—टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को ₹ 572.48 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 7.1.1)

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शुद्ध क्षेत्रफल में वृद्धि पर अतिरिक्त भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हाई—टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं के पक्ष में अनुचित लाभ, बल्कि प्राधिकरण को ₹ 6.83 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

(प्रस्तर 7.1.2)

⁴ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिए 2015–16 में ₹ 24,232.47 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 14,801.29 करोड़ व्यय किये गये।

⁵ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सम्बिंदी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

⁶ पूर्वान्वय एक्सप्रेसवे के लिए 2016–17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

⁷ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

⁸ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय; शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

⁹ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः गानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रचलित लागत सूचकांक के आधार पर नगर विकास शुल्क में संशोधन और इसकी वसूली करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.91 करोड़ का नुकसान हुआ।

(प्रस्तर 7.1.3)

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पुलिस सिटी सहकारी समिति पर ₹ 10.91 करोड़ का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क कम लगाया।

(प्रस्तर 7.2)

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्तियों की लागत के लिए आदर्श दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अनुमन्य फ्लोर एरिया अनुपात के अनुसार सामूहिक आवासीय भूखण्डों की आरक्षित दर निर्धारित करने में विफलता के कारण ₹ 70.73 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 7.3.1)

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर कार्नर की सम्पत्ति की नीलामी हेतु आरक्षित दरों में कार्नर शुल्क शामिल न करने से ₹ 10.74 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 7.3.2)

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण और लखनऊ विकास प्राधिकरण अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 70.51 करोड़ का अवस्थापना अधिभार आरोपित करने में विफल रहे।

(प्रस्तर 7.3.3)

- मेडिकल कॉलेज के प्रवर्तक को प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ देने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ₹ 22.14 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 7.4)

- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मानचित्रों की स्वीकृति के समय ₹ 5.86 करोड़ के लेबर सेस का आंकलन एवं संग्रह करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 7.5)

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण चूककर्ता फर्मों पर परिसमापन क्षतिपूर्ति आरोपित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उनको ₹ 1.73 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

(प्रस्तर 7.6)

भाग—अ

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिये तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। 31 मार्च 2018 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 107 पीएसयूज थे, जिनमें 46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सम्मिलित हैं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान कोई भी पीएसयूज को उसकी स्वामित्वाधीन कम्पनी में समावेलित नहीं किया गया था।

2. उत्तर प्रदेश में पीएसयूज की प्रकृति एवं उनके लेखाओं की स्थिति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है।

तालिका—1.1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 को बकाया (बकाया कुल लेखे) हैं
		2017–18 ² तक के लेखे	2016–17 तक के लेखे	2015–16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कम्पनियां ³	55	7	15	28	50	48 (191)
सांविधिक निगम	6	-	3	2	5	6 (16)
कुल कार्यरत पीएसयूज	61	7	18	30	55	54 (207)
अकार्यरत सरकारी कम्पनिया	46	-	3	10	13	44 (633)
कुल	107	7	21	40	68	98 (840)

इस प्रतिवेदन में 30 सितंबर 2018 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 36 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को शामिल किया गया है। इस अध्याय में 71 पीएसयूज (चार सरकार नियन्त्रित कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया हैं या वे विचलन/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—4.2** में है। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज ने 30 सितम्बर 2018 तक अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 60,016.92 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017–18 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 13,75,607 करोड़) के 4.36 प्रतिशत के बराबर था। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 18,167.68 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2018 को इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य पीएसयूज में लगभग 78,436 कर्मचारी कार्यरत थे।

¹ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

² 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक।

³ सरकारी पीएसयूज में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

46 अकार्यरत पीएसयूज हैं जो अक्रियाशील हैं जिसमें जीओयूपी ने ₹ 929.76 करोड़ का निवेश किया है, इसमें पूँजी (₹ 462.98 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 466.78 करोड़) सम्मिलित थे। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करता है।

जवाबदेही तन्त्र

3. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी⁴ को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिनों के अन्दर की जानी चाहिए एवं यदि उल्लिखित अवधि में सीएजी द्वारा इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप—धारा—7 के अनुसार, धारा 139 की उप—धारा (5) या उप—धारा (7) के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी के प्रकरण में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखाओं की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अन्तर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जो अधिनियम 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते

⁴ कम्पनी (दुष्करता निवारण) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014 को भारत सरकार, निगमीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी।

हैं। अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक सीएजी को कम्पनी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण अन्य प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करते हैं। अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में ये वित्तीय विवरण सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। छ: सांविधिक निगमों में से चार निगमों अर्थात् उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के प्रकरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है एवं इसकी तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा तैयार किये गये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ, सदन या राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में रखी जानी होती है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले विधानों में निगमों के लिये लगभग समान प्रावधान हैं। यह तन्त्र राज्य के समेकित कोष से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया है कि पूर्व और आगामी एजीएम की तिथियों में 15 माह से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 बताती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित, पर शास्ति रोपण जैसे जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानमण्डल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में जैसा कि सम्बंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के सामने रखी जाती हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7. उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूँजी एवं ऋण** – शेयर पूँजी योगदान के अतिरिक्त, जीओयूपी समय–समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** – जीओयूपी पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **प्रत्याभूतियाँ** – जीओयूपी वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिये गये ऋण की व्याज के साथ पुर्णभुगतान की प्रत्याभूति भी देता है।

8. 31 मार्च 2018 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.2: पीएसयूज में क्षेत्रवार कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		योग	निवेश		
	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में नहीं शामिल	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में नहीं शामिल		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
ऊर्जा	183202.93	-	-	-	183202.93	106718.49	76484.44	183202.93
ऊर्जा के अतिरिक्त	8458.34	5156.11	948.92	2041.37	16604.74	7560.40	9044.34	16604.74
योग	191661.27	5156.11	948.92	2041.37	199807.67	114278.89	85528.78	199807.67


चेतावनी: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी एवं ऋण के लिए अनुसोदन/जारी आदेशों एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 69,554.02 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 59,537.81 करोड़ (85.60 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9. 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2018 के अन्त में ऊर्जा एवं ऊर्जा के अतिरिक्त क्षेत्र में निवेश नीचे दिए गए चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आँकड़े ₹ करोड़ में)



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस प्रतिवेदन के भाग अ के भाग-I⁵ में ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज के एवं भाग-II⁶ में 92 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

⁵ भाग-I में अध्याय-I (ऊर्जा क्षेत्र के उपकरणों के कार्यकलाप), अध्याय-II ("उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" पर लेखापरीक्षा) एवं अध्याय-III (ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण) शामिल हैं।

⁶ भाग-II में अध्याय-IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के कार्यकलाप) एवं अध्याय-V (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण) शामिल हैं।

भाग—I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय—I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

भाग—I

अध्याय—I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1. परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018¹ को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गयी तालिका—1.1 में दिया गया है।

तालिका—1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	40235.18	46976.70	54132.11	52291.64
पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर के सापेक्ष टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	16.76	15.23	-3.40
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी	1011790	1137210	1250213	1375607
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	12.40	9.94	10.03
टर्नओवर का उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी से प्रतिशत	3.98	4.13	4.33	3.80

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये जीएसडीपी के आँकड़ों एवं ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित।

अपने पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर से ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 2015–16 एवं 2016–17 में वृद्धि हुई लेकिन 2017–18 में कमी हुई। 2015–18 की अवधि के दौरान वृद्धि/कमी (–) 3.40 प्रतिशत एवं 16.76 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में निरन्तर वृद्धि 9.94 प्रतिशत एवं 12.40 प्रतिशत के मध्य दर्ज की गयी। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर² 6.55 प्रतिशत रही। वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.78 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.13 प्रतिशत की कम वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्ज की गई। इससे जीएसडीपी में इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की भागेदारी वर्ष 2014–15 में 3.98 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 3.80 प्रतिशत हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) का (जनवरी 2000) पुर्नगठन किया एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का गठन किया एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण (केसा) जोन के वितरण व्यवसाय को यूपीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को हस्तान्तरित किया गया। थर्मल एवं

¹ 30 सितम्बर 2018 तक के नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

² वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर = $\left[\left\{ (2017-18 \text{ का मूल्य} / 2014-15 \text{ का मूल्य})^{(1/3 \text{ वर्ष})} \right\} - 1 \right] * 100$ ।

हाइड्रो उत्पादन के कार्यों को मौजूदा पीएसयूज अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में निहित किया गया। यूपीएसईबी के पारेषण एवं वितरण के कार्यों को नवनिर्मित पीएसयूज अर्थात् यूपीपीसीएल एवं केस्को को हस्तान्तरित किया गया एवं यूपीएसईबी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को (₹ 5,594.96 करोड़³ की पूँजी एवं ₹ 2,709.78 करोड़ के ऋण सहित) इन चार पीएसयूज के बीच में वितरित किया गया। आगे, अगस्त 2003 में यूपीपीसीएल का वितरण व्यवसाय, सहायक कम्पनियों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ (एमवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पूर्वीवीएनएल) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (डीवीवीएनएल) (यूपीपीसीएल की सहायक-डिस्कॉम्स के रूप में जाना जाता है) को हस्तान्तरित किया गया।

आगे, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) जुलाई 2006 में निगमित हुआ। इसके बाद, जीओयूपी ने दिसम्बर 2010 में यूपीपीसीएल से यूपीपीटीसीएल को ट्रान्समिशन गतिविधियों को हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (ट्रान्समिशन एवं सम्पत्तियों, दायित्वों सहित सम्बन्धित गतिविधियों के हस्तान्तरण) योजना अधिसूचित किया जो कि अप्रैल 2007 से प्रभावी थी। इस तिथि से, यूपीपीसीएल एवं यूपीपीटीसीएल ने क्रमशः वृहत् ऊर्जा के क्रय/विक्रय एवं ट्रान्समिशन कार्य के लिए अलग-अलग संस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, चार पीएसयूज अर्थात् यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी⁴) की सहायक कम्पनी (11 अप्रैल 2000 को निगमित), सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल), यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी (14 फरवरी 2007 को निगमित), जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जेवीयूएनएल), यूपीआरवीयूएनएल की सहायक कम्पनी (04 सितम्बर 2009 को निगमित), यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (वाईपीजीसीएल), यूपीपीसीएल की एसोसिएट कम्पनी (20 अप्रैल 2010 को निगमित), ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य के लिये गठित की गयी।

इसी प्रकार, सर्दन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (एसयूपीपीटीसीएल), यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी को ट्रान्समिशन के व्यवसाय को करने के लिये (08 अगस्त 2013 को निगमित), गठित किया गया। इसके अतिरिक्त, एक और कम्पनी, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम (16 अक्टूबर 2008 को निगमित) कोयले के निष्कर्षण एवं राज्य ऊर्जा संस्थानों को कोयले की बिक्री के उद्देश्य के लिये गठित की गयी।

इस प्रकार, 31 मार्च 2018 तक राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम थे। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम में, तीन पीएसयूज⁵ अकार्यरत थे एवं तीन पीएसयूज⁶ ने 2017–18⁷ तक कोई व्यवसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की थीं।

³ यूपीएसईबी के विभाजन के समय संचित हानि शून्य थी।

⁴ औद्योगिक विकास के उद्देश्य के लिये एक गैर-ऊर्जा कम्पनी की स्थापना की गयी।

⁵ सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, सर्दन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड।

⁶ जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड एवं यूपीएसआईडीसी पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड।

⁷ 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्णसंरचना एवं निजीकरण

1.3 अंश क्रय समझौतों के माध्यम से दो पीएसयूज, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः 22 सितम्बर 2011 एवं 16 दिसम्बर 2011 को निजी स्वामित्व के तहत हस्तान्तरित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधिवार विवरण नीचे तालिका—1.2 में दिया गया है।

तालिका—1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधिवार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा का उत्पादन	6	11232.29	10493.34	21725.63
ऊर्जा का पारेषण	2	12494.47	10764.46	23258.93
ऊर्जा का वितरण	6 ⁸	82991.57	55225.45	138217.02
अन्य	1	0.16	1.19	1.35
कुल	15	106718.49	76484.44	183202.93

नोट : शासनादेशों एवं वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,83,202.93 करोड़ था। निवेश में पूँजी 58.25 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 41.75 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.88 प्रतिशत (₹ 9,848.09 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण 87.12 प्रतिशत (₹ 66,636.35 करोड़) था। इसके अतिरिक्त, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय पुर्नगठन योजना/उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)⁹ के अन्तर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के डिस्कॉम्स पर बकाया ऋणों (₹ 59,205.19 करोड़)¹⁰ में से ₹ 44,403.96 करोड़¹¹ का अधिग्रहण कर लिया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश नीचे तालिका—1.3 में दिया गया है।

⁸ यूपीपीसीएल (स्वामित्व धारक कम्पनी) शामिल है।

⁹ डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिए ऊर्जा मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना।

¹⁰ डिस्कॉम्स के ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल ऋण जिसमें 30.09.2015 को ₹ 53,935.06 करोड़ के बकाया ऋण एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी) – 2012 के तहत 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.19 करोड़ के बॉन्ड शामिल है।

¹¹ इसमें 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये ₹ 39,133.77 करोड़ एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी) – 2012 के तहत 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.19 करोड़ शामिल है।

तालिका-1.3: मार्च 2018 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता


(₹ करोड़ में)

विवरण ¹²	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयूज की संख्या ¹³	धनराशि	पीएसयूज की संख्या ¹³	धनराशि	पीएसयूज की संख्या ¹³	धनराशि
पूँजी की जावक (i)	3	19078.43	3	12205.98	4	8234.53
दिये गये ऋण (ii)	1	6083.12	1	3700.32	-	0.00
प्रदत्त अनुदान / सब्सिडी (iii)	1	22385.92	1	14817.66	2	7593.19
कुल जावक (i+ii+iii)	3¹⁴	47547.47	3¹⁴	30723.96	4¹⁴	15827.72
ऋण पुर्णभुगतान / अपलिखित	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
बकाया गारंटियां	3	35216.59	3	52791.17	3	57912.93
गारंटी प्रतिबद्धता	2	22489.05	2	62518.98	2	31488.20

स्रोत: पीएसयूज से प्राप्त जानकारी, शासनादेशों एवं वार्षिक लेखोंओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे चार्ट-1.1 में दिया गया है।

चार्ट-1.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता



वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 15,827.72 करोड़ एवं ₹ 47,547.47 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त ₹ 15,827.72 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 8,234.53 करोड़ एवं ₹ 7,593.19 करोड़ शामिल थे।

¹² यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

¹³ उ0प्र0 सरकार यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से सीधे पूँजी देती है। अतः, सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य के लिए केवल स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से शामिल किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं।

¹⁴ यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय पुनरोत्थान के लिए उदय योजना प्रारम्भ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं पाँच डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के स्थिति की चर्चा इस अध्याय के प्रस्तर-1.20 के अन्तर्गत की गयी है।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में पीएसयूज को सक्षम बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर पर गारंटी कमीशन लिया जाता है जोकि जीओयूपी द्वारा उधारकर्ताओं के आधार पर तय किया गया (15 सितम्बर 2000)। बकाया गारंटी 2017–18 में ₹ 57,912.93 करोड़ थी। पीएसयूज द्वारा 2017–18 के दौरान ₹ 10.14 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

1.6 राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से सम्बंधित ऑकड़े को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये ऑकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त ऑकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे सम्बंधित स्थिति, नीचे दिये गये तालिका-1.4 में दर्शित की गयी हैं।

तालिका-1.4: वित्त लेखाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया पूँजी, ऋण एवं गारंटी

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	पूँजी		अन्तर	ऋण		अन्तर	गारंटियां		अन्तर	(₹ करोड़ में)
	वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.07	0.00	0.07	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	-	0.00	64.65	64.65	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	40757.7	47557.65	6799.95	
कुल अन्तर			0.07			64.65				6799.95

झोत : पीएसयूज एवं वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में से तीन पीएसयूज के सम्बंध में इस तरह का अन्तर है जो कि उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया। यह अन्तर गत कई वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु इस मुददे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं सम्बन्धित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध तरीके से समाधान करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के तैयार करने में समयबद्धता

1.7 सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 31 मार्च 2018 तक ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम थे। केवल दो कार्यरत पीएसयूज ने अपने 2017–18 के लेखाओं को 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत किया था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले

तीन वर्षों के प्रत्येक वित वर्ष के 30 सितम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण नीचे दी गयी तालिका—1.5 में है।

तालिका—1.5: कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रं सं०	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयूज की संख्या	15	15	15
2.	प्रस्तुतीकरण के लिए लेखाओं की संख्या	42	48	43
3.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखाओं की संख्या	9	20	21
4.	पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	0	1	2
5.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	9	19	19
6.	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	15	14	13
7.	बकाया लेखाओं की संख्या	33	28	22
8.	बकाया की सीमा	एक से पाँच वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष

झोत: अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान पीएसयूज के प्राप्त लेखाओं के आधार पर संकलित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में से, 14 पीएसयूज ने 21 वार्षिक लेखाओं को 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिया था जिसमें दो वार्षिक लेखे वर्ष 2017–18 के एवं 19 वार्षिक लेखे गतवर्षों के शामिल थे। आगे, 13 पीएसयूज के 22 वार्षिक लेखे बकाया थे।

जीओयूपी ने ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 तक बकाया थे, में से 8 पीएसयूज में ₹ 45,077.29 करोड़ (पूँजी: ₹ 18,966.12 करोड़, ऋण: ₹ 3,700.32 करोड़, अनुदान: ₹ 9,801.82 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 12,609.03 करोड़) का निवेश 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान किया था जबकि शेष पाँच पीएसयूज में लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट—1.3 में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं के निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का वायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बंध में निरन्तर रूप से सूचित किया गया था।

राज्य ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.8 लेखाओं के विलम्ब से अन्तिमीकरण से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का भी जोखिम रहता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति की वजह से, इन राज्य ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयूज के लेखाओं के बकाया की अवधि में कार्य निष्पादन सहित लाभ/हानि एवं राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन/राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये एवं धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।


अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.9 30 सितम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यपरिणाम परिशिष्ट—1.1 में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार एवं अन्य के निवेश की राशि ₹ 1,83,202.93 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 1,06,718.49 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 76,484.44 करोड़ सम्मिलित थे जिसका विवरण परिशिष्ट—1.2 में दिया गया है। इसमें से ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज¹⁵ में उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश ₹ 1,16,566.12 करोड़ था जिसमें पूँजी के ₹ 1,06,718.03 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 9,848.09 करोड़ सम्मिलित थे। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में जीओयूपी के निवेश की स्थिति नीचे चार्ट—1.2 में दर्शायी गयी है।

चार्ट—1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में जीओयूपी का कुल निवेश



कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापी जाती है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि को पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं लाभ को कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करने के पश्चात् के लाभों को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभदायकता एवं उसके पूँजी के उपयोग की


¹⁵ जीओयूपी यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से सीधे पूँजी देती है। अतः, सरकार के धन के निवेश का उद्देश्य केवल स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों का उनकी सहायक कम्पनी की ओर शामिल किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं।

दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.10 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी पीएसयूज द्वारा हानि¹⁶ की समग्र स्थिति को चार्ट–1.3 में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानि



ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 18,127.40 करोड़ की हानि के सापेक्ष 2017–18 में ₹ 18,534.62 करोड़ हानि हुई (परिशिष्ट–1.1)। पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं¹⁷ के आधार पर, तीन पीएसयूज ने ₹ 449.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 10 पीएसयूज ने ₹ 18,983.63 करोड़ की हानि उठाई एवं दो पीएसयूज में सीमान्त लाभ/हानि¹⁸ था जैसा कि (परिशिष्ट –1.4) में विस्तृत है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिसने 2015–16 से 2017–18 के अवधि के दौरान लाभ अर्जित/ हानि उठाई की स्थिति का विवरण नीचे तालिका–1.6 में दिया गया है।

तालिका–1.6: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

वित्तीय वर्ष के दौरान	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान सीमान्त लाभ/हानि अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या
2015-16	15	2	9	4
2016-17	15	2	10	3
2017-18	15	3	10	2

¹⁶ 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े।

¹⁷ 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।

¹⁸ ₹ 1 लाख से कम को सीमान्त लाभ/हानि माना गया है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

1.11 सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की सभी कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। जीओयूपी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वास्तविक रिटर्न पर पहुंचने के लिए, निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) निकालने के बाद निवेश पर प्रतिफल की गणना की गयी है। राज्य सरकार के निवेश पर, तत्कालीन विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन (2000–2001) के बाद से 31 मार्च 2018 तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तिमीकृत बैलेंस शीट से राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान के रूप निवेशित धनराशि पर पीवी की गणना की गयी।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। आगे, उन प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त किये गये धन को निवेश नहीं माना गया है। हालांकि, उदय योजना के तहत प्राप्त किये गये अनुदान के प्रभाव को अलग से दिखाया गया है।
- सम्बंधित वित्तीय वर्ष¹⁹ के लिए वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा बहन की गयी लागत को दर्शाता है।

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान जब 9 से 10 पीएसयूज ने हानियाँ उठायीं, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। पीएसयूज के निवल मूल्य के क्षरण पर प्रस्तर 1.13 में टिप्पणी की गयी है।

1.12 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पूँजी ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान के रूप में धन के निवेश की स्थिति परिशिष्ट-1.5 में इन पीएसयूज के प्रारम्भ से 31 मार्च 2018 तक इंगित की गयी है। वर्ष 2000–2001 से 31 मार्च 2018 तक उनके सम्बंध में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति को नीचे तालिका-1.7 में इंगित किया गया है।

¹⁹ सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (उत्तर प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से लिया गया है, जिसमें दिये ब्याज के औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/[{गत वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2} * 100।

तालिका—1.7: 2000–2001 से 2017–2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार व्योरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान का योग	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिये धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	आय व्यय विवरण के आधार पर वर्ष के कुल अर्जन
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii=vii* (1+vi/ 100)	ix=vii* vi/ 100	x
2000-01 तक		6336.47	1842.26	8178.73	9.58	8178.73	8962.25	783.52	
2001-02	8962.25	315.03	377.96	692.99	9.49	9655.24	10571.52	916.28	-1562.66
2002-03	10571.52	225.90	432.97	658.87	7.22	11230.39	12041.23	810.83	-1453.67
2003-04	12041.23	6051.30	-1532.61	4518.69	9.13	16559.92	18071.84	1511.92	-1420.28
2004-05	18071.84	906.80	381.33	1288.13	9.47	19359.97	21193.36	1833.39	-2404.25
2005-06	21193.36	794.60	157.73	952.33	6.49	22145.69	23582.94	1437.26	-3146.92
2006-07	23582.94	3113.53	25.00	3138.53	6.74	26721.47	28522.50	1801.03	-4288.59
2007-08	28522.50	7260.25	99.48	7359.73	6.43	35882.23	38189.46	2307.23	-7931.01
2008-09	38189.46	6222.34	315.94	6538.28	6.29	44727.74	47541.11	2813.37	-10585.24
2009-10	47541.11	5322.37	0.00	5322.37	6.16	52863.48	56119.87	3256.39	-8916.25
2010-11	56119.87	4383.52	-100.00	4283.52	6.67	60403.39	64432.30	4028.91	-8682.32
2011-12	64432.30	4314.36	-219.09	4095.27	6.62	68527.57	73064.10	4536.53	-11914.56
2012-13	73064.10	3825.53	17.00	3842.53	6.73	76906.63	82082.44	5175.82	-13151.15
2013-14	82082.44	6580.95	-352.48	6228.47	6.43	88310.91	93989.30	5678.39	-17719.95
2014-15	93989.30	11546.16	-16.69	11529.47	6.40	105518.77	112271.98	6753.20	-19110.96
2015-16	112271.98	19078.43	6083.12	25161.55	6.35	137433.53	146160.55	8727.03	-18127.40
2016-17	146160.55	12205.97	3775.32	15981.29	6.82	162141.84	173199.92	11058.07	-17986.14
2017-18	173199.92	8234.52	83.40	8317.92	6.54	181517.84	193389.10	11871.27	-18534.62
कुल		106718.03	11370.64	118088.67					

राज्य सरकार द्वारा इन 15 पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 2000–2001 के ₹ 8,178.73 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में ₹ 1,18,088.67 करोड़ हो गया क्योंकि आगे राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 1,00,381.56 करोड़) एवं ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान (₹ 9,528.38 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 1,93,389.10 करोड़ आती है।

यह देखा जा सकता है कि 2001–2002 से 2017–18 के अवधि के दौरान इन पीएसयूज से सम्बंधित वर्ष की कुल आय ऋणात्मक रही जो कि यह दर्शाता है कि ये पीएसयूज सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाये।

यदि डिफॉल्टेड ब्याज सहित ऋण (आई बी एल) को निवेश के रूप में नहीं माना जाता है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्त में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2000–2001 तक ₹ 6,367.04 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में ₹ 1,18,027.57 करोड़ होगा। क्योंकि आगे 2001–2002 से 2017–18 के अवधि के दौरान राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 1,00,381.56 करोड़) एवं ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण/पूँजीगत अनुदान (₹ 11,278.97 करोड़) के रूप में निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 1,90,696.62 होगी (परिशिष्ट-1.6)।

इसके अलावा, सरकार ने उदय योजना के अन्तर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के डिस्कॉम्स पर ऋणों को अधिग्रहीत करने के लिए डिस्कॉम्स को 2015–16 में ₹ 12,166.24 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 7,400.64 करोड़ का अनुदान दिया है। यदि हम इस अनुदान को राज्य सरकार के निवेश के रूप में मानते हैं, तो निवेश पर प्रतिफल और कम हो जाएगा।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह माप है कि एक उपक्रम स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2018 को 15 पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 1,33,638.98 करोड़ थी। 15 पीएसयूज में से, 10 पीएसयूज ने 2017–18 में ₹ 18,983.63 करोड़ की हानियाँ उठाई। इसके अलावा, तीन पीएसयूज ने 2017–18 में हानियाँ नहीं उठाई थी, यद्यपि इनमें से, दो पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 3,181.73 करोड़ थी एवं एक पीएसयू का संचित लाभ ₹ 1,049.92 करोड़ था। इसके अलावा, 15 में से शेष दो पीएसयूज को वर्ष 2017–18 के दौरान सीमान्त लाभ / हानि हुई।

15 पीएसयूज में से 11 का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूरी तरह से लुप्त हो गया एवं उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। 31 मार्च 2018 तक इन 11 पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 72,834.76 करोड़ के सापेक्ष निवल मूल्य ₹–60,616.92 करोड़ था। हालाँकि, 11 पीएसयूज में से जिनका निवल मूल्य लुप्त हो गया था, एक पीएसयू अर्थात् केस्को ने वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 319.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।
(परिशिष्ट 1.1)

चार²⁰ पीएसयूज जिनका निवल मूल्य 31 मार्च 2018 को धनात्मक था, जो उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेत है, में से एक²¹ का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों के 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान (जीओयूपी द्वारा धन का निवेश²² जहाँ किया गया हो) प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ / हानियाँ एवं निवल मूल्य निम्नांकित तालिका–1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.8: 2015–16 से 2017–18 के अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित हानियाँ	स्थगित राजस्व व्यय ²³	निवल मूल्य
2015-16	83883.82	131389.90	35.18	-47541.26
2016-17	93470.81	133768.43	35.18	-40332.80
2017-18	94157.20	133638.98	35.18	-39516.96

²⁰ यूपीपीटीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, जेवीयूएनएल एवं यूपीजेवीएनएल।

²¹ यूपीजेवीएनएल।

²² सहायक कम्पनियों (परिशिष्ट–1.1 के क्रम सं 3 से 7 एवं 9 से 14) के संदर्भ में पूँजी उनकी सम्बन्धित स्वामित्व धारक कम्पनियों द्वारा निवेश की गयी थी।

²³ यह केवल यूपीपीटीसीएल से सम्बन्धित है एवं उनका नवीनतम अंतिम लेखा वित्त वर्ष 2015–16 का है। इसलिए, 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 35.18 करोड़ की समान संख्या ली गयी है।

लाभांश का भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशपूँजी निवेश पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना होता है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित लाभांश भुगतान जहाँ अवधि के दौरान जीओयूपी द्वारा धन का निवेश किया गया था, नीचे तालिका 1.9 में दिखाया गया है।

तालिका-1.9: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभांश भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ में रहने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा करने/भुगतान करने वाले पीएसयूज		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा/भुगतान (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (कॉलम 7/ कॉलम 5*100)
2015-16	4	86277.51	1	9322.40	-	-	-
2016-17	4	98483.50	1	10110.40	-	-	-
2017-18	4	106718.03	1	10796.79	-	-	-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 2017–18 में ₹ 128.95 करोड़ का लाभ एवं 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,049.92 करोड़ का संचित लाभ अर्जित किया। लेकिन, कम्पनी ने न तो सरकार को लाभांश दिया एवं न ही लेखाओं में उसके लिए कोई प्रावधान किया जो कि न्यूनतम लाभांश भुगतान से सम्बन्धित राज्य सरकार के नीति के विरुद्ध है।

पूँजी पर प्रतिफल

1.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)²⁴ कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का माप है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।

आरओई की गणना ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में की गयी है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा धारक वाली कम्पनियों (यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीएसआईडीसी अपनी सहायक कम्पनियों की स्थिति में) के माध्यम से धन का निवेश किया गया है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका-1.10 में दर्शाया गया है।

²⁴ पूँजी पर प्रतिफल = (करों एवं अधिमान्य लाभांश के पश्चात् शुद्ध आय ÷ पूँजी)* 100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानियाँ– स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका—1.10: ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों के पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय / कुल अर्जन ²⁵ (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2015-16	-18127.40	-47541.26	-
2016-17	-17986.14	-40332.80	-
2017-18	-18534.62	-39,516.96	-

चेतें : सम्बंधित वर्षों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर ऑकड़े संकलित ।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दृष्टिगत होता है कि, मार्च 2018 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण अवधि में शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक होने के कारण आरओई की गणना नहीं की जा सकी जो कि यह इंगित करता है कि इन पीएसयूज के दायित्व सम्पत्ति से अधिक है एवं अंशपूँजी पर प्रतिफल देने के स्थान पर, संचित हानियों ने सम्पूर्ण अंशपूँजी को समाप्त कर दिया।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं इसके पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी²⁶ द्वारा विभाजित करके आरओसीई की गणना की जाती है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों के आरओसीई का विवरण नीचे दी गयी तालिका—1.11 में दिया गया है।

तालिका—1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष के दौरान	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)
2015-16	-10994.77	-10154.38	-
2016-17	-14909.94	18042.73	-82.64
2017-18	-15382.30	19064.81	-80.68

चेतें : 30 सितम्बर 2018 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर ऑकड़े संकलित किये।

2016-17 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की आरओसीई -80.68 प्रतिशत से -82.64 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान आरओसीई ऋणात्मक एवं अव्यवहार्य थी क्योंकि ईबीआईटी एवं नियोजित पूँजी दोनों ऋणात्मक थी।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घवधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 2015-16 से 2017-18 के दौरान कम्पनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया जिससे कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों के भुगतान करने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्यांकन हो सके। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.18 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से

²⁵ सम्बंधित वर्षों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर ऑकड़े।

²⁶ नियोजित पूँजी =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - रथगित राजस्व व्यय। ऑकड़े पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर हैं।

विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज पर व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। पीएसयूज के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण, जिसमें 2015–16 से 2017–18 के अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, तालिका-1.12 में दिया गया है।

तालिका-1.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों पर ब्याज की देयता थी	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2015-16	7132.63	4451.41	8	2	6
2016-17	3076.20	536.48	8	2	6
2017-18	3152.32	63.61	8	2	6

यह देखा गया कि आठ पीएसयूज जिनमें 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण की देयता थी, दो पीएसयूज²⁷ में एक से अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात था, जबकि शेष छः पीएसयूज में ऋणात्मक/एक से कम का ब्याज अनुपात था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयूज इस अवधि में ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण

1.19 31 मार्च 2018 को एक पीएसयू में जीओयूपी द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 204.18 करोड़ के ब्याज का बकाया था। बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण नीचे तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका : 1.13 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण (₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय के लिए बकाया	एक से तीन वर्ष के लिए बकाया	तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया
यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड	204.18	10.60	21.19	172.39

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.20 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय पुर्नुत्थान के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारम्भ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय पुर्नुत्थान के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

संचालन क्षमता में उन्नति के लिए योजना

1.20.1 प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों को उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मॉग पक्ष का प्रबन्धन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण,

²⁷ केस्को एवं यूपीआरवीयूएनएल।

बिजली की चोरी रोकने के लिए व्यापक संसूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहाँ संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएण्डसी घाटे को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे कि फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि। संकेतकों के माध्यम से परिचालन सुधारों के परिणामों को मापा जाना था जैसे कि औसत आपूर्ति लागत एवं औसत राजस्व वसूली के बीच के अन्तर में कमी करके 2018–19 तक शून्य करना, ऐमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानि न्यूनन प्रक्षेपण के अनुसार एटीएण्डसी हानि को वर्ष 2018–19 में 15 प्रतिशत तक कम करना, इसके अतिरिक्त ऐमओपी, भारत सरकार, जीओयूपी एवं यूपीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ (30 जनवरी 2016) जिसमें एटीएण्डसी हानियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 तक कम करते हुये 19.36 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वित्तीय पुनर्नुस्खान के लिए योजना

1.20.2 प्रतिभागी राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक के डिस्कॉम्स के ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण दो वर्षों में करने की आवश्यकता थी अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय पुनर्नुस्खान के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य “गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र” जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिससे वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का निस्तारण करेंगे। जारी किए गए ऋणपत्रों की 10–15 वर्ष की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 5 वर्षों तक स्थागन अवधि होगी।
- डिस्कॉम्स के ऋण पहले देय ऋणों की प्राथमिकता में अधिग्रहित किये जायेंगे, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋणों का अधिग्रहण किया जाएगा।
- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को हस्तान्तरण, एक अनुदान के रूप में होगा जो कि डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तान्तरण के साथ तीन वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत राज्य के पाँच डिस्कॉम्स से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदंडों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां तालिका—1.14 में दी गयी हैं।

तालिका—1.14: मार्च 2019 तक संचालन निष्पादन विषयक मापदण्डवार उपलब्धियां एवं लक्ष्य

उदय योजना का मापदण्ड	उदय स्कीम के तहत लक्ष्य	उदय स्कीम के तहत स्थिति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	16072	19238	119.70
वितरण ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग (संख्या में)	382460	111959	29.27
फीडर पृथक्कीरण (संख्या में)	10564	1751	16.58

उदय योजना का मापदण्ड	उदय स्कीम के तहत लक्ष्य	उदय स्कीम के तहत स्थिति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	9722	19322	198.75
असंयोजित परिवार को विद्युत (संख्या लाख में)	184.56	64.90	35.16
200 से ऊपर और 500 केडब्लूएच तक की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या लाख में)	9.37	1.22	13.02
एलईडी उजला का वितरण (संख्या लाख में)	264.53	266.11	100.60
एटीएण्डसी हानिया (प्रतिशत में)	19.36	24.64	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
एसीएस – एआरआर में अन्तर (₹ प्रति यूनिट)	0.22	0.22	100.00
सब्सिडी सहित शुद्ध आय अथवा लाभ/ हानि (₹ करोड़ में)	-2613.70	-2575.87	100.00

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त ऑकड़ों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स के प्रदर्शन, वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग एवं ए टी एंड सी हानियों के क्षेत्रों में संतोषजनक नहीं थे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, उदय योजना के तहत 30 जून 2019 तक राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सभी राज्यों में सातवें स्थान²⁸ पर रहा।

ब. वित्तीय पुनर्तथान का कार्यान्वयन

1.20.4 एमओपी, जीओयूपी एवं डिस्कॉम्स की ओर से यूपीपीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (30 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं एमओयू के प्रावधानों के आधार पर, डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण (₹ 53,935.06 करोड़) में से, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ के अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल ऋण का 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान अधिग्रहण किया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका 1.15 में उल्लेख किया गया।

तालिका—1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	अनुदान	ऋण	कुल
2015-16	6083.12	12166.24	6083.12	24332.48
2016-17	3700.32	7400.64	3700.32	14801.28
कुल	9783.44	19566.88	9783.44	39133.76

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इसके अलावा, जीओपी ने भविष्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 409.93 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.21 ऊर्जा क्षेत्र के 14 उपक्रमों²⁹ ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान अपने 21 लेखापरीक्षित लेखाओं को महालेखाकार को प्रस्तुत किया। इनमें से 18 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सीएजी द्वारा सम्पादित की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा

²⁸ 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए उदय की वेबसाइट पर दर्शायी गयी राज्यों की नवीनतम तिमाही रैंकिंग के अनुसार।

²⁹ एक पीएसयू अर्थात् यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड ने 2013–14 के बाद अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रतिवेदनों से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। 2015–18 के लेखाओं के लिए, सीएजी एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के कुल मूल्य का विवरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका—1.16: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	2	3.02	2	4.21	1	3.99
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	5	292.89	4	956.51
4.	हानि में कमी	-	-	2	13.37	1	2.97
5.	सारावन तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	45.33	2	693.34	3	9.65
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	1	10.67	6	256.52	4	37.47

अतः सरकारी पीएसयूज के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन³⁰ लेखाओं पर व्यालीफाइड राय जारी की थी। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन ठीक नहीं रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 15 दृष्टान्त दिये।

“यूपीपीसीएल द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

1.22 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग—I के लिए, “उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को ऊर्जा विभाग, जीओयूपी के प्रमुख सचिव, को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। “उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा एवं तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं एवं इन्हें इस प्रतिवेदन के आगामी अध्याय-II और अध्याय-III के सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। ₹ 13.26 करोड़ के मूल्य के चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से, ₹ 10 करोड़ की वसूली की गयी। “उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 549.42 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपालन कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निर्धारित प्रारूपों में उत्तर/व्याख्यात्क टिप्पणियों को इन प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से दो से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना, प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्क टिप्पणियों की स्थिति नीचे तालिका 1.17 में दी गई है।

³⁰ एमवीवीएनएल 2014–15, यूपीजेवीएनएल 2014–15 एवं यूपीपीसीएल 2014–15

तालिका—1.17: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितम्बर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक / पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज) एवं प्रस्तर		पीएज / प्रस्तरों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011–12	16 सितंबर 2013	1	8	1	2
2012–13	20 जून 2014	0	8	0	1
2013–14	17 अगस्त 2015	1	6	1	3
2014–15	8 मार्च 2016	4	8	0	4
2015–16	18 मई 2017	2	5	1	1
2016–17	7 फरवरी 2019	1	4	1	4
कुल		9	39	4	15

ज्ञोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि, ऊर्जा विभाग के सम्बंध में 39 प्रस्तरों एवं 9 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 15 प्रस्तरों एवं चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियां, अभी प्रतीक्षित हैं (सितंबर 2019)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.24 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक / पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों पर कोपू द्वारा 30 सितंबर 2019 तक पूर्ण की गयी चर्चा की स्थिति नीचे तालिका 1.18 में दी गई है।

तालिका—1.18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2019 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएँ / प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज)/प्रस्तर			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		चर्चा किये गये पीएज एवं प्रस्तर	
	पीएज	प्रस्तर	पीएज	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	62	439	25	210
2011-12	1	8	0	3
2012-13	0	8	0	2
2013-14	1	6	0	1
2014-15	4	8	1	3
2015-16	2	5	0	2
2016-17	1	4	0	0
कुल	71	478	26	221

ज्ञोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन

1.25 कोपू की आन्तरिक कार्य नियमावली में प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन को, केवल कोपू द्वारा एटीएन की चर्चा के समय विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, एटीएन की स्थिति पर यहां चर्चा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

1.26 लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 17 मामलों में इंगित की गयी ₹ 55.14 करोड़ की वसूलियों को स्वीकार किया गया था। इसके सापेक्ष, तालिका 1.19 में दिए गए विवरण के अनुसार 16 मामलों में ₹ 31.73 करोड़ की वसूली, 1 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2019 के दौरान की गयी।

तालिका—1.19: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत / वसूल की गयी

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी एवं विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान की गयी वसूलियाँ	
		मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)
ऊर्जा विभाग	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4	7.21	4	7.21
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5	3.43	5	3.46
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	7.61	2	7.61
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	0.57	2	0.50
	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	4	36.32	3	12.95
कुल		17	55.14	16	31.73

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

अध्याय-II

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-II

“उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि” की लेखापरीक्षा

परिचय

2.1 विद्युत पारेषण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्यतः 132 केवी एवं इससे ऊपर, लम्बी दूरी तक समस्त ऊर्जा के स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों में सापेक्षतया निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज ऊर्जा में उच्चीकृत किया जाता है। एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर पर उच्चीकृत/निम्नीकृत करने एवं वितरण कम्पनियों की विद्युत प्रणाली को उत्पादन प्रणाली से संयोजित करने हेतु उपकेन्द्रों की सुविधायें जो कि उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली (पारेषण प्रणाली) का भाग है, प्रयुक्त की जाती हैं। अतः एक मजबूत एवं एकीकृत ऊर्जा पारेषण प्रणाली विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने का आधार है।¹

2.2 उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राज्यान्तारिक पारेषण प्रणाली एवं ग्रिड संचालन का प्रबन्धन उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस कम्पनी को 31 मई 2004 को उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था, जिसका 13 जुलाई 2006 को उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनः नामकरण किया गया। ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार कम्पनी का प्रशासकीय विभाग है।

संगठनात्मक ढांचा

2.3 कम्पनी का प्रबन्धन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित है, जिसके सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन प्रबन्ध निदेशक जो कम्पनी का कार्यकारी निदेशक भी होता है, के द्वारा किया जाता है। उसकी सहायता के लिए छ: निदेशक² और एक कम्पनी सचिव होता है। पारेषण प्रणाली में वृद्धि/विस्तार के नियोजन हेतु कम्पनी के मुख्यालय पर पाँच उपकेन्द्र/पारेषण परिकल्पना मण्डल³ (परिकल्पना मण्डल) प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता के अधीन हैं। ये मण्डल भण्डार क्रय समिति⁴ के अनुमोदन से पारेषण परियोजनाओं की डिजाइनिंग, सामग्रियों की खरीद के अनुबंधों के अन्तिमीकरण एवं पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यों को प्रदान करते हैं।

कम्पनी के विभिन्न संभागों की परियोजना के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भूमिका

2.4 कम्पनी के विभिन्न संभागों की परियोजना की परिकल्पना, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन में भूमिका परिशिष्ट-2.1 में दर्शायी गयी है।

¹ संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य 7.1।

² निदेशक (संचालन), निदेशक (कार्य एवं परियोजना), निदेशक (योजना एवं वाणिज्य), निदेशक (राज्य भार प्रेषण केंद्र), निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)।

³ (i) विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल-I (ii) विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल-II (iii) विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल (iv) 765 / 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल (v) 765 एवं 400 केवी विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल।

⁴ निदेशक भण्डार क्रय समिति (डीएसपीसी), प्रबंध निदेशक भण्डार क्रय समिति (एमडीपीसी) एवं कॉर्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) को प्रदत्त वित्तीय अधिकार क्रमशः ₹ 1 करोड़ से 10 करोड़, ₹ 10 करोड़ से 35 करोड़ एवं ₹ 35 करोड़ से ऊपर हैं।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि क्या:

- परियोजनाएं उचित रूप से परिकल्पित की गयीं एवं चिन्हित परियोजनाओं की योजना पर्याप्त थी तथा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की गयी;
- सामग्रियों एवं सेवाओं के क्रय करने की प्रणाली मितव्ययी एवं दक्ष थी;
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन मितव्ययी, दक्ष था एवं वांछित परिणाम प्राप्त हुए;
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र कार्यकुशल एवं प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र, पद्धति एवं लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.6 उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समाहित की गयी थी। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा अभी (अगस्त 2019) तक विचार—विमर्श नहीं किया गया है।

वर्तमान लेखापरीक्षा मार्च 2018 से नवम्बर 2018 के मध्य कम्पनी एवं इसकी फील्ड इकाइयों के प्रलेखों/सूचनाओं के आधार पर 2013–14 से 2017–18 के मध्य उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि की परिकल्पना, योजना एवं क्रियान्वयन में कम्पनी के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से यह आंकलित करने के लिए की गयी कि क्या परियोजनाएं उचित रूप से परिकल्पित की गयीं एवं यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कम्पनी ने किसी भी स्तर पर ग्रिड की स्थिरता को जोखिम में डाले बिना वितरण कम्पनियों को माँग के अनुसार ऊर्जा का प्रेषण सुगमित करने के अपने लक्षित परिणामों को प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने 05 अक्टूबर 2018 को आयोजित इन्ट्री कॉनफ्रेन्स के दौरान प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं कम्पनी के प्रबन्धन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। लेखापरीक्षा ने कम्पनी के मुख्यालय एवं इसकी 171 फील्ड इकाइयों में से 42 इकाइयों⁵ (25 प्रतिशत लगभग) पर अभिलेखों एवं सम्बन्धित प्रलेखों का परीक्षण किया। लेखापरीक्षा ने 01 मई 2019 को आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा के परिणामों पर प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं प्रबन्धन के साथ चर्चा की। ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर कम्पनी का उत्तर (मई 2019) एवं शासन का उत्तर (सितम्बर 2019) प्राप्त हो गया एवं समुचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा की कसौटियाँ ऊर्जा मंत्रालय, जीओआई, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (प्राधिकरण), उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) एवं कम्पनी द्वारा निर्गत विभिन्न प्रलेखों⁶ से उद्धृत की गयी हैं।

⁵ नमूना में 42 इकाइयों यादृच्छिक नमूना चयन के आधार पर आइडिया सॉफ्टवेयर से चयनित की गयीं। इसे विधिवत रूप से नोडल सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया।

⁶ राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2005 एवं 2016 के प्रावधान; कम्पनी की परिप्रेक्ष्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित मानक; अनुबन्ध प्रदान करने की निर्धारित मानक प्रक्रियाएं; केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्गत पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी); राज्य सरकार/उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के निर्देश/मानक/दिशानिर्देश; पारेषण परियोजना हेतु सीईए/ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रतिवेदन, 2005; एमओपी, जीओआई द्वारा 2001 में गठित समिति द्वारा संस्तुत ‘बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन’ की संस्तुतियाँ।

कुल निर्मित/क्षमता वृद्धि किये गए उपकरणों एवं नमूना जाँच हेतु चयनित किये गए उपकरणों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका-2.1: निर्मित/क्षमता विस्तारित उपकरणों और नमूना जाँच हेतु चयनित उपकरणों की संख्या का विवरण

कम्पनी द्वारा 2013–14 से 2017–18 के दौरान निर्मित/क्षमता वृद्धि किये गए उपकरण			नमूना हेतु चयनित उपकरण (42 इकाइयों में)		
संख्या	क्षमता (एमवीए में)	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	संख्या (प्रतिशत)	क्षमता (एमवीए में)	स्वीकृत लागत ₹ करोड़ में (प्रतिशत)
नये निर्मित उपकरणों					
172	20,045	5,237.80	89 (52)	12753	2,760.29 (53)
विस्तारित उपकरणों					
486	23,637.50	2,610.75	180 (37)	5661	1,471.90 (56)
योग					
658	43,682.50	7,848.55	269 (41)	18,414	4,232.19 (54)

लेखापरीक्षा परिणाम जिनकी अग्रेतर चर्चा की गयी है नमूना जाँच का परिणाम हैं। कम्पनी अपने स्तर पर समान प्रकृति के अन्य मामले अन्य इकाइयों में आंकित कर सकती है।

लेखापरीक्षा, इस कार्य के दौरान कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं सहायता को स्वीकार करता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रदर्शन

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

2.7 कम्पनी की 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति नीचे तालिका 2.2 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.2: कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (₹ करोड़ में)
अंश पूँजी (आवेदन राशि को सम्मिलित करते हुए)	6,636.59	8,641.20	10,091.20	11,786.20	12,494.42
पारेषण नेटवर्क ⁷ से सम्बंधित स्थायी संपत्तियों का सकल ब्लाक	10,278.94	10,898.29	13,352.56	18,245.92	22,623.98
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2,395.29	2,811.35	3,070.08	6,897.76	6,144.66
ऋण	6,258.09	6,439.39	7,838.67	9,432.85	10,762.29
ब्याज	501.55	394.99	534.20	654.28	945.58
ह्रास	403.40	500.87	569.32	754.86	955.15
टर्नओवर	1,655.87 ⁸	1,304.91	1,682.64	1,759.51	2,069.41
शुद्ध लाभ / (हानि)	321.39	(71.87)	(27.13)	(38.05)	(367.20)

स्रोत: कम्पनी के वार्षिक लेखे

⁷ भूमि; भवन; अन्य सिविल कार्य; संयंत्र एवं मशीनें एवं लाइन्स, केबल नेटवर्क इत्यादि।

⁸ यूपीईआरसी के दिनांक 01 अक्टूबर 2014 के आदेश के आधार पर दूड़ अप पुनरीक्षित टैरिफ के अनुसार इसमें ₹ 581.18 करोड़ (वर्ष 2008–09 से 2011–12 की पारेषण आय में वृद्धि का प्रभाव) की राशि सम्मिलित है (स्रोत: कम्पनी के 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखे का नोट संख्या 16)।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम्पनी ने पूँजीगत संपत्तियों में ₹ 17,788.43 करोड़⁹ विनियोजित किये। उपरोक्त विनियोग मुख्यतया अंश पूँजी एवं ऋणों के द्वारा वित्तपोषित थे जिनमें पिछले पाँच वर्षों में वस्तुगत वृद्धि हुई। वर्ष 2017–18 में हानियों में वस्तुगत वृद्धि के मुख्य कारण दिए गए वर्षों में ब्याज के रूप में अत्यधिक भुगतान एवं हास थे।

कम्पनी का भौतिक प्रदर्शन

2.8 कम्पनी का भौतिक प्रदर्शन नीचे दिया गया है :

(i) कम्पनी का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र रूप से भौतिक प्रदर्शन का विवरण परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है और निम्न तालिका 2.3 में सारांकित किया गया है।

तालिका-2.3: कम्पनी के भौतिक प्रदर्शन का विवरण

विवरण / वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उपकेन्द्रों की संख्या (वर्ष के अन्त में)	360	377	416	448	498	532
समस्त श्रेणियों के उपकेन्द्रों की पारेषण क्षमता (एमवीए में) (वर्ष के अन्त में)	58,650	63,614	68,543	76,482	88,847	1,02,333
पारेषण लाइनों की लम्बाई (सीकेएम-में) (वर्ष के अन्त में)	26,674.12	27,628.03	29,016.99	30,624.43	33,061.25	36,152
कम्पनी के नेटवर्क पर वास्तविक पारेषित ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	73,897.66	77,760.69	82,413.86	89,819.49	1,01,694.51	1,14,321.13

चोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान कम्पनी ने 20,045 एमवीए क्षमता के 172 नये उपकेन्द्र बनाये एवं वर्तमान 486 उपकेन्द्रों का 23,638 एमवीए से क्षमता विस्तार किया जैसा कि परिशिष्ट-2.2 में विवरण दिया गया है। परिणामस्वरूप, पारेषण क्षमता में 74 प्रतिशत, पारेषण लाइनों की लम्बाई में 36 प्रतिशत एवं वास्तविक पारेषित ऊर्जा में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अग्रेतर, 26,125 एमवीए क्षमता के 93 नये उपकेन्द्र एवं वर्तमान 86 उपकेन्द्रों की 5,889 एमवीए से क्षमता वृद्धि वर्ष 2017–18 के अन्त में प्रगति पर थी।

(ii) डिस्कॉम्स की तुलना में कम्पनी की परिवर्तन क्षमता¹⁰

सीईए के पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी) के प्रस्तर 3.7 में वर्णित है कि पारेषण इकाई डिस्कॉम्स की माँग को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। कम्पनी के 132 केवी उपकेन्द्र डिस्कॉम्स के 33 केवी उपकेन्द्रों से सीधे जुड़े होते हैं।

कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 के दौरान ₹ 17,788.43 करोड़ अपनी पारेषण प्रणाली में वृद्धि/विस्तार करने हेतु विनियोजित किये। समग्र स्तर पर यह देखा गया कि 31 मार्च 2013 को डिस्कॉम्स की 27,981 एमवीए परिवर्तन क्षमता (33/11 केवी उपकेन्द्र एवं 66/11 केवी उपकेन्द्र) के विरुद्ध कम्पनी की परिवर्तन क्षमता 132 केवी उपकेन्द्रों पर 26,590 एमवीए थी जो डिस्कॉम्स की परिवर्तन क्षमता का 95 प्रतिशत थी। हालांकि, उपरोक्त वर्णित खर्च करके, कम्पनी की परिवर्तन क्षमता (इसके 132 केवी

⁹ वर्ष 2017–18 को स्थायी संपत्ति का सकल ब्लॉक यथा ₹ 22,623.98 करोड़ एवं 31 मार्च 2018 के पूँजीगत चालू कार्य ₹ 6,144.66 करोड़ के योग में से 31 मार्च 2013 के स्थायी संपत्ति के सकल ब्लॉक ₹ 8,563.67 करोड़ एवं 31 मार्च 2013 के पूँजीगत चालू कार्य ₹ 2,416.54 करोड़ का योग घटाकर।

¹⁰ पारेषण इकाई के सन्दर्भ में परिवर्तन क्षमता का अर्थ वोल्टेज को उच्चीकृत/निम्नीकृत करने की क्षमता से है।

उपकेन्द्रों पर) 44,423 एमवीए थी जो डिस्कॉम्स के परिवर्तन क्षमता 43,706 एमवीए (33/11 केवी उपकेन्द्र एवं 66/11 केवी उपकेन्द्र) का 102 प्रतिशत थी।

राज्य में उपलब्ध ऊर्जा (राज्य में कुल उत्पादन में आयातित को जोड़कर) के सापेक्ष कम्पनी की पारेषण क्षमता¹¹

2.9 राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, 2005 वर्णित करती है कि पारेषण नेटवर्क में विस्तार की योजना उत्पादन में वृद्धि एवं प्रत्याशित ऊर्जा निकासी एवं पारेषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

वर्षावार कुल उपलब्ध ऊर्जा (राज्य में कुल उत्पादन में आयातित को जोड़कर) एवं कम्पनी की पारेषण क्षमता¹² निम्न तालिका 2.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका-2.4: पारेषण क्षमता की स्थिति

वर्ष	220 केवी उपकेन्द्रों की परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	पारेषण क्षमता मिलियन यूनिट में (एमवीए* 0.9*365 दिन* 24 घंटे /1000) ¹³	बस बार पर उपलब्ध कुल ऊर्जा (राज्य में कुल उत्पादन में आयातित को जोड़कर)	पारेषण क्षमता का कुल उपलब्ध ऊर्जा पर प्रतिशत
1	2	3	4	5 (कॉलम 3/ कॉलम 4*100)
2012-13	22,050	1,73,842.20	77,301.13	225
2013-14	23,570	1,85,825.88	82,712.73	225
2014-15	25,210	1,98,755.64	87,197.75	228
2015-16	28,070	2,21,303.88	93,099.16	238
2016-17	30,700	2,42,038.80	1,06,061.73	228
2017-18	35,430	2,79,330.12	1,19,051.44	235

ओत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

इस प्रकार, पिछले छ: वर्षों के दौरान कम्पनी की पारेषण क्षमता राज्य में उपलब्ध ऊर्जा के 225 प्रतिशत से 238 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थी जो उपलब्ध ऊर्जा को डिस्कॉम्स तक पारेषित करने हेतु पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गयी है:

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूर्ण किये गए उपकेन्द्र एवं कार्य प्रगति पर

2.10 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूर्ण किये गए 172 नये उपकेन्द्रों (क्षमता 20,045 एमवीए) में से 62 नए उपकेन्द्र जिनकी क्षमता 8,895 एमवीए थी, की योजना (पारेषण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित) 2013-14 से 2017-18 के दौरान बनाई गयी थी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान जिन विद्यमान 486 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि (क्षमता 23638 एमवीए) की गयी उनमें से 297 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना 2013-14 से 2017-18 के दौरान बनाई गयी थी। शेष बचे 110 नए उपकेन्द्र जिनकी क्षमता 11,150 एमवीए थी एवं 189 उपकेन्द्र की 9,721 एमवीए से क्षमता वृद्धि की योजना 2013-14 से पूर्व बनाई गयी थी।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान बनाई गयी योजना में नए बने उपकेन्द्रों एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की स्थिति तालिका 2.5 में सारांकित की गयी है।

¹¹ पारेषण इकाई के सन्दर्भ में पारेषण क्षमता का अर्थ उत्पादन इकाई से वितरण इकाई तक अपने पारेषण नेटवर्क से ऊर्जा का चक्रण है।

¹² 220 केवी उपकेन्द्र मध्यवर्ती उपकेन्द्र होते हैं जो समस्त उपकेन्द्रों (उच्च के साथ साथ निम्न गोल्टेज उपकेन्द्र) से जुड़े रहते हैं। अतः कम्पनी की पारेषण क्षमता की गणना हेतु 220 केवी उपकेन्द्रों की परिवर्तन क्षमता ली गयी है।

¹³ एमवीए को मिलियन यूनिट में परिवर्तित करने के मानक सूत्र के अनुसार।

तालिका-2.5: नवनिर्भित उपकेन्द्रों एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का विवरण

वर्ष	नए उपकेन्द्रों का विवरण					वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का विवरण			
	नियोजित उपकेन्द्रों की संख्या	नियोजित उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	नियोजित उपकेन्द्रों की स्थिति (संख्या)	पूर्ण प्रगति पर	नियोजित उपकेन्द्रों की संख्या	नियोजित उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	पूर्ण प्रगति पर		
2013-14	14	1,440	12	2	38	2,083	38	-	
2014-15	52	12,118	29	23	28	1,389	27	1	
2015-16	34	7,556	20	14	142	6,626	135	7	
2016-17	21	7,394	1	20	94	4,629	84	10	
2017-18	34	6,512	शून्य	34	81	5,080	13	68	
योग	155	35,020	62	93	383	19,807	297	86	

चोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त वर्णित करता है कि लेखापरीक्षा की अवधि में निर्माण हेतु नियोजित 155 उपकेन्द्र (अनुमोदित लागत ₹ 9,954.31 करोड़) में से केवल 62 उपकेन्द्र (अनुमोदित लागत ₹ 2,655.79 करोड़) पूर्ण किये जा सके। शेष 93 उपकेन्द्रों (अनुमोदित लागत ₹ 7,298.52 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति पर था (मार्च 2018)। इसी प्रकार क्षमता वृद्धि हेतु नियोजित 383 उपकेन्द्रों (अनुमोदित लागत ₹ 1,940.31 करोड़) में से 297 उपकेन्द्रों (₹ 1,425.16 करोड़) की क्षमता वृद्धि की जा सकी एवं 86 उपकेन्द्रों (अनुमोदित लागत ₹ 515.15 करोड़) की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर था।

179 उपकेन्द्र (नए उपकेन्द्र 93 एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु 86) जिनका कार्य प्रगति पर था में से 47 उपकेन्द्र (नए उपकेन्द्र-39 एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि-8) जो वर्ष 2015-16 तक नियोजित किये गए थे, दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किये जा सके। क्षमतावार नियोजित उपकेन्द्र, पूर्ण किये गए उपकेन्द्र एवं ऐसे उपकेन्द्र जिनका कार्य 31 मार्च 2018 तक प्रगति पर था, का विवरण परिशिष्ट-2.3 में दर्शाया गया है। इनके पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तर संख्या 2.22, 2.23, 2.24 एवं 2.25 में की गयी है।

परियोजना का नियोजन

2.11 मुख्य अभियंता (नियोजन) के अधीन कम्पनी की नियोजन इकाई पारेषण परियोजनाओं की औपचारिक नियोजन एवं उनके अनुमोदन हेतु केंद्रीय इकाई है। नए उपकेन्द्रों के निर्माण/वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की नयी परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ़िल्ड इकाइयों द्वारा निदेशक (संचालन) को भेजे जाते हैं। निदेशक (संचालन) के स्तर पर प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त, परियोजनाएं नियोजन इकाई द्वारा पारेषण कार्य समिति (टीडब्ल्यूसी) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

2.12 विद्युत अधिनियम¹⁴ 2003 के अनुरूप, कम्पनी क्षमता विस्तार हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार करती है एवं इसका अनुमोदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त करती है। सीईए ने हालाँकि 11वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की, ऊर्जा निकासी परियोजनाओं को छोड़कर, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) का अनुमोदन, सीईए द्वारा प्रदान नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कम्पनी ने ग्रिड सुदूर्धीकरण पारेषण परियोजनाओं को अपने टीडब्ल्यूसी में प्रकरणवार

¹⁴ विद्युत अधिनियम की धारा 39 को यूपीईआरसी की 'राज्यन्तारिक पारेषण प्रणाली में संयोजन देने हेतु अनुमोदित प्रक्रिया' के साथ पढ़ें तो राज्य पारेषण इकाई को राज्यन्तारिक पारेषण योजना सीईए के समन्वय से तैयार करनी होती है।

प्रस्तुत किया। अग्रेतर, कम्पनी ने 12 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्मित 400 केवी एवं 765 केवी उपकेन्द्रों हेतु सीईए से पृथक रूप से अनुमोदन प्राप्त किया।

2.13 कम्पनी के पास अपनी नियोजन प्रक्रिया के दिशानिर्देशन हेतु कोई परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली (नियमावली) नहीं है। नियमावली नहीं होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में तदर्थ निर्णय लिए गए जिनकी चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों 2.16, 2.17 एवं 2.18 में की गयी है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि, चूंकि कम्पनी सीईए द्वारा निर्गत पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी) का अनुसरण करती है, अतः इसके लिए अपनी नियोजन नियमावली बनाना वांछनीय नहीं है। तथ्य यह है कि निर्धारित नीति अथवा प्रक्रिया के अभाव में स्थिति यह है कि नई परियोजनाओं से सम्बंधित कम्पनी की कोई नीति प्रलेखित नहीं है। समापन बैठक में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने कम्पनी को नियमावली तैयार करने एवं बोर्ड से अनुमोदित कराने हेतु निर्देशित किया।

नए उपकेन्द्रों के निर्माण की दोषपूर्ण योजना

2.14 नए उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु परियोजना शुरू करने से पूर्व कम्पनी को संयोजित भार में वृद्धि स्वयं आंकलित करने के बजाय प्रत्याशित भार में वृद्धि का आंकलन वास्तविकता के आधार पर प्रयोक्ता इकाइयों अर्थात् डिस्कॉम्स से सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दोषपूर्ण योजना के कारण कम्पनी ने भार के उचित आंकलन के बिना उपकेन्द्रों का निर्माण किया। नमूना जाँच की गयी इकाइयों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के परिणामों की नीचे चर्चा की गयी है:

(i) उपकेन्द्र स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हुए

एमटीपीसी में वर्णित है कि किसी भी उपकेन्द्र पर अधिकतम भार उस पर स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, एमटीपीसी के प्रावधानों के दृष्टिगत, वर्तमान पारेषण परियोजनाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार प्रणाली की क्षमता वृद्धि एवं अतिरेक हेतु नियोजन होना चाहिए।

नमूना जाँच किये गए 89 नये उपकेन्द्रों में से, कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान 11 उपकेन्द्रों का, भविष्य के भार वृद्धि के वास्तविक आंकलन के बिना, निर्माण किया। भावी भार वृद्धि का आंकलन वास्तविक डाटा से समर्थित नहीं था। डिस्कॉम्स ने भी इसको सुनिश्चित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, ये उपकेन्द्र स्थापित/क्षमता वृद्धि होने के एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हो गये जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है। इन उपकेन्द्रों की स्थिति को निम्न तालिका 2.6 में सारांकित किया गया है।

तालिका-2.6: स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हुए उपकेन्द्रों का विवरण

उपकेन्द्रों की क्षमता	प्रकरणों की संख्या	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)	स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत के विरुद्ध संयोजित भार का प्रतिशत
220 केवी	2	142.12	113 से 125
132 केवी	9	177.42	102 से 281

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इन उपकेन्द्रों के स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर संयोजित भार का प्रतिशत 102 से 281 प्रतिशत तक विस्तारित था जो कम्पनी के अनुचित नियोजन को दर्शाता है। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गए निम्नलिखित प्रकरणों में नियोजन में त्रुटियाँ प्रकट हुईं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टीडब्लूसी ने 220 केवी उपकेन्द्र, नीबकरोरी, फरुखाबाद (विद्युत पारेषण खण्ड—फतेहगढ़) का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 107.13 करोड़ पर अनुमोदित किया (जनवरी 2015)। उपकेन्द्र की प्रस्तावित क्षमता 200 एमवीए (2×100 एमवीए) थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 220 केवी उपकेन्द्र के प्रस्ताव के विचाराधीन एवं अनुमोदित होने के समय (जनवरी 2015), प्रस्तावित उपकेन्द्र से पोषित होने वाले 132 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता पहले से 223 एमवीए¹⁵ थी। टीडब्लूसी ने इसे अनदेखा किया जो आधारभूत कार्यों एवं नियोजन में कमी को दर्शाता है।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2019) कि पारेषण ढांचे को स्थापित होने में तीन से पाँच वर्ष लगते हैं। इसने यह भी सूचित किया कि उपकेन्द्रों पर पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन किया जा चुका है। तथ्य यह है कि उपरोक्त उपकेन्द्र स्थापित/क्षमता वृद्धि किये जाने से एक वर्ष के अन्दर ही अतिभारित हो गये जो यह दर्शाता है कि टीडब्लूसी प्रत्याशित माँग को वास्तविक रूप से आंकलित करने में असफल रही।

(ii) अन्य अतिभारित उपकेन्द्र

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 132 केवी के 29 उपकेन्द्रों एवं 220 केवी के पाँच उपकेन्द्रों पर संयोजित भार, इनकी स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से ज्यादा था जैसा कि परिशिष्ट-2.5 में विवरण दिया गया है। अतिभारित उपकेन्द्रों की स्थिति को नीचे तालिका 2.7 में सारांकित किया गया है।

तालिका-2.7: स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत के विरुद्ध अतिभारित उपकेन्द्रों का विवरण

उपकेन्द्रों की क्षमता	कुल अतिभारित उपकेन्द्रों की संख्या	स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से ऊपर अतिभारित उपकेन्द्रों की संख्या		
		25 से 50 प्रतिशत	50 से 100 प्रतिशत	100 प्रतिशत एवं इससे ऊपर
132 केवी उपकेन्द्र	29	14	11	4
220 केवी उपकेन्द्र	5	3	2	-
योग	34	17	13	4

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त 34 उपकेन्द्रों के अतिभारित होने के बावजूद कम्पनी, प्रणाली की समीक्षा करने एवं इन उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना तैयार करने अथवा स्थिति को सुधारने हेतु नए उपकेन्द्रों के निर्माण की संभावना तलाशने में असफल रही। अतिभारित उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करने में असफल होने के कारण भार में कटौती की गयी एवं वोल्टेज की गुणवत्ता खराब रही। पारेषण सुरक्षा प्रणाली का स्थायित्व एवं ग्रिड अनुशासन भी खतरे में रहा।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2019) कि पारेषण नियोजन हेतु संयोजित भार कसौटी नहीं है। बल्कि 220 केवी एवं 132 केवी उपकेन्द्र की अतिभारिता वास्तविक समय में देखी जाती है। हालाँकि, किसी अतिभारिता को दूर करने के लिए नए उपकेन्द्र/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमटीपीसी पारेषण नियोजन हेतु घटक के रूप में वास्तविक समय में अतिभारिता नहीं बल्कि संयोजित भार को विचारित करने हेतु बताता है। तथ्य यह है कि उपकेन्द्र अतिभारित थे।

(iii) उपकेन्द्रों पर निष्क्रिय क्षमता का सृजन

(अ) 132 केवी उपकेन्द्रों का नियोजन डिस्कॉम्स की प्रत्याशित माँग के अनुरूप करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये उपकेन्द्र डिस्कॉम्स के वितरण नेटवर्क के 33 केवी उपकेन्द्रों से सीधे संयोजित होते हैं। अतः नये 132 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता डिस्कॉम्स की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावित की जानी चाहिए। नमूना जाँच किये गये

¹⁵ 132 केवी कन्नौज-103 एमवीए, कायमगंज-40 एमवीए एवं नीबकरोरी-80 एमवीए।

89 उपकेन्द्रों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने ₹ 90 करोड़ की अनुमोदित लागत से आवश्यकता से अत्यधिक क्षमता के 132 केवी के तीन उपकेन्द्रों का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप सम्बंधित उपकेन्द्रों में निष्क्रिय क्षमता सृजित हुई जो स्थापित होने के दो वर्षों के पश्चात् भी उपयोग नहीं की जा सकी, जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.8: उपकेन्द्रों की निष्क्रिय क्षमता के सृजन को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए में)	टीडब्लूसी के अनुमोदन के समय प्रत्याशित भार (एमवीए में)	संयोजित भार (एमवीए में)	स्थापित होने का दिनांक (डीओसी)	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)
1	विद्युत पारेषण खण्ड-II, प्रयागराज	132 केवी सलाय खुर्द	80	25	20	28.10.2016	42.00
2	विद्युत पारेषण खण्ड-I, वाराणसी	132 केवी कुरसातो	80	35	20	23.11.2016	31.00
3	विद्युत पारेषण खण्ड, बहराइच	132 केवी बेगमपुर	80	35	30	17.01.2017	17.00
योग		240	95	70			90.00

झोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

(ब) पारेषण कम्पनी द्वारा 132 केवी उपकेन्द्रों का निर्माण सम्बंधित डिस्कॉम्स के अनुप्रवाह 33 केवी उपकेन्द्र के उपलब्धता/निर्माण से समक्रमिक होना चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 132 केवी के 80 एमवीए क्षमता के दो उपकेन्द्र¹⁶ जो क्रमशः दिसम्बर 2016 एवं जून 2017 में ₹ 45.43 करोड़ की लागत से स्थापित हुए लेकिन डिस्कॉम¹⁷ द्वारा सम्बंधित 33 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी के कारण ये उपकेन्द्र अभी तक संयोजित नहीं हो सके। इसके परिणामस्वरूप ये उपकेन्द्र वाणिज्यिक भार पर अभी तक नहीं डाले जा सके क्योंकि इन उपकेन्द्रों पर अभी तक (नवम्बर 2018) कोई भार संयोजित नहीं किया जा सका। इससे न केवल ₹ 45.43 करोड़ का कोष अवरुद्ध रहा बल्कि केवल एक वर्ष में ₹ 9.59 करोड़¹⁸ की चक्रण शुल्क की हानि हुई। यह पारेषण इकाई एवं डिस्कॉम के मध्य समक्रमिकता के अभाव का संकेतक है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि पारेषण उपकेन्द्र वर्तमान भार, डिस्कॉम के भार आंकलन एवं डीपीआर के अनुसार उनके भावी संयोजित भार के अनुसार सृजित किये गए। अतः, कम्पनी के स्तर पर कोई गलती नहीं थी। तथ्य यह है कि उपरोक्त उपकेन्द्र या तो अतिभारित थे या उनकी क्षमता निष्क्रिय थी जो त्रुटिपूर्ण नियोजन प्रक्रिया का संकेतक था।

(iv) उपकेन्द्रों की अधिकतम अनुमन्य सीमा से अधिक स्थापित क्षमता

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्गत पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी) विभिन्न उपकेन्द्रों पर अनुमन्य अधिकतम क्षमता को प्रावधानित करता है जो 220 केवी के लिए 320 एमवीए एवं 132 केवी उपकेन्द्रों के लिए 150 एमवीए है।

¹⁶ आजमगढ़ जिले में रानी की सराय एवं बिन्दवल जयराजपुर प्रत्येक 40 एमवीए क्षमता के जिनकी लागत क्रमशः ₹ 31.50 करोड़ एवं ₹ 13.93 करोड़ थी।

¹⁷ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

¹⁸ 80 एमवीए * 80 प्रतिशत * 0.9 * 24 घंटे * 365 दिन * ₹ 0.19/1000 = ₹ 9.59 करोड़ (चक्रण शुल्क ₹ 0.19 प्रति यूनिट की दर पर)।

लेखापरीक्षा ने चयनित इकाइयों में देखा कि 220 केवी के दो उपकेन्द्रों¹⁹ की क्षमता दिसम्बर 2016 से मई 2019 के मध्य अधिकतम अनुमन्य स्तर से अधिक थी।

समान प्रकृति की टिप्पणी 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रस्तर 2.1.28 में की गयी थी। हालाँकि अनियमितता अभी भी बनी हुई है।

संस्तुति: कम्पनी के पास परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली होनी चाहिए। भावी आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुए इसे पारेषण परियोजनाओं हेतु दीर्घ अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए।

अनुबन्ध एवं क्रय प्रबन्धन

2.15 अपनाई गई प्रथा के अनुसार, कम्पनी समस्त अनुमोदित परियोजनाओं हेतु आवश्यक मुख्य सामग्रियों की मात्रा पहले आंकित करती है एवं प्रत्येक मुख्य सामग्री हेतु पृथक निविदा आमंत्रित करती है। अग्रेतर, क्रय की वृहद् मात्रा के कारण निविदित मात्रा सभी अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं को कॉर्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) द्वारा अनुमोदित निम्नतम दर पर प्रति प्रस्ताव करते हुए वितरित कर दी जाती हैं।

कम्पनी ने न कोई क्रय नीति/नियमावली निर्धारित की और न ही कोई सामयिक क्रय योजना तैयार की। कम्पनी ने नई परियोजनाओं (उपकेन्द्र), विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि एवं संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) कार्यों हेतु सामग्री की आवश्यकता के विरुद्ध क्रय तदर्थ रूप से खुली निविदा के माध्यम से किया। अनुबन्ध एवं क्रय प्रबन्धन से सम्बन्धित कमियों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गयी है।

निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिकता बिना सामग्री का क्रय

2.16 पारेषण प्रणाली की लागत कम करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं से सामग्रियों को स्थल पर वास्तविक आवश्यकता के समय प्राप्त करना चाहिए तथा इसे निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिक होना चाहिए। अन्यथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री निष्क्रिय पड़ी रहेगी जिससे सम्बन्धित धारित लागत के साथ कोष अवरुद्ध रहेगा। चूंकि कम्पनी परियोजना लागत का 70 प्रतिशत आरईसी/पीएफसी से प्रचलित ब्याज दरों (10.50 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत के मध्य विस्तारित) पर ऋण के रूप में प्राप्त करती है, अतः सम्बन्धित धारण लागत बहुत ज्यादा होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने मुख्य सामग्री अर्थात् परिवर्तक एवं कंडक्टर क्रय करते समय स्थल पर वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा। अग्रेतर, क्रय को निर्माण कार्यों से समक्रमिक नहीं किया गया। नमूना जाँच की गयी 42 इकाइयों में से 14 इकाइयों²⁰ के 32 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 85.26 करोड़ मूल्य की सामग्री फील्ड इकाइयों द्वारा प्रत्याशित उपयोग से अत्यधिक पूर्व में प्राप्त की गयी। 16 प्रकरणों में सामग्री छः माह की अवधि तक प्रयोग में नहीं लाई जा सकी, पाँच प्रकरणों में सामग्री का प्रयोग छः से 12 माह तक नहीं किया जा सका जबकि 11 प्रकरणों में सामग्री 12 माह से अधिक अवधि हेतु निष्प्रयोज्य पड़ी रही। परिणामस्वरूप, सामग्री एक माह से अड़तीस माह (तीन माह लीड अवधि के रूप में छोड़कर) तक विस्तारित अवधि में प्रयोग नहीं की जा सकी जैसा कि परिशिष्ट-2.6 में विवरण दिया गया है। कम्पनी ने इन सामग्रियों हेतु आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान कर दिया।

¹⁹ 220 केवी उपकेन्द्र: रीवा रोड (520 एमवीए) एवं बरहुआ (520 एमवीए)।

²⁰ विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)—मऊ; ईटीडी—गोरखपुर; ईटीडी—अलीगढ़; ईटीडी-II वाराणसी; ईटीडी-II आगरा; ईटीडी—आजमगढ़; ईटीडी—बहराइच; ईटीडी—बाँदा; ईटीडी—फैजाबाद; ईटीडी—I लखनऊ; ईटीडी-II इलाहाबाद; ईटीडी-II कानपुर; ईटीडी-III वाराणसी; ईटीडी—सीतापुर।

निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिकता सुनिश्चित किये बिना किये गए क्रय से ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 5.45 करोड़²¹ का परिहार्य बोझ पड़ा। क्रय की गयी सामग्री के निष्ठायोज्य पड़े रहने से इनकी गुणवत्ता खराब होने की प्रबल सम्भावना थी।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि कुछ प्रकरणों में सामग्री की आपूर्ति एवं निर्माण में असंतुलन कुछ अदृष्ट कारणों से होता है एवं यदि ऐसा अनुभव होता है कि आवंटित सामग्री का प्रयोग अधिक समय तक नहीं हो पायेगा तो इनका दूसरे कार्यों पर आवंटन हेतु विचार किया जाता है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 85.26 करोड़ मूल्य की मुख्य श्रेणियों की सामग्री अर्थात् परिवर्तक एवं कंडक्टर एक माह से अड़तीस माह तक विस्तारित अवधि में निष्ठायोज्य पड़े थे जो इंगित करता है कि इनका पुनर्नियोजन नहीं किया गया।

टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) से परिवर्तकों का क्रय

2.17 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रॉन्समिशन सिस्टम (बीपीआईटीएस) में पारेषण लाइनों एवं उपकेन्द्रों के कार्यों एवं सामग्री के क्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। बीपीआईटीएस का प्रस्तर 5(i) प्रावधानित करता है कि उपकेन्द्रों के निर्माण को टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जाये जिसमें ट्रान्सफार्मर / रिएक्टर को अलग से क्रय किया जायेगा एवं टर्नकी ठेकेदार द्वारा लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2013–14 से 2107–18 के मध्य 116 उपकेन्द्र जो टर्नकी आधार पर अनुबन्धित किये गए, में से 102 उपकेन्द्रों (88 प्रतिशत) कम्पनी ने परिवर्तकों की आपूर्ति के बिना प्रदान किये जबकि 14 उपकेन्द्रों (12 प्रतिशत) के प्रकरणों में निर्माण कार्य परिवर्तकों की आपूर्ति के साथ प्रदान किये। इन 14 उपकेन्द्रों जो टर्नकी आधार पर परिवर्तकों की आपूर्ति के साथ प्रदान किये गए थे, की अग्रेतर जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्न देखा:

(i) 220 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण के चार प्रकरणों में टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्तित परिवर्तकों की लागत, कम्पनी द्वारा उसी अवधि में स्वयं क्रय किये गए समान क्षमता के परिवर्तकों की तुलना में 24 प्रतिशत से 68 प्रतिशत अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.64 करोड़ की हानि हुई जिसका विवरण परिशिष्ट-2.7 में दिया गया है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि दोनों क्रय की दरों में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों क्रय में भुगतान की शर्तों में अन्तर है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को टर्नकी अनुबन्ध के अन्तिमीकरण से पहले ही परिवर्तकों के दर की अच्छी तरह से जानकारी थी एवं लेखापरीक्षा की जाँच से स्पष्ट हुआ कि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किये गए परिवर्तक कम्पनी द्वारा समान क्षमता के स्वयं क्रय किये गए परिवर्तकों की तुलना में अधिक खर्चीले (24 प्रतिशत से 68 प्रतिशत) थे। कीमत में इस वृहद् भिन्नता को भुगतान की विभिन्न शर्तों के आधार पर तर्कसंगत नहीं किया जा सकता।

(ii) चार प्रकरणों में टीकेसी को परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु ₹ 8.56 करोड़ का भुगतान उनके वास्तविक निर्माण से 28 माह से 41 माह पूर्व किये जाने के कारण ₹ 1.73 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जैसा कि तालिका 2.9 में विवरण दिया गया है।

²¹ स्थापना हेतु तीन माह लीड अवधि छोड़कर सामग्री के मूल्य के 70 प्रतिशत पर 10.50 प्रतिशत, जो कि सबसे कम दर थी, की दर से नवम्बर 2018 तक गणना की गयी।

तालिका–2.9: निर्माण से अत्यधिक पूर्व टीकेसी को परिवर्तकों के क्रय हेतु भुगतान का विवरण

टीकेसी/परियोजना का नाम	संख्या एवं परिवर्तक की क्षमता	आपूर्ति/निर्माण का दिनांक	मूल्य (₹ करोड़ में)	टीकेसी को किया गया भुगतान (आपूर्ति मूल्य का 70 प्रतिशत)	लीड अवधि के रूप में तीन माह को छोड़ते हुए परिवर्तकों के निष्योज्य पड़े रहने की अवधि (माह में)	ब्याज की हानि ₹ करोड़ में (टीकेसी को किये गये भुगतान के 70 प्रतिशत ²² पर 10.5 प्रतिशत की दर से गणना की गयी)
मेसर्स सीजीएल / 220 केवी सिराथू	160 एमवीए	अक्टूबर 2011/जून 2014	4.70	3.29	28	0.56
मेसर्स सीजीएल / 220 केवी सिराथू	160 एमवीए	अक्टूबर 2011/जुलाई 2015	4.70	3.29	41	0.83
मेसर्स पीएमई / 132 केवी सराय अकिल	20 एमवीए	नवम्बर 2012/जुलाई 2015	1.42	0.99	28	0.17
मेसर्स पीएमई / 132 केवी सराय अकिल	20 एमवीए	नवम्बर 2012/जुलाई 2015	1.42	0.99	28	0.17
योग			12.24	8.56		1.73

झोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी के कारण परिवर्तकों की स्थापना में विलम्ब हुआ। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये उपकेन्द्र टर्नकी आधार पर दिए गए थे। अतः टर्नकी ठेकेदारों को विलम्ब, यदि कोई हो, की अच्छी तरह जानकारी थी। अतः टर्नकी ठेकेदार द्वारा परिवर्तकों की आपूर्ति, स्थल पर वास्तविक आवश्यकता को समक्रमिक करते हुए की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, कम्पनी ने बीपीआइटीएस की अनुशंसाओं का 102 प्रकरणों (88 प्रतिशत) में अनुकरण किया लेकिन 14 प्रकरणों (12 प्रतिशत) में बिना किसी कारण को प्रलेखित किये विचलन किया जिसके परिणामस्वरूप टर्नकी अनुबन्धों में परिवर्तकों की आपूर्ति शामिल किये जाने के कारण ₹ 17.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि टर्नकी अनुबन्धों में परिवर्तकों को शामिल न करना अनिवार्य नहीं है एवं इसीलिए कुछ टर्नकी अनुबन्धों में देरी से बचने के लिए परिवर्तकों को शामिल किया गया। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित (सितम्बर 2019) किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने 102 प्रकरणों (88 प्रतिशत) में बीपीआइटीएस का अनुकरण किया और इन परियोजनाओं में परिवर्तकों की आपूर्ति में देरी के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ।

अनुबन्ध के महत्वपूर्ण उपबन्ध को लागू करने में विफलता

2.18 ‘निविदादाताओं को निर्देश’ उपबन्ध के अनुसार यदि आदेशित उपकरण की मात्रा निर्धारित वितरण तिथि एवं नयी निविदा के अन्तिमीकरण तक अनापूर्तित रहती है एवं उपकरण की कीमत नयी निविदा में गिर जाती है, तो अनुबन्धकर्ता को उपकरण की कीमत नयी निविदा की कीमत के स्तर तक कम करना होगा। हालाँकि इस उपबन्ध को लागू नहीं किया गया जैसा कि निम्न प्रस्तर में बताया गया है।

परिवर्तकों के क्रय हेतु कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 की अवधि के मध्य विभिन्न निविदाएँ आमंत्रित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्ववर्ती निविदा की वैधता अवधि में,

²² परियोजना की कुल लागत में ऋण का भाग।

अगली निविदा में अन्तिमीकृत की गई दर पूर्ववर्ती निविदा की दरों की तुलना में कम पायी गयी। कीमतों में कमी का लाभ प्राप्त करने हेतु कम्पनी को पूर्ववर्ती निविदा की शेष मात्रा की आपूर्ति अगली निविदा की दरों पर करने हेतु आग्रह करके अनुबन्ध के उपरोक्त उल्लिखित उपबन्ध को लागू कराना चाहिए था। ऐसा करने में असफल रहने के कारण ₹ 2.77 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि निम्न तालिका 2.10 में विवरण दिया गया है।

तालिका—2.10: अनुवर्ती निविदा के बजाय पूर्ववर्ती निविदा की दरों पर क्रय किये गए परिवर्तकों का विवरण

परिवर्तकों की क्षमता	पूर्ववर्ती निविदा संख्या	निविदित मात्रा (संख्या)	दर ₹ करोड़ में (प्रति परिवर्तक)	पूर्ववर्ती निविदा के विरुद्ध क्रय हेतु शेष मात्रा	अनुवर्ती निविदा संख्या	निविदित मात्रा (संख्या)	दर ₹ करोड़ में (प्रति परिवर्तक)	अन्तर ₹ करोड़ में	अतिरिक्त व्यय ₹ करोड़ में		
63 एमवीए	ईएसडी/377	22	1.87	7	ईएसडी /403	35	1.79	0.09	0.56		
63 एमवीए	ईएसडी/403	35	1.79	11	ईएसडी /426	42	1.72	0.07	0.77		
40 एमवीए	ईएसडी/376	28	1.51	12	ईएसडी /430	25	1.39	0.12	1.44		
योग				30							2.77

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

इसके अतिरिक्त, सभी प्रकरणों में दोनों पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती निविदा में फर्म समान थीं। समान प्रकृति की टिप्पणी 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रस्तर 2.1.18 में की गयी थी।

शासन/कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि फर्म द्वारा 23 परिवर्तकों की अंतिम जाँच का प्रस्ताव अगली निविदा के अन्तिमीकरण के पश्चात दिया गया था। अतः सम्बन्धित फर्म से ₹ 2.09 करोड़ की वसूली अपेक्षित है। इसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तथ्य यह है कि वसूली अभी भी की जानी है।

अनुबन्ध के उपबन्ध का उल्लंघन करके अनुबन्धकर्ता को अनुचित लाभ

2.19 कम्पनी ने एक ठेकदार को 400 केवी डीसी लाइन की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण एवं प्रवर्तन का कार्य दो पैकेजों²³ में क्रमशः ₹ 90.96 करोड़ एवं ₹ 205.94 करोड़ की अनुबन्धित लागत पर प्रदान (नवम्बर 2010) किया। हालाँकि, खराब प्रगति एवं ठेकेदार की अनिच्छा के कारण कम्पनी द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया (मई 2014)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबन्ध के विशेष नियम एवं शर्तों का उपबन्ध 19.1 प्रावधानित करता है कि कार्य के सही गुणवत्ता एवं संतोषजनक निष्पादन हेतु ठेकेदार को अनुबन्ध के मूल्य के 10 प्रतिशत की परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करना आवश्यक थी जो संयंत्र को अधिकार में लेने के 12 माह पश्चात् तक वैध होगी। इस प्रकार, ठेकेदार को कुल लागत (₹ 90.96 करोड़ + ₹ 205.94 करोड़) के 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 29.69 करोड़ की पीबीजी जमा करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल ने बिना किसी कारण को प्रलेखित किये, सम्पूर्ण 10 प्रतिशत की पीबीजी लेने के बजाय ठेकेदार के रनिंग बिलों से 10 प्रतिशत पीबीजी काटा। इसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध निरस्त करते समय

²³ पैकेज-1 के अन्तर्गत 400 केवी डीसी बॉदा-उरई की 100 किमी. लाइन एवं पैकेज-2 के अन्तर्गत 400 केवी डीसी बॉदा-इलाहाबाद की 200 किमी।

₹ 29.69 करोड़ की आवश्यक राशि के सापेक्ष सिफर ₹ 18.37 करोड़ ही जब्त करने हेतु उपलब्ध थे।

इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 11.32 करोड़ (₹ 29.69 करोड़ – ₹ 18.37 करोड़) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

शासन/कम्पनी ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार किया (सितम्बर 2019) एवं बताया कि अब एलओआई निर्गत करने से 30 दिनों के अन्दर पीबीजी जमा कराई जा रही है, जिसके बिना किसी भी बिल के भुगतान की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। यद्यपि टिप्पणी को स्वीकार कर लिया गया किन्तु ₹ 11.32 करोड़ के हानि की वसूली पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तर में अनुबन्ध के प्रावधान के स्पष्ट उल्लंघन में ठेकेदार को पीबीजी जमा करने से छूट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की भी चर्चा नहीं की गयी।

गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को नहीं उठाना/वापस करना

2.20 आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये गए अनुबन्ध के अनुसार, आपूर्ति किये गए परिवर्तक ऊर्जाकरण की तिथि से 60 माह/आपूर्ति की तिथि से 66 माह, जो भी पहले हो, तक गारंटी में आच्छादित होते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी आपूर्तिकर्ता द्वारा 60 / 66 माह की गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए ₹ 24.75 करोड़ मूल्य के 63 एमवीए के 15 परिवर्तक नहीं उठाये गए। इन परिवर्तकों को अब त्रुटिपूर्ण के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया। अग्रेतर, विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी), बाँदा में फर्म द्वारा गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त 63 एमवीए का एक 132 / 33 केवी परिवर्तक उठा लिया गया (अक्टूबर 2017) किन्तु मरम्मत के बाद अभी तक (नवम्बर 2018) वापस नहीं किया गया।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि ₹ 5.20 करोड़ का एक बिल रोक लिया गया है, ₹ 1.80 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) भुना ली गयी है और ₹ 13.64 करोड़ की बीजी कम्पनी के पास उपलब्ध है एवं इन क्षतिग्रत परिवर्तकों की मरम्मत इस राशि से करायी जाएगी। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि परिवर्तकों की मरम्मत अभी तक नहीं करायी गयी थी एवं बीजी नहीं भुनाई गयी थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास उपलब्ध राशि क्षतिग्रस्त हानि को वसूल करने हेतु पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार, अनुबन्ध की शर्तों को संज्ञान में लेने की विफलता के कारण कम्पनी नुकसान की पर्याप्त भरपाई से वंचित हो गयी।

संस्तुतियां: कम्पनी की एक क्रय नीति/अधिप्राप्ति नियमावली होनी चाहिए। इसकी अधिप्राप्ति योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समक्रमिक होनी चाहिए। इसको अनुबन्ध के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तन्त्र बनाना चाहिए।

परियोजना का अधिनिर्णय एवं क्रियान्वयन

2.21 एक पारेषण परियोजना के तीन भाग होते हैं यथा, उपकेन्द्र, उपकेन्द्र की पोषक लाइनें एवं अन्य पारेषण/वितरण उपकेन्द्रों को पोषित करने के लिए बहिर्गमी लाइनें। कम्पनी ने पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पैकेजों की परिकल्पना तैयार की एवं इनको विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को नए उपकेन्द्र के कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किया। इसके अलावा नए उपकेन्द्र विभागीय पद्धति से भी बनाये गए। विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य विभागीय पद्धति से किया गया।

परियोजनाओं के अधिनिर्णय हेतु कम्पनी ने खुली निविदाएँ आमंत्रित की एवं कॉर्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) से अनुमोदन के उपरान्त टर्नकी ठेकेदारों/फर्म (एल-1 निविदाकर्ता) को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत किया। एलओआई निर्गत करने के उपरान्त, कम्पनी के सम्बंधित विद्युत पारेषण खण्डों द्वारा कार्यों को निष्पादित कराया गया।

परियोजनाओं के अधिनिर्णय एवं उनके क्रियान्वयन में देखी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है।

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

2.22 परियोजनाओं के निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) / ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2005 में गठित टास्क फोर्स ने व्यक्त किया कि प्रारम्भिक कार्यों (जैसे—सर्वेक्षण, परिकल्पना एवं परीक्षण, वन एवं अन्य वैधानिक अनुमति की कार्यवाही, निविदा कार्यवाही इत्यादि) को परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानांतर करके परियोजना की क्रियान्वयन अवधि में बड़ी कमी संभव है। इसे 24 माह के लक्षित अवधि में पूर्ण करने हेतु पारेषण लाइन/परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। टास्क फोर्स के सुझावों के क्रम में कम्पनी ने 132 केवी, 220 केवी एवं 400 केवी उपकेन्द्रों को अधिनिर्णय की तिथि से क्रमशः 12 माह, 18 माह एवं 24 माह की समय अवधि में परियोजना को पूर्ण करने के लक्ष्य को अंगीकार किया है। हालाँकि, कम्पनी ने विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की है। अतः लेखापरीक्षा ने ऐसे प्रकरणों में लक्षित समय अवधि छः माह मानी है।

2013–14 से 2015–16²⁴ के मध्य नियोजित 100 नए उपकेन्द्रों में से 72 एवं 2013–14 से 2016–17²⁵ के मध्य 302 उपकेन्द्रों की नियोजित क्षमता वृद्धि में से 93 उपकेन्द्रों में विलम्ब की सारांकित स्थिति को तालिका 2.11 में वर्णित किया गया है।

तालिका-2.11: 2013–14 से 2017–18 के मध्य विलम्ब की स्थिति को दर्शाता विवरण

उपकेन्द्रों की क्षमता	प्रकरणों की संख्या	नए उपकेन्द्रों/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु टीडब्लूसी से 24/6 माह से अधिक कुल विलम्ब माह में	विभिन्न चरणों में विलम्ब			(माह में)
			कार्यों के अधिनिर्णय में विलम्ब (नए उपकेन्द्रों/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु टीडब्लूसी से दो/एक माह छोड़कर/प्रकरणों की संख्या)	स्पष्ट स्थल सौंपने में विलम्ब (अधिनिर्णय की तिथि से एक माह छोड़कर/प्रकरणों की संख्या)	ठेकेदार द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब (अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित तिथि से ऊपर/प्रकरणों की संख्या)	
नए उपकेन्द्रों से सम्बंधित विवरण						
132 केवी	48	1 से 35	3 से 45/(28)	1 से 21/(16)	2 से 21/(20)	
220 केवी	22	1 से 37	2 से 21/(19)	1 से 9/(12)	4 से 22/(7)	
400 केवी	2	6 से 20	10 एवं 14/(2)	19 एवं 36/(2)	दोनों कार्य अभी प्रगति पर हैं	
योग	72					
उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि से सम्बंधित विवरण						
132 केवी	56	7 से 28	1 से 28/(49)	-	1 से 17/(39)	
220 केवी	31	8 से 33	5 से 30/(24)	-	1 से 19 (20)	
400 केवी	6	8 से 23	13 से 16/(4)	-	3 से 11/(5)	
योग	93					
महायोग	165					

चूतें: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

लेखापरीक्षा की अवधि में अधिनिर्णित किये गए उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि में एक से 37 माह का विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि विलम्ब के मुख्य कारण समानांतर कार्यों का न किया जाना, भूमि की पहचान/अधिग्रहण में विलम्ब/सिविल कार्यों के क्रियान्वयन की अनदेखी एवं फर्मों द्वारा खराब निष्पादन थे। नए उपकेन्द्रों के

²⁴ नए उपकेन्द्रों को पूर्ण करने हेतु टीडब्लूसी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 24 माह की लक्षित तिथि को ध्यान में रखते हुए 2015–16 तक नियोजित परियोजनाओं में विलम्ब का विश्लेषण किया गया।

²⁵ उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि को पूर्ण करने हेतु टीडब्लूसी द्वारा अनुमोदन की तिथि से छः माह की लक्षित तिथि को ध्यान में रखते हुए 2016–17 तक नियोजित परियोजनाओं में विलम्ब का विश्लेषण किया गया।

निर्माण/विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि में विलम्ब के कारण आपूर्ति वोल्टेज में सुधार, विद्यमान उपकेन्द्रों पर भार में कमी के नियत लाभ प्राप्त होने में भी विलम्ब हुआ। यह स्पष्ट करता है कि समीक्षा तन्त्र प्रभावी नहीं था।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि टीडब्लूसी के अनुमोदन के पश्चात् कार्यों के अधिनिर्णय में विलम्ब के मुख्य कारण निदेशक मण्डल, मूल्यांकन समिति, एनर्जी टास्क फोर्स एवं कैबिनेट से अनुमोदन में विलम्ब थे। क्रियान्वयन में विलम्ब के सम्बन्ध में यह बताया गया कि कभी-कभी विलम्ब होने के कारण नियंत्रण से बाहर एवं उपकेन्द्रों की भूमि से गुजरने वाली लाइनों के स्थानान्तरण होते हैं। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि टीडब्लूसी के अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्धों के अधिनिर्णय में विलम्ब 45 माह तक विस्तारित था। इसी तरह, क्रियान्वयन में विलम्ब 22 माह तक विस्तारित था। यह इंगित करता है कि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा में नियोजित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा दी गयी अनुशंसा पर कार्यवाही नहीं की गयी।

उपकेन्द्रों एवं लाइनों (लेखापरीक्षा अवधि में प्रारंभ/क्रियान्वित) के निर्माण से सम्बंधित अत्यधिक विलम्ब के कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है।

132 केवी जीआई उपकेन्द्र हनुमान सेतु, लखनऊ

2.23 टीडब्लूसी ने 2 x 40 एमवीए (जुलाई 2012 में क्षमता बढ़ाकर 2 x 63 एमवीए कर दी गयी) 132 केवी गैस रोधक उपकेन्द्र (जीआईएस) का निर्माण सम्बंधित 132 केवी भूमिगत लाइनों के साथ अनुमोदित किया (मार्च 2011)। हालाँकि, ठेकेदार को स्पष्ट स्थल जुलाई 2017 में सौंपा जा सका। नयी फर्म ने निर्माण कार्य जुलाई 2017 में प्रारंभ किया जो अभी तक प्रगति में है (मई 2019)। उपकेन्द्र को पोषित करने हेतु 93 किमी। (कुल 107.90 किमी. में से) भूमिगत तार का कार्य ₹ 134.66 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2012 में पूर्ण किया जा चुका था।

इस उपकेन्द्र को 33/11 केवी के पाँच उपकेन्द्रों²⁶ को पोषित करने हेतु नियोजित किया गया था (मार्च 2011)। हालाँकि, सात वर्षों से ज्यादा व्यतीत होने के पश्चात् भी उपकेन्द्र अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है एवं नियत 33/11 केवी के उपकेन्द्र तीन²⁷ अन्य 132 केवी उपकेन्द्रों से पोषित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने पूर्वकथित 132 केवी उपकेन्द्र के पूर्ण न होने के कारण विद्युत की कोई भी प्रतिकूल आपूर्ति (गुणवत्ता एवं मात्रा) प्रतिवेदित नहीं की। उपरोक्त तथ्य के बावजूद, टीडब्लूसी द्वारा वर्तमान आवश्यकता की समीक्षा के तन्त्र के बिना उपकेन्द्र का निर्माण कार्य टीडब्लूसी के अनुमोदन के सात वर्षों से अधिक के पश्चात् भी किया जा रहा है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि 132 केवी हनुमान सेतु उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति में है और जून 2019 में पूर्ण होना प्रत्याशित है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

220 केवी उपकेन्द्र भेलूपुर, वाराणसी का निर्माण

2.24 टीडब्लूसी ने वाराणसी शहर में निर्विघ्न एवं उचित विद्युत आपूर्ति हेतु 220 केवी भेलूपुर उपकेन्द्र एवं इसकी सम्बंधित लाइनों को पुराने भेलूपुर उपकेन्द्र की परित्यक्त भूमि पर ₹ 214.93 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया (सितम्बर 2007)। उपकेन्द्र का निर्माण पाँच किमी. की 220 केवी भूमिगत केबल (सामनेघाट से भेलूपुर उपकेन्द्र तक) एवं 220 केवी साहूपुरी-सामनेघाट लाइन की पोषक लाइन के साथ

²⁶ इक्का स्टैंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रेजीडेंसी, दारूल शफा एवं हनुमान सेतु।

²⁷ मेहताब बाग, मार्टिनपुरावा एवं गोमती नगर।

विभागीय पद्धति से करना था एवं समापन अगस्त 2009 में निर्धारित था। 220 केवी भूमिगत केबलिंग का कार्य ₹ 67.57 करोड़ की निर्माण लागत से मार्च 2013 में पूर्ण हुआ। 220 केवी साहूपुरी-भेलपुर लाइन (पोषक लाइन) को पूर्ण करने हेतु कम्पनी एमओईएफ, जीओआई से आवश्यक अनुमति समय से प्राप्त करने में असफल रही जिसके कारण निर्धारित पूर्णता अवधि से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् उपकेन्द्र उर्जाकृत किया जा सका (मार्च 2016)। अग्रेतर, 220 केवी भूमिगत केबल कार्य पर खर्च किये गये ₹ 67.57 करोड़ की राशि भी मार्च 2013 से अप्रैल 2016 तक अवरुद्ध रही।

इस उपकेन्द्र को 33/11 केवी के आठ उपकेन्द्रों²⁸ को पोषित करने हेतु नियोजित किया गया था (सितम्बर 2007)। हालाँकि, उपकेन्द्र टीडब्लूसी से अनुमोदन के नौ वर्ष पश्चात् भी उर्जाकृत नहीं किया जा सका एवं नियत 33/11 केवी के उपकेन्द्र तीन²⁹ अन्य 132 केवी उपकेन्द्रों से पोषित किये जा रहे थे। उपकेन्द्र के उर्जाकरण में विलम्ब के कारण सम्बंधित क्षेत्र में आपूर्ति वोल्टेज प्रभावित रहा। सात वर्षों के वृहद् विलम्ब के तथ्य के पश्चात् भी वर्तमान आवश्यकता हेतु उपकेन्द्र के निर्माण के औचित्य की पुर्णवैधता हेतु टीडब्लूसी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि विभिन्न विभागों से कई अनुमति प्राप्त करने के कारण विलम्ब हुआ। इसने आगे बताया कि टीडब्लूसी नियमित रूप से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करती है एवं आवश्यकता के अनुरूप उन्हें निरस्त/संशोधित करती है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीडब्लूसी सिर्फ उन्हीं प्रकरणों की समीक्षा करती है जिनमें फैल्ड इकाईयों द्वारा ऐसे संशोधनों हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित संशोधन की आवश्यकता होती है।

400 केवी जीआईएस, हरदोई रोड, लखनऊ

2.25 लखनऊ शहर में विद्युत प्रबन्धन को सशक्त करने हेतु टीडब्लूसी ने 400 केवी उपकेन्द्र, हरदोई रोड, लखनऊ एवं सम्बंधित लाइनों का निर्माण कार्य अनुमानित लागत ₹ 245 करोड़ पर अनुमोदित किया (जुलाई 2014)। प्रस्तावित उपकेन्द्र का उद्देश्य लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन (लेसा) के 33 केवी उपकेन्द्रों की 2,200 एमवीए की परिवर्तन क्षमता को मार्च 2015 तक पूर्ण करना था। इस क्षेत्र हेतु क्षमता वृद्धि की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए कम्पनी की वर्तमान परिवर्तन क्षमता 2,186 एमवीए थी।

कम्पनी ने उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आशय पत्र (एलओआई) एक फर्म को ₹ 176.63 करोड़ की अनुबन्धित लागत पर जारी किया (जनवरी 2017)। हालाँकि, कम्पनी उपकेन्द्र हेतु जिला प्रशासन से स्पष्ट स्थल का अन्तिमीकरण मई 2017 में कर सकी एवं सिविल कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् फर्म को स्थल का हस्तांतरण सितम्बर 2018 अर्थात् टीडब्लूसी की अनुमोदन के चार वर्ष पश्चात् कर सकी।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 400 केवी उपकेन्द्र का निर्माण लखनऊ शहर की विद्युत माँग को वर्ष 2015 तक पूरा करने हेतु प्रस्तावित किया गया था फिर भी, उपकेन्द्र का निर्माण प्रत्याशित माँग के वर्ष से तीन वर्षों पश्चात् प्रारंभ हुआ (सितम्बर 2018)।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि जिला प्रशासन से अनुकूल भूमि की उपलब्धता एवं मिट्टी भराई हेतु खनन विभाग से आवश्यक अनुमति मिलने में विलम्ब होने के कारण, भूमि के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। इस प्रकार, लखनऊ शहर के विद्युत प्रबन्धन को सुदृढ़ करने का उद्देश्य तीन वर्षों के पश्चात् भी पूरा नहीं किया जा सका।

²⁸ भदैनी, शंकुलधारा, बेनिया बाग, भेलपुर, कबीर नगर, गोदौलिया, सिगरा एवं विद्यापीठ।

²⁹ मंडुआडीह, कैट एवं सारनाथ।

कम्पनी द्वारा स्पष्ट स्थल को उपलब्ध कराने में अक्षमता, एमओईएफ, जीओआई से समयबद्ध अनुमति प्राप्त करने में असमर्थता, एलोआई निर्गत करने में विलम्ब एवं उपरोक्त उपकेन्द्रों के सिविल कार्यों को प्रारंभ करने में विलम्ब के कारण दो वर्षों से सात वर्षों (मई 2019 तक) के मध्य विस्तारित विलम्ब हुआ। इन विलम्ब के कारण कम्पनी पर ₹ 109.67 करोड़³⁰ के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा तथा कुल ₹ 202.23 करोड़ (132 केवी हनुमान सेतु उपकेन्द्र के भूमिगत केबल के कार्य में ₹ 134.66 करोड़ एवं 220 केवी भेलपुर उपकेन्द्र के भूमिगत केबल कार्य में ₹ 67.57 करोड़) की धनराशि भी अवरुद्ध रही। यह इंगित करता है कि कम्पनी अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं की समीक्षा करने अथवा इन परियोजनाओं में विलम्ब के अवरोधों को दूर करने में असफल रही।

उपकेन्द्र पूर्ण किन्तु लाइनें अपूर्ण एवं इसके विपरीत

2.26 एक पारेषण परियोजना के तीन घटक यथा, उपकेन्द्र, उपकेन्द्र की पोषक लाइनें एवं अन्य पारेषण/वितरण उपकेन्द्रों के पोषण हेतु निर्गमी लाइनें होते हैं। परियोजना के किसी भी घटक में विलम्ब के कारण सम्पूर्ण पारेषण परियोजना निष्प्रयोज्य हो जाती है एवं इन निष्प्रयोज्य घटकों पर व्यय किया गया कोष भी अवरुद्ध रहता है। इस प्रकार, इन तीनों घटकों का निर्माण कार्य इस तरह से समक्रमिक करना चाहिए कि समस्त घटक एक ही साथ पूर्ण हों।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार पारेषण परियोजनाओं के प्रकरण में, ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के उपकेन्द्र एवं लाइनें पूर्ण हो गयी थीं किन्तु इन उपकेन्द्रों एवं लाइनों से सम्बंधित घटक अभी भी अपूर्ण थे जिसका विवरण निम्न तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका—2.12: उपकेन्द्रों एवं लाइनों के पूर्ण एवं अपूर्ण घटक का नवम्बर 2018 का विवरण

क्र. सं.	पूर्ण घटक का नाम	पूर्ण होने का दिनांक	पूर्ण घटक की लागत (₹ करोड़ में)	अपूर्ण घटक का नाम	नवम्बर 2018 तक घटक के निष्प्रयोज्य रहने की अवधि (माह में)	ब्याज की हानि ₹ करोड़ में (लागत के 70 प्रतिशत पर 10.5 प्रतिशत की दर से निष्प्रयोज्य अवधि हेतु गणना की गयी)
1	220 केवी उपकेन्द्र, भदौरा, गाजीपुर	अप्रैल 2018	47.94	220 केवी सारनाथ–साहपुरी पोषक लाइन	9	2.64
2	220 केवी उपकेन्द्र, आवास विकास, लखनऊ	अप्रैल 2018	45.42	पोषक लाइन	9	जमा कार्य
3	132 केवी सांगीपुर–लालगंज अधोमुख लाइन	मई 2017	4.01	220 केवी उपकेन्द्र सांगीपुर एवं इसकी पोषक लाइनें	18	0.44
4	400 केवी डीसी मेजा–रीवा रोड पोषक लाइन	जनवरी 2018	102.71	400 / 132 मसौली इलाहाबाद उपकेन्द्र	10	6.29
योग			200.08			9.37

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

³⁰ हनुमान सेतु उपकेन्द्र के प्रकरण में ₹ 84.84 करोड़ (₹ 134.66 करोड़ पर 10.50 प्रतिशत की दर से छ: वर्षों हेतु गणना की गयी) एवं भेलपुर उपकेन्द्र के प्रकरण में ₹ 24.83 करोड़ (₹ 67.57 करोड़ पर 10.50 प्रतिशत की दर से तीन वर्ष छ: माह हेतु गणना की गयी)।

चार परियोजनाओं के ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के पूर्ण घटक नौ से अड्डारह माह के मध्य विस्तारित अवधि तक निष्प्रयोज्य पड़े रहे। पूर्ण घटकों के प्रयोग न होने के कारण ₹ 200.08 करोड़ का कोष अवरुद्ध रहा जिससे ₹ 9.37 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान भी हुआ। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित घटकों के विलम्ब/निर्माण न होने के कारण आपूर्ति वोल्टेज में सुधार एवं विद्यमान उपकेन्द्रों पर भार कम करने के अपेक्षित लाभ प्राप्त होने में भी विलम्ब हुआ।

कम्पनी ने तथ्य स्वीकार किया और बताया (मई 2019) कि विभिन्न कारणों से सम्बंधित घटकों का क्रियान्वयन अभी भी प्रगति में था एवं उनको पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

ऊर्जा निकासी तन्त्र के कार्य को प्रदान करने एवं इसके क्रियान्वयन में कमियाँ

2.27 सीईए, एमओपी, भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गयी 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन' सिस्टम (बीपीआईटीएस) ने अनुशंसा की कि ऊर्जा निकासी हेतु एवं पारेषण लागत एवं हानियों को कम करने हेतु भी दीर्घ अवधि की पारेषण योजनायें विकसित की जानी चाहिए।

ललितपुर थर्मल पॉवर परियोजना (एलटीपीपी) की तीन इकाइयों (3 x 660 एमडब्लू) जिनकी स्थापना क्रमशः दिसम्बर 2015, जून 2016 एवं दिसम्बर 2016 तक होनी थी, हेतु एक 765 केवी उपकेन्द्र, दो 400 केवी उपकेन्द्र एवं सम्बंधित लाइनों (पारेषण प्रणाली) का निर्माण कम्पनी द्वारा किया जाना था। कम्पनी ने कार्य की समयबद्ध पूर्णता के आधार पर एवं अपर्याप्त कर्मचारियों एवं अनुभव के कारण पारेषण प्रणाली के निर्माण कार्य को ₹ 2,236.83 करोड़ की अनुमानित लागत एवं ₹ 279.61 करोड़ के परामर्श शुल्क पर पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के साथ एक अनुबन्ध (04 मार्च 2014) 'एलिमेंट-1'³¹ एवं "एलिमेंट-2"³² के अन्तर्गत क्रमशः 27 माह एवं 33 माह की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ किया। लेखापरीक्षा ने पीजीसीआईएल के साथ अनुबन्ध के अधिनिर्णय एवं क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां देखीं।

2.27.1 परिसमापन हर्जाने का प्रावधान न होना

सामान्य वित्तीय नियम का प्रस्तर 204 (xvi) प्रावधानित करता है कि समस्त अनुबन्धों में ठेकेदार की त्रुटि हेतु परिसमापन हर्जाने की वसूली का प्रावधान होना चाहिए। अनुबन्ध के उपबन्ध 10.1 के अनुसार, एलटीपीपी की पारेषण प्रणाली के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि "एलिमेंट-1" हेतु 27 माह अर्थात मई 2016 एवं "एलिमेंट-2" हेतु 33 माह अर्थात नवम्बर 2016 थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने सभी अन्य ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध करते समय परिसमापन हर्जाने (एलडी) का प्रावधान समुचित रूप से शामिल किया जो निर्धारित करता है कि यदि ठेकेदार अपने अनुबन्ध का उचित निष्पादन निर्धारित समय में या किसी विस्तारित समय में करने में असफल होता है तो ठेकेदार अनुबन्ध के मूल्य में आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह, अनुबन्ध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कमी स्वीकार करेगा। हालाँकि, कम्पनी ने पीजीसीआईएल के साथ किये गए अनुबन्ध में एलडी के उपर्युक्त उपबन्ध को शामिल नहीं किया। अतः कम्पनी एलिमेंट-1 एवं एलिमेंट-2 के समस्त कार्यों (जिनका कोई समय विस्तार नहीं किया गया था) के विलम्ब से पूर्ण होने के बावजूद एलडी की कटौती नहीं कर सकी जिसका विवरण निम्न तालिका 2.13 में दिया गया है।

³¹ एलिमेंट-1: 765 केवी उपकेन्द्र, 765 केवी लाइन-सर्किट-I, 400 केवी उपकेन्द्र एवं 400 केवी लाइन-सर्किट-I।

³² एलिमेंट-2: 765 केवी लाइन-सर्किट-II एवं 400 केवी लाइन-सर्किट-II।

तालिका-2.13: कटौती किये जाने वाले परिसमापन हर्जाने का विवरण (एलिमेंट वार)

एलिमेंट	कार्य का नाम	पीजीसीआईएल द्वारा ली गयी राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्ण होने का दिनांक	विलम्ब (सप्ताह में)	0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से की जाने वाली कटौती (₹ करोड़ में)
एलिमेंट-1	765 केवी सर्किट-I	741.50	मई 2016	अक्टूबर 2016	16	59.32
एलिमेंट-1	400 केवी लाइनें	458.86	मई 2016	अक्टूबर 2017	64	45.88
एलिमेंट-1	765 / 400 केवी उपकेन्द्र, आगरा	372.95	मई 2016	सितम्बर 2016	12	22.38
एलिमेंट-1	400 / 220 केवी उपकेन्द्र, मथुरा	117.36	मई 2016	अप्रैल 2017	40	11.74
एलिमेंट-1	400 / 132 केवी जीआइएस, आगरा	167.67	मई 2016	जुलाई 2017	48	16.77
एलिमेंट-2	765 केवी सर्किट-II	597.66	नवम्बर 2016	अप्रैल 2017	20	59.76
योग		2,456.00				215.85

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

अनुबन्ध में कमियों के कारण, कम्पनी पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित ₹ 2,456 करोड़ मूल्य के कार्यों में 12 सप्ताह से 64 सप्ताह के मध्य विस्तारित विलम्ब होने के बावजूद ₹ 215.85 करोड़ की एलडी की कटौती करने में असफल रही।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि पीजीसीआईएल ने अपने द्वारा विभिन्न फर्मों को प्रदान किये गए अनुबन्धों में एलडी का प्रावधान रखा है एवं कटौती की गयी एलडी की रकम खातों के अन्तिम समाधान के समय यूपीपीटीसीएल को हस्तांतरित की जाएगी। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। कम्पनी का उत्तर सामान्य है एवं अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुए कार्य हेतु ₹ 215.85 करोड़ की देय एलडी के सापेक्ष प्राप्त राशि को निर्दिष्ट नहीं करता।

ठेकेदार द्वारा सामग्रियों का गबन

2.28 कम्पनी में प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार विभिन्न क्षमताओं की लाइनों के निर्माण का कार्य टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को टावर पार्ट्स, नट और बोल्ट्स एवं सम्बंधित सामग्री के साथ प्रदान किये गए। टीकेसी द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री सम्बंधित खण्डों में प्राप्त की जाती है एवं तत्पश्चात् निर्माण कार्यों में प्रयोग किये जाने हेतु टीकेसी को निर्गमित कर दी जाती है। हालाँकि, कंडक्टर, अर्थ वायर एवं इंसुलेटर कम्पनी सीधे निर्माताओं से क्रय करके स्वयं टीकेसी को आपूर्ति करती है। चूंकि, कार्य के प्रारम्भ होने पर लगभग समस्त सामग्री टीकेसी को बिना कार्य की प्रगति से समक्रमिक किये हुए एवं सामग्री के मूल्य हेतु बिना कोई बैंक गारंटी लिए दे दी जाती है, अतः अनुबन्धों के असामयिक निरस्त होने के समय कम्पनी का वित्तीय हित जोखिम में रहता है।

अनुबन्ध के निरस्त होने के पश्चात् टीकेसी द्वारा सामग्री के गबन के दो प्रकरणों की निम्नवत् चर्चा की गयी है।

(i) कम्पनी ने मेसर्स हीथ्रो पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, गुडगॉव (ठेकेदार) के साथ 132 केवी एवं 220 केवी के सिंगल सर्किट/डबल सर्किट (एससी/डीसी) लाइनों के निर्माण का अनुबन्ध (अप्रैल 2011) ₹ 73.24 करोड़ (आपूर्ति हेतु ₹ 51.55 करोड़ एवं निर्माण हेतु ₹ 21.69 करोड़) की अनुबन्धित लागत पर किया। अनुबन्ध की नियम एवं शर्तों के अनुसार, समस्त लाइन सामग्री (कंडक्टर एवं अर्थ वायर को छोड़कर) की

आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जानी थी। कंडक्टर एवं अर्थ वायर की आपूर्ति कम्पनी द्वारा ठेकेदार को करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011–12 एवं 2012–13 के मध्य ठेकेदार द्वारा लाईन सामग्री की वृहद् मात्रा में आपूर्ति की गयी एवं कम्पनी ने इसके लिए भुगतान किया। अग्रेतर, इसी अवधि में, कम्पनी ने निर्गत करने की तिथि को, बिना कार्य की प्रगति सुनिश्चित किये, ठेकेदार को एसीएसआर³³ पैथर कंडक्टर भी निर्गत कर दिया। कम्पनी ने धीमी प्रगति एवं ठेकेदार की मन्द निष्पादकता के कारण ठेकेदार के अनुबन्ध को निरस्त (जून 2015) कर दिया एवं तुरंत समस्त सामग्री को वापस लेने के बजाय सामग्री के सत्यापन हेतु प्रतिनिधि को नियुक्त करने हेतु कहा। चूँकि, ठेकेदार द्वारा आपूर्ति लाईन सामग्री एवं कम्पनी द्वारा निर्गत कंडक्टर की वृहद् मात्रा ठेकेदार के भण्डार में पड़ी थी, अतः कम्पनी को ठेकेदार द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए कहने के बजाय अनुबन्ध निरस्त होने के तुरंत बाद भण्डार को नियंत्रण में लेने की आवश्यकता थी। कम्पनी ठेकेदार के भण्डार को अधिकार में लेने में त्वरित कार्य करने में असफल रही जिससे ठेकेदार द्वारा ₹ 10.03 करोड़ मूल्य की सामग्री का गबन कर दिया गया जैसा कि निम्न तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: निर्गत, प्रयुक्त एवं वापस न की गयी सामग्री का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	ठेकेदार को निर्गत मात्रा	ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त एवं वापस की गयी मात्रा	शेष वापस न की गयी मात्रा	शेष मात्रा का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	टावर पार्ट्स (एमटी में)	2,223.65	1,500.55	723.10	6.50
2	एसीएसआर पैथर कंडक्टर (किमी. में)	685.60	378.95	306.65	3.53
योग					10.03

चेतावनी : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

कम्पनी ने सामग्री की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है।

शासन/कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि धरोहर राशि/पीबीजी के रूप में ₹ 23.87 करोड़ की राशि जब्त की जा चुकी है। अग्रेतर, एक नया उपबन्ध लाया गया है कि टेकेसी को पीबीजी के 250 प्रतिशत से अधिक मूल्य की सामग्री किसी भी समय उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीबीजी गुणवत्ता एवं अनुबन्ध के निष्पादकता मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है। ठेकेदार को निर्गत की गयी सामग्री हेतु कम्पनी का वित्तीय हित सुरक्षित करने हेतु अनुबन्ध में कोई भी प्रावधान नहीं था। अतः अनुबन्ध उस सीमा तक दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण अनुबन्ध बनाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही उत्तर में नहीं बतायी गयी है।

(ii) कम्पनी ने 400 केवी डीसी लाईन के आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण एवं प्रवर्तन के कार्य की निविदा को दो पैकेजों³⁴ में महाराष्ट्र पॉवर ट्रान्समिशन स्ट्रक्चर लिमिटेड (ठेकेदार) को कुल अनुबन्धित लागत क्रमशः ₹ 90.96 करोड़ एवं ₹ 205.94 करोड़ में प्रदान किया (नवम्बर 2010)। अनुबन्ध के अनुसार लाईन के निर्माण के लिए समस्त सामग्री (एसीएसआर मूज कंडक्टर, अर्थ वायर एवं ओपीजीडब्लू³⁵ को छोड़कर) की आपूर्ति एवं निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जाना था। लाईन के निर्माण हेतु एसीएसआर मूज कंडक्टर एवं अर्थ वायर की आपूर्ति कम्पनी द्वारा ठेकेदार को करनी थी।

³³ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री-एनफोर्सड।

³⁴ पैकेज-1 में 100 किमी. की 400 केवी डीसी बॉदा-उरई एवं पैकेज-2 में 200 किमी. की 400 केवी डीसी बॉदा-इलाहाबाद।

³⁵ ऑप्टिकल फाइबर ग्राउण्ड वायर।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक, ठेकेदार द्वारा आपूर्ति लगभग समस्त सामग्री का भुगतान कर्मनी द्वारा कर दिया गया एवं उसी को निर्गत कर दिया गया। इस स्कन्ध में से ठेकेदार ने कुछ सामग्री का प्रयोग किया। किन्तु कर्मनी ने धीमी प्रगति एवं ठेकेदार की अनिच्छा के कारण अनुबन्ध को निरस्त कर दिया (मई 2014)। चूंकि एसीएसआर मूज कंडक्टर एवं अर्थ वायर को सम्मिलित करते हुए समस्त सामग्री की आपूर्ति, कर्मनी निरस्तीकरण की तिथि से पहले ही कर चुकी थी एवं ठेकेदार के संरक्षण में थी, अतः कर्मनी को सामग्री के दुरुपयोग से बचने के लिए त्वरित कार्यवाही करने एवं ठेकेदार के आधिपत्य में पड़ी हुई सामग्री को वापस लेने की आवश्यकता थी। इसके बजाय कर्मनी ने सामग्री के मिलान करने हेतु ठेकेदार को बताने में 30 माह बर्बाद कर दिए। 30 माह से अधिक बीत जाने के पश्चात्, कर्मनी ने ठेकेदार के भण्डार को नियंत्रण में लेना प्रारम्भ किया (दिसम्बर 2016) एवं पाया कि ₹ 21.28 करोड़ मूल्य कि वृहद् सामग्री गायब थी, जिसका विवरण निम्न तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका–2.15: निर्गत, प्रयुक्त एवं वापस न की गयी सामग्री का विवरण

क्रं. सं.	सामग्री का नाम	ठेकेदार को निर्गत मात्रा	ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त एवं वापस न की गयी मात्रा	शेष वापस न की गयी मात्रा	शेष मात्रा का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	टावर पार्ट्स एवं नट बोल्ट्स (एमटी में)	5,660.54	3,560.05	2,100.49	19.03
2	एसीएसआर मूज कंडक्टर एवं अर्थ वायर (किमी में)	913.44	823.04	90.40	1.26
3	इस्युलेटर (संख्या)	39,400	28,509	10,891	0.99
योग					21.28

ज्ञोत : कर्मनी द्वारा प्रदत्त सूचना

कर्मनी ने बताया (मई 2019) कि ठेकेदार के विरुद्ध ₹ 134.05 करोड़ का दावा दायर किया गया है जिसमें वापस न की गई सामग्री का मूल्य सम्मिलित है। शासन ने भी कर्मनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

इस प्रकार, ठेकेदार को सामग्री निर्गत करने से पूर्व अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने हेतु तन्त्र विकसित करने एवं अनुबन्ध के निरस्त होने के पश्चात् तुरंत भण्डार सामग्री को वापस लेने में कर्मनी के स्तर पर निष्क्रियता होने के कारण दोषी ठेकेदारों ने ₹ 31.31 करोड़ मूल्य की सामग्री का गबन किया। यह कमजोर आन्तरिक नियंत्रण को भी दर्शाता है।

अनुबन्ध के विलम्बित निरस्तीकरण से समय एवं लागत अतिक्रमण

2.29 कर्मनी ने अनपरा से झूंसी (भाग–1) एवं झूंसी से उन्नाव (भाग–2) की 765 केवी लाइन के निर्माण के कार्य हेतु क्रमशः ₹ 201.30 करोड़ एवं ₹ 218.04 करोड़ की अनुबन्धित लागत से दो अनुबन्ध (जून 2010) 24 माह की समाप्ति अर्थात् फरवरी 2012 तक के लिए किये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समाप्ति फरवरी 2012 के सापेक्ष भाग–2 का कार्य दिसम्बर 2017 में ₹ 348.38 करोड़ की लागत पर समाप्त हुआ। जबकि, भाग–1 का कार्य एमओईएफ, जीओआई से समय से अनुमति न मिलने के कारण मई 2014 से अवरुद्ध था। कर्मनी द्वारा एमओईएफ से अनुमति जून 2016 में प्राप्त की जा सकी। हालाँकि, एमओईएफ से अनुमति के उपरान्त भी ठेकेदार ने उचित तत्परता से कार्य प्रारम्भ नहीं किया। कर्मनी ने अनुबन्ध निरस्त करने के बजाय ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए एवं अन्ततः जुलाई 2018 (एमओईएफ से अनुमति प्राप्त करने से दो वर्ष ब्यतीत होने के उपरान्त) में अनुबन्ध निरस्त किया एवं शेष कार्य अन्य ठेकेदार को अनुबन्धित मूल्य ₹ 93.98 करोड़ में प्रदान किया (सितम्बर 2018)।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कम्पनी ने प्रथम ठेकेदार को अधिनिर्णित मूल्य ₹ 201.03 करोड़ के सापेक्ष ₹ 238.95 करोड़ का भुगतान जारी किया एवं शेष कार्य अन्य ठेकेदार को ₹ 93.98 करोड़ में प्रदान किया। इस प्रकार ₹ 30.93 करोड़ (₹ 238.95 करोड़ + ₹ 93.98 - ₹ 302 करोड़ बीओक्यू लागत ₹ 201.30 करोड़ में 50 प्रतिशत का सकारात्मक विचलन सम्मिलित करके) का लागत अतिक्रमण हुआ। अग्रेतर, लाइन के भाग-1 के पूर्ण न होने के कारण ₹ 348.38 करोड़ मूल्य का पूर्ण भाग-2 दिसम्बर 2017 से निष्क्रिय पड़ा रहा एवं भाग-2 पर व्यय किये गये ₹ 348.38 करोड़ भी अवरुद्ध रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.58 करोड़³⁶ के व्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि नोटिस जारी की गयी थी एवं आवंटित कार्य को किसी भी तरह से क्रियान्वित कराने हेतु फर्म को रोक कर रखने के प्रयास किये गए। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठाकृत किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि अनुबन्ध निरस्त करने में दो वर्षों का विलम्ब औचित्यपूर्ण नहीं था।

बिना सामग्री को प्राप्त किये विद्युत पारेषण खण्ड-बाँदा द्वारा ठेकेदार को भुगतान

2.30 मेसर्स महाराष्ट्र पॉवर ट्रान्समिशन स्ट्रक्चर्स लिमिटेड (फर्म) ने 400 केवी डीसी व्हाड बाँदा-इलाहाबाद लाइन के निर्माण हेतु ₹ 1.32 करोड़ की 206.718 एमटी टावर सामग्री का एक बिल विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)-II कानपुर को दिया, जिसकी प्राप्ति विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)-II कानपुर के अवर अभियंता (जेई) के माप पुस्तिका में प्रलेखित की गई (जुलाई 2012)। हालाँकि, खण्ड ने कोई भुगतान नहीं किया।

इसी समय फर्म ने इसी बिल को ईटीडी-बाँदा में वास्तविक रूप में सामग्री की आपूर्ति किये बिना प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि जेई ईटीडी-बाँदा ने सामग्री की प्राप्ति को प्रलेखित किया (सितम्बर 2012) एवं खण्ड ने वास्तविक रूप में सामग्री को प्राप्त किये बिना भुगतान जारी कर दिया (जनवरी 2013)।

इस प्रकार ईटीडी-बाँदा के कर्मचारियों की सांठगांठ से डिवीजन ने सामग्री क्रय हेतु ₹ 1.32 करोड़ का भुगतान किया, जो वास्तव में डिवीजन द्वारा प्राप्त नहीं की गयी थी। हालाँकि, उपरोक्त प्रकरण कम्पनी की जानकारी में नवम्बर 2013 में आ गया था किन्तु सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

शासन/कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि फर्म को दो बार भुगतान नहीं किया गया। इसने अग्रेतर बताया कि ध्यान रखा गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अग्रेतर, प्रकरण की जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तथ्य यह है कि सामग्री को प्राप्त किये बिना सामग्री की प्राप्ति को प्रलेखित करने एवं सामग्री को वास्तविक रूप में प्राप्त किये बिना भुगतान जारी करने वाले ईटीडी-बाँदा के सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। यह आन्तरिक नियंत्रण की कमी को स्पष्ट करता है जो इस तरह की घटनाओं का पता लगा एवं रोक सकता था।

संस्तुतियाँ: कम्पनी को परियोजना के समाप्त में विलम्ब से बचने हेतु इसके क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्त समान्तर क्रियाकलाप प्रारम्भ करने चाहिए। अत्यधिक विलम्बित हुए उपकेन्द्रों के निर्माण के औचित्य की पुर्ववैधता हेतु इसका समीक्षा तन्त्र होना चाहिए। इसे इस तरह की अनुबन्ध की शर्तें बनानी एवं क्रियान्वित करनी चाहिए जिससे कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।

³⁶ 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (कम्पनी द्वारा आरईसी से 2013–14 से 2017–18 के दौरान लिए गए ऋण की न्यूनतम दर) पर एक वर्ष हेतु गणना की गयी।

कोष प्रबन्धन

2.31 पारेषण परियोजनाओं के निर्माण हेतु कम्पनी का फण्ड विंग आरईसी/पीएफसी से 70 प्रतिशत भाग हेतु ऋण आहरित करता है एवं शेष 30 प्रतिशत भाग हेतु राज्य सरकार से अंशापूँजी प्राप्त करता है। वर्ष में भुगतान किये जाने वाले दायित्वों के सापेक्ष ऋणों एवं अंशापूँजी का आहरण किया गया। क्रय एवं परियोजना पैकेजों के वित्तीय संयोजन एवं ब्याज के बोझ से बचने हेतु आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं से कोष लेने हेतु विंग समग्र रूप से उत्तरदायी था।

कोष प्रबन्धन में देखी गयी कमियों की चर्चा निम्नवत् की गयी है।

जमा मद के कार्यों के सापेक्ष कोष प्राप्त करने में असफलता

2.32 कम्पनी में प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार प्रयोक्ता इकाइयों से प्राककलन की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने के उपरान्त जमा मद में कार्यों का क्रियान्वयन किया गया। कार्यों की लागत में कोई वृद्धि/कमी भी क्रियान्वित प्राककलन³⁷ के आधार पर प्रयोक्ता इकाई से/को प्राप्त/देय थी। ऐसे प्रकरणों की चर्चा निम्नवत् की गयी है जिनमें कम्पनी ने जमा मद में प्राककलन की सम्पूर्ण लागत प्राप्त किये बिना कार्यों का क्रियान्वयन किया एवं अभी तक राशि वसूल करने में असफल रही।

कम्पनी ने जमा मद में 220 केवी के दो उपकेन्द्र, एक सीजी सिटी (लखनऊ विकास प्राधिकरण), लखनऊ जो मार्च 2018 में पूर्ण हुआ एवं अन्य अवधि विहार योजना (आवास एवं विकास परिषद), जो अभी प्रगति (मई 2018 तक 92 प्रतिशत पूर्ण) पर था, प्राककलन की सम्पूर्ण राशि क्रमशः ₹ 99.92 करोड़ एवं ₹ 112.08 करोड़ प्राप्त किये बिना निर्मित किये। कम्पनी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद से क्रमशः सिर्फ ₹ 57.86 करोड़ एवं ₹ 60 करोड़ वसूल सकी। इस प्रकार जमा मद में सम्पूर्ण राशि प्राप्त किये बिना कार्य का क्रियान्वयन करने के कारण ₹ 94.14 करोड़ अभी तक अप्राप्य रहा।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि शेष राशि जमा करने के लिए अनुस्मारक/पत्र भेजे जा रहे थे। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठाकित किया (सितम्बर 2019)।

जीओआई से पीएसडीएफ योजना में अनुदान प्राप्त करने में असफलता

2.33 ऊर्जा मंत्रालय, जीओआई ने पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु योजना पॉवर सिस्टम डिवैलपमैंट फण्ड (पीएसडीएफ) के अन्तर्गत अनुमोदित की (जनवरी 2014)। योजना के अनुसार प्रत्येक प्रकरण के आधार पर कार्यों को 90 प्रतिशत या 75 प्रतिशत कोष अनुदान के रूप में दिया जाना था। तदानुसार कम्पनी ने 'सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उच्चीकरण' (₹ 279.19 करोड़) एवं 'विभिन्न लाइनों के पुनः संचालन' (₹ 80 करोड़) के लिए दो प्राककलन तैयार किये। कम्पनी ने ये दोनों प्रस्ताव पीएसडीएफ योजना के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु एमओपी, जीओआई को भेजे (नवम्बर 2014)। हालाँकि, कम्पनी ने ₹ 90.23 करोड़³⁸ के एलओआई एमओपी, जीओआई की पीएसडीएफ योजना में औपचारिक स्वीकृति से पहले ही निर्गत कर दिये (मार्च 2015 एवं अगस्त 2015)। एमओपी, जीओआई ने उपरोक्त कार्यों की ₹ 282.94 करोड़³⁹ की स्वीकृति मई 2015 एवं मार्च 2016 में दी। हालाँकि, एमओपी जीओआई ने कम्पनी द्वारा एमओपी जीओआई की स्वीकृति से पूर्व निर्गत एलओआई का

³⁷ किये गए कार्य की वास्तविक लागत के निर्धारण हेतु कार्य के क्रियान्वित होने के पश्चात् क्रियान्वित प्राककलन तैयार किया जाता है।

³⁸ मार्च 2015 में सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उच्चीकरण हेतु ₹ 10.23 करोड़ एवं विभिन्न लाइनों के पुनः संचालन हेतु ₹ 80 करोड़।

³⁹ सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उच्चीकरण हेतु ₹ 202.94 करोड़ एवं विभिन्न लाइनों के पुनः संचालन हेतु ₹ 80 करोड़।

वित्तपोषण नहीं किया। इस प्रकार, एमओपी, जीओआई द्वारा इन कार्यों की पीएसडीएफ योजना में औपचारिक स्वीकृति से पूर्व एलओआई निर्गत करने के अविवेकी निर्णय के कारण कम्पनी ₹ 69.21 करोड़⁴⁰ का अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी। इन कार्यों का वित्तपोषण अब आन्तरिक संसाधनों से किया जा रहा है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि इसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि स्वीकृति से पूर्व एलओआई निर्गत करने पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना की स्वीकृति से पूर्व एलओआई निर्गत करने का निर्णय सामान्य वित्तीय विवेक के प्रतिकूल था।

पुराने/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का निस्तारण न किया जाना

2.34 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रस्तर 2.1.52 में बताया गया था कि कम्पनी ने क्षतिग्रस्त/अमितव्ययी परिवर्तकों का निस्तारण नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि 42 नमूना जाँच की गयी इकाइयों में से पाँच इकाइयों में विभिन्न क्षमताओं के 11 पुराने/क्षतिग्रस्त एवं अमितव्ययी परिवर्तक एक वर्ष से बारह वर्ष के मध्य विस्तारित अवधि से निस्तारण हेतु पड़े हुए थे। एक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन पुराने/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के निस्तारण हेतु कम्पनी द्वारा कोई अनुसरण नहीं किया गया जिससे ₹ 7.70 करोड़ (नए परिवर्तक की लागत का 40 प्रतिशत) का कोष अवरुद्ध रहा।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि परिवर्तकों के निस्तारण हेतु निविदा का कार्य प्रगति पर है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

अनुश्रवण तन्त्र

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.35 चूंकि कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है, इसलिए कम्पनी पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउन्टेंट (सीए) फर्मों को कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। यह देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा अथवा व्यय के औचित्य पर टिप्पणी सम्मिलित नहीं थी। अग्रेतर, आन्तरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा एवं उनके अनुपालन का अनुसरण करने हेतु कम्पनी में कोई तन्त्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र समग्र रूप से प्रभावी नहीं था।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि नियमित कर्मचारियों के अभाव के कारण कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग में आवश्यक संख्याबल की कमी बनी रहती है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र प्रभावी नहीं था।

2.36 परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन एवं पारेषण प्रणाली के कुशल संचालन में एक प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबन्धन नए उपकेन्द्रों अथवा पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना बनाने में आवश्यक कदम उठाने में, अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण क्रय को परियोजनाओं के क्रियान्वयन से समन्वयित करने एवं ठेकेदारों तथा ग्राहकों दोनों से राशि वसूल करना सुनिश्चित करने में जैसा कि पूर्ववर्ती

⁴⁰ ₹ 60 करोड़ (80 करोड़ का 75 प्रतिशत) में ₹ 9.21 करोड़ (₹ 10.23 करोड़ का 90 प्रतिशत) जोड़कर।

प्रस्तरों में चर्चा की गयी है, असफल था। यह प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण हुआ।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि अत्यधिक विलम्ब के कारण सामान्यतः नियंत्रण से बाहर एवं अनपेक्षित घटनाएँ थीं। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित (सितम्बर 2019) किया। हालाँकि, प्रबन्धन द्वारा उठाये गये अग्रसक्रिय कदम का प्रमाण लेखापरीक्षा के दौरान स्पष्ट नहीं हुआ।

संस्तुतियाँ: कम्पनी को अपना कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र सुदृढ़ करना चाहिए। कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग होना चाहिए।

निष्कर्ष:

लेखापरीक्षा उद्देश्य से सम्बंधित निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

1. परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली के अभाव में परियोजनाएं उचित रूप से अवधारित नहीं की जा रही थीं। चिन्हित परियोजनाओं का नियोजन अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ उपकेन्द्र स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हो रहे थे तो दूसरी तरफ अन्य उपकेन्द्रों में निष्क्रिय क्षमता सृजित हुई।

(प्रस्तर 2.13 एवं 2.14)

2. कम्पनी ने न तो क्रय नीति/क्रय नियमावली बनायी एवं न ही परियोजना क्रियान्वयन से समक्रमित क्रय योजना हेतु तन्त्र बनाया। यह अनुबन्धों के महत्वपूर्ण उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने में भी असफल रही। वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय करने की तदर्थ प्रणाली से ₹ 36.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ एवं ₹ 24.75 करोड़ का कोष भी अवरुद्ध रहा।

(प्रस्तर 2.15 से 2.20)

3. कम्पनी अधिकतर परियोजनाओं को नियत समय में क्रियान्वित करने में असफल रही। इसके पास अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं के निर्माण के औचित्य की समीक्षा हेतु कोई तन्त्र नहीं था। अनुबन्धों के अधिनिर्णय तथा क्रियान्वयन में एवं अनुबन्धों में कमियों के दृष्टान्त देखे गए। कम्पनी ने अतिरिक्त व्यय किया एवं उसको (₹ 431.71 करोड़) ब्याज की हानि हुई। कम्पनी का ₹ 750.69 करोड़ का कोष भी अवरुद्ध रहा। कम्पनी के पास परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोई औपचारिक समीक्षा तन्त्र भी नहीं था जो संभावित अवरोधकों की पहचान करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहायक हो।

(प्रस्तर 2.21 से 2.30)

4. जमा मद के कार्यों की अनुमानित लागत की सम्पूर्ण राशि प्राप्त किये बिना कार्य करने एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की पॉवर सिस्टम डिवैलपमैंट फण्ड योजना में स्वीकृति से पूर्व आशय पत्र (एलओआई) निर्गत करने के अविवेकपूर्ण कोष प्रबन्धन से ₹ 69.21 करोड़ की हानि हुई एवं ₹ 94.14 करोड़ का कोष अवरुद्ध रहा। कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र अप्रभावी था।

(प्रस्तर 2.31 से 2.35)

अध्याय—III

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय—III

3. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

ऊर्जा विभाग

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 राजस्व की परिहार्य हानि

उपभोक्ता को गलत बिलिंग के कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 3.26 करोड़ की राजस्व हानि सहन करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता) का उपवाक्य 5.3 (मीटर की आपूर्ति और संस्थापन) प्रावधानित करता है कि यदि किसी एच०टी०/ई०एच०टी० उपभोक्ता को आपूर्ति उसके अनन्य प्रयोग के लिए स्वतन्त्र फीडर पर दी जाती है, तो मीटर व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित की जायेगी या यदि पारस्परिक रूप से सहमति होती है, तो अनुज्ञाप्तिधारी के उपकेन्द्र पर मीटर व्यवस्था का प्रयोग बिल के लिए किया जा सकेगा और किसी मीटर के उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

हाई वोल्टेज (एचवी)-4 श्रेणी¹ उपभोक्ताओं (लघु सिंचाई कार्य) पर लागू टैरिफ आदेश² उन दरों को प्रावधानित करता है जिस पर वास्तविक उपभोग की गयी विद्युत के लिये लागू माँग एवं विद्युत प्रभार प्रभारित किया जायेगा। टैरिफ आदेश आगे, मासिक 'न्यूनतम प्रभार'³ लागू करने के लिये बताता है यदि किसी विशिष्ट माह में माँग प्रभार एवं विद्युत प्रभार का योग न्यूनतम प्रभार से कम होता है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर (खण्ड) में एक उपभोक्ता का 2,500 केवीए का अनुबन्धित भार था एवं उनको 132 केवी उपकेन्द्र बलरामपुर के स्वतन्त्र फीडर से विद्युत आपूर्ति होती थी। उपभोक्ता के परिसर में कोई मीटर संस्थापित नहीं था एवं खण्ड अपने 132 केवी उपकेन्द्र पर संस्थापित मीटर में अंकित उपभोग एवं अनुबन्धित माँग के आधार पर एचवी-4 श्रेणी के अन्तर्गत बिल तैयार कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2017) कि कम्पनी को जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान गलत बिल बनाने के कारण ₹ 7.37 करोड़ की हुयी (परिशिष्ट-3.1), जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(i) यद्यपि, जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान 45 महीनों में से, 27 महीनों में वास्तविक उपभोग प्रभार नियत मासिक न्यूनतम प्रभार से कम था, फिर भी खण्ड ने वास्तविक उपभोग के आधार पर उपभोक्ता को बिल किया। इसके

¹ दर अनुसूची (एचवी-4) 100 बीएचपी (75 केडब्ल्यू) से अधिक भार वाले मध्यम एवं वृहत पम्प नहरों पर लागू होती है।

² टैरिफ आदेश 2014–15 दिनांक 12 अक्टूबर 2014, 2015–16 दिनांक 28 जून 2015, 2016–17 दिनांक 10 अगस्त 2016 एवं 2017–18 दिनांक 9 दिसम्बर 2017।

³ न्यूनतम प्रभार की गणना अनुबन्धित भार पर निर्धारित दर पर की जाती है एवं आगे, इसमें अतिरिक्त शुल्क जैसे विद्युत शुल्क, नियामक अधिभार इत्यादि शामिल होते हैं।

परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा **परिशिष्ट-3.2(अ)** में वर्णित किया गया है।

(ii) खण्ड ने जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान 45 महीनों में से 28 महीनों में ₹ 9.29 करोड़ धनराशि के बिल निर्गत किये थे। लेकिन, उपभोक्ता ने अपने परिसर में मीटर संस्थापित नहीं होने के बहाने पर मनमाने ढंग से एवं बिना किसी अभिलेखित मापदंड पर केवल ₹ 5.92 करोड़ की धनराशि को सत्यापित किया। हालाँकि, खण्ड ने बिल की गयी धनराशि के सापेक्ष कम सत्यापित धनराशि को उपभोक्ता के आगामी बिलों में बकाया के रूप में अग्रेषित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 3.37 करोड़ की बिल की गयी धनराशि का कम सत्यापन हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-3.2(ब)** में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता के परिसर में मीटर नहीं संस्थापित होने का कारण शुरू से ही अस्पष्ट रहा क्योंकि इस सम्बंध में खण्ड एवं उपभोक्ता के बीच कोई पारस्परिक समझौता नहीं हुआ था।

(iii) खण्ड ने जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान, 45 महीनों में से 18 महीनों में बिल योग्य भार⁴ के बजाय अनुबन्धित भार के आधार पर बिल तैयार किया था जो कि 2500 केवीए के अनुबन्धित भार से पाँच महीनों में दो प्रतिशत से 472 प्रतिशत तक अधिक एवं 13 महीनों में 10 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक कम था। आगे, खण्ड में उचित शास्ति⁵ नहीं लगायी गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-3.2(स)** में वर्णित किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित किये जाने (मई 2017) पर त्रुटि प्रबन्धन के संज्ञान में आई। हालाँकि, त्रुटि सितम्बर 2018 तक बनी रही।

प्रबन्धन / सरकार ने उत्तर में कहा (अगस्त 2019 / सितम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 7.37 करोड़ में से ₹ 4.11 करोड़ की धनराशि के बिल को उपभोक्ता से सत्यापित करा लिया गया है। ₹ 3.26 करोड़ के कम सत्यापन के सम्बंध में यह कहा कि बाढ़ से उत्तरौला लाईन के प्रभावित होने के कारण उत्तरौला क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सितम्बर 2016, सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2018 के दौरान उपभोक्ता की फीडर लाइन से की गयी जिसके कारण उपभोक्ता को बिल नहीं किया जा सका। इसलिये, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता को न्यूनतम प्रभार पर बिल किया गया।

हालाँकि, जवाब में यह उल्लेख नहीं किया गया कि ₹ 3.26 करोड़ के अन्तर की राशि की क्षतिपूर्ति कैसे की गयी जिसके बारे में लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से अगस्त 2019 में पूछा गया था।

⁴ टैरिफ आदेश के दर अनुसूची के सामान्य प्रावधान यह वर्णित करते हैं कि माह के दौरान बिल योग्य भार / माँग, मीटर द्वारा अंकित वास्तविक अधिकतम भार / माँग अथवा अनुबन्धित भार / माँग का 75 प्रतिशत, जो अधिक हो, होता है।

⁵ टैरिफ आदेश के दर अनुसूची के सामान्य प्रावधान यह वर्णित करते हैं कि यदि किसी माह में अधिकतम भार / माँग अनुबन्धित भार / माँग से अधिक होता है, तो इस तरह के अधिक भार / माँग को, मीटर द्वारा अंकित अधिकतम भार / माँग पर सामान्य स्थायी / माँग प्रभार के अलावा सामान्य दर के 200 प्रतिशत के बराबर लगाया जायेगा।

लेखापरीक्षा प्रभाव

निम्नलिखित मामलों में, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली की गई।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.2 कम लागू किये गये न्यूनतम प्रभार ₹ 1.15 करोड़ की वसूली।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश 2015–16 एवं 2016–17, जो हाईवोल्टेज (एचवी)–3 श्रेणी उपभोक्ताओं (रेलवे ट्रेक्शन) पर लागू है, प्रावधानित करता है कि एक उपभोक्ता को केवल तभी 'न्यूनतम प्रभार' के आधार पर बिल किया जायेगा जब वास्तविक माँग एवं विद्युत प्रभार का योग न्यूनतम प्रभार से कम होता है। आगे, टैरिफ आदेश का सामान्य प्रावधान बताता है कि अनुबन्धित भार पर मासिक न्यूनतम प्रभार की गणना की जायेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2017 में इंगित करने के बाद कि एक उपभोक्ता के अनुबन्धित भार के 100 प्रतिशत के विपरीत अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत पर न्यूनतम प्रभार का अगस्त 2015 से जुलाई 2016 की अवधि के दौरान गलत गणना की गयी थी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-1।।। गोरखपुर ने न्यूनतम प्रभार की कम प्रभारित धनराशि की वसूली के लिये ₹ 1.15 करोड़ का पूरक बिल निर्गत (जनवरी 2018) किया एवं इसे अप्रैल 2018 में उपभोक्ता से वसूल कर लिया गया।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.3 मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के ₹ 1.82 करोड़ की वसूली।

ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए) की वसूली के सम्बंध में सीवीसी के दिशानिर्देशों (अप्रैल 2007) का उल्लंघन करते हुये, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने आरएपीडीआरपी पार्ट-बी योजना के अन्तर्गत टर्नकी आधार पर शाहजहांपुर नगर में वितरण प्रणाली के सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि के लिये आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार के साथ ₹ 81.54 करोड़ की लागत पर एवं दिसम्बर 2013 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक अनुबन्ध (सितम्बर 2012) किया जिसमें न तो मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी एवं न ही इस सम्बंध में अनुबन्ध में कोई प्रावधान नियत किया गया। कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 8.15 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम अक्टूबर 2012 में दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल से मोबिलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष बिल की धनराशि का 10 प्रतिशत कटौती की। हालाँकि, निर्धारित समाप्ति तिथि यानी दिसम्बर 2013 तक एमए के सापेक्ष केवल ₹ 0.22 करोड़ की वसूली की जा सकी थी। चूँकि, कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं हो सका, इसलिए ठेकेदार ने ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का दिसम्बर 2013 के बजाय जनवरी 2018 तक उपभोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कम्पनी को जनवरी 2014 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान अग्रिम की अप्राप्य धनराशि पर ₹ 1.82 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2017 में इंगित करने के बाद, प्रबन्धन ने मार्च 2019 में ठेकेदार के लम्बित बिलों से ब्याज की हानि के सापेक्ष ₹ 1.82 करोड़ की वसूली कर ली।

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

3.4 शटडाउन प्रभार के ₹ 2.92 करोड़ की वसूली।

बाह्य एजेन्सियों जो ट्रान्समिशन लाइन के शटडाउन आवंटित करने के लिए अथवा लाइन की ऊँचाई बढ़ाने, लाइन शिपिटिंग के लिये अनुरोध करते हैं, से उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) के निदेशक मण्डल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित दर पर यूपीपीटीसीएल शटडाउन प्रभार वसूल करता है। 30 अक्टूबर 2009 से प्रभावी दर को बीओडी द्वारा आगे मई 2016 में संशोधित कर दिया गया जो कि अगस्त 2016 से प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2017 में इंगित करने के बाद, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, वाराणसी ने चार बाह्य एजेन्सियों से सम्बंधित 132 केवी ट्रान्समिशन लाइन की ऊँचाई बढ़ाने के कार्य से सम्बंधित पाँच निष्पादित प्राक्कलनों में ₹ 2.92 करोड़ की धनराशि के शटडाउन प्रभार को शामिल किया जिसे जून 2019 में सम्बंधित एजेन्सीज से वसूल कर लिया गया।

भाग-II

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

अध्याय—IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

भाग-II

अध्याय-IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 को 92 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। ये राज्य पीएसयूज 1954–55 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान निर्गमित हुये थे एवं इनमें 86 सरकारी कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम सम्मिलित थे यथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम। आगे इन सरकारी कम्पनियों में 43 अकार्यरत कम्पनियां तथा अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक कम्पनियां¹ सम्मिलित थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान चार कम्पनियों² को जोड़ा गया।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त इन पीएसयूज की प्रकृति तालिका 4.1 में दर्शाई गई है।

तालिका-4.1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	इस अध्याय में शामिल किए गए पीएसयूज की संख्या			योग	इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज की संख्या
		2017–18 तक के लेखें	तक के लेखें	2016–17	2015–16	
सरकारी कम्पनियां	80	4	7	4	15	65
सांविधिक निगम	6	-	3	1	4	2
कुल कम्पनियां/निगम	86	4	10	5	19	67
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	6	1	1	-	2	4
योग	92	5	11	5	21	71

21 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया गया है जैसा कि परिशिष्ट-4.1 में उल्लिखित है। इसमें 71 पीएसयूज (सरकार नियंत्रित चार अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया है या वे अकार्यरत/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे जैसा कि परिशिष्ट-4.2 में उल्लिखित है।

राज्य सरकार समय—समय पर पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 92 राज्य पीएसयूज में से, राज्य सरकार ने केवल 69 राज्य पीएसयूज (67 पीएसयूज में पूँजी एवं 2 पीएसयूज³ में केवल ऋण) में धनराशि का निवेश किया है। राज्य सरकार ने 25 पीएसयूज में सीधे कोई भी पूँजी निवेश नहीं किया है, जिसमें 15 सहायक कम्पनियां शामिल हैं, जिनमें पूँजी का निवेश उनकी स्वामित्व धारक कम्पनियों⁴ के माध्यम से किया गया है, तीन कम्पनियां⁵ ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक सरकारी कम्पनियों ने संयुक्त रूप से पूँजी का निवेश

¹ परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 11 एवं 12 तथा परिशिष्ट-4.2 की क्रम संख्या 15, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 63 एवं 65 से 70।

² परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 4 एवं 19 एवं परिशिष्ट-4.2 की क्रम संख्या 25 एवं 26।

³ उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड।

⁴ उत्तर प्रदेश सरकार ने छ: स्वामित्व धारक कम्पनियों (परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 13 तथा परिशिष्ट-4.2 की क्रम संख्या 1, 11, 16, 30 एवं 37) को उनकी सहायक कम्पनियों के लिए पूँजी दी।

⁵ परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 3 एवं परिशिष्ट-4.2 की क्रम संख्या 59 एवं 71।

किया है, तीन स्मार्ट सिटी कम्पनियों⁶ और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड जिनमें पूँजी का निवेश स्वायत्त निकायों ने किया है तथा तीन सांविधिक निगम⁷ जिनमें राज्य सरकार की कोई पूँजी नहीं है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 इस अध्याय में शामिल किए गए 21 पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाली चार वर्षों की अवधि में इन 21 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका 4.2 दिया गया है।

तालिका-4.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर ⁸	5889.00	6861.86	7699.57	7725.28
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	16.52	12.21	0.33
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी	1011790	1137210	1250213	1375607
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	12.40	9.94	10.03
टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.58	0.60	0.62	0.56

ज्ञात: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसडीपी के अँकड़े एवं पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के अँकड़े के आधार पर संकलित।

2015–16 से 2017–18 की अवधि में इन 21 पीएसयूज का टर्नओवर बढ़ा है। 2015–18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 0.33 प्रतिशत एवं 16.52 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में वृद्धि 9.94 प्रतिशत एवं 12.40 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की पिछले तीन वर्षों के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁹ 10.78 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.78 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.47 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिसेस्दारी 2014–15 में 0.58 प्रतिशत से सीमान्त रूप से घटकर 2017–18 में 0.56 प्रतिशत हो गई।

राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 31 मार्च 2018 तक 21 राज्य पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण परिशिष्ट-4.3 में है।

इस अध्याय में शामिल पीएसयूज निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं:

- (i)** पीएसयूज जो खुली बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकारी पीएसयूज): उत्तर प्रदेश में, 21 कार्यात्मक पीएसयूज में से 8 पीएसयूज इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके पास एकाधिकारी/अल्पाधिकारी प्रकृति का परिचालन है यानी इनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।

⁶ परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 4 एवं परिशिष्ट-4.2 की क्रम संख्या 25 से 26।

⁷ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम।

⁸ नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार।

⁹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [$\{(2017-18 \text{ की राशि} / 2014-15 \text{ की राशि})^{(1/3 \text{ वर्ष})} - 1\} * 100$]।

(ii) निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज़: इस श्रेणी में वे पीएसयूज शामिल हैं जिनकी प्रमुख आय निश्चित आय स्रोतों से आती है जैसे सरकारी अनुदान/सब्सिडी, सेन्ट्रेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि। 11 पीएसयूज इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(iii) प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के पीएसयूज़: इस श्रेणी में दो पीएसयूज शामिल हैं, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं।

4.4 31 मार्च 2018 को इन राज्य पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दी गई तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका-4.3: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						योग	
		पूँजी		दीर्घावधि ऋण					
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य ¹⁰	जीओयूपी	जीओआई	अन्य		
इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज									
एकाधिकारी क्षेत्र वाले पीएसयूज	8	1861.74	1795.55	493.50	731.77	247.00	2965.05	8094.61	
निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज	11	103.22	1.00	11.29	117.88	0	5.11	238.50	
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज	2	203.82	0	25.00	845.33	0	0	1074.15	
इस अध्याय में शामिल पीएसयूज का योग	21	2168.78	1796.55	529.79	1694.98	247.00	2970.16	9407.26	
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज का योग	71	2591.62	123.41	350.25	2149.89	1.10	1981.21	7197.48	
महायोग	92	4760.40	1919.96	880.04	3844.87	248.10	4951.37	16604.74	

स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं पूँजी/ऋण के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

इस अध्याय में शामिल किए गए 21 पीएसयूज में 31 मार्च 2018 तक, कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का अंकित मूल्य¹¹ ₹ 9,407.26 करोड़ था। निवेश में पूँजी 47.48 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 52.22 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 34.51 प्रतिशत (₹ 1,694.98 करोड़) था जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 65.49 प्रतिशत (₹ 3,217.16 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे यूरोपियन निवेश बैंक एवं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लिया गया था।

निवेश 243.92 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 के ₹ 2,735.27 करोड़ से 2017–18 में ₹ 9,407.26 करोड़ हो गया था। निवेश में बढ़ोत्तरी मुख्यतः 2015–16 से 2017–18 के दौरान पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में क्रमशः ₹ 2,727.51 करोड़ एवं ₹ 3,944.48 करोड़ के बढ़ोत्तरी की वजह से थी।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

4.5 वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना या निजीकरण नहीं किया गया।

¹⁰ अन्य में स्वामित्य धारक कम्पनी, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि द्वारा निवेश शामिल है।

¹¹ अभिदाताओं द्वारा पूँजी शेयरों के प्रति पूँजी भुगतान की गयी शेयरों की मूल लागत।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश नीचे दी गई तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका—4.4: वर्ष के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के बारे में विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ¹²	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की सहायता (i)	2	633.47	5	506.71	3	136.26
दिये गये ऋण (ii)	7	199.00	10	736.42	6	372.40
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	7	1521.46	11	2446.44	10	809.72
कुल सहायता (i+ii+iii)¹³	13	2353.93	20	3689.57	18	1318.38
ऋण पुर्णभुगतान अपलिखित	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	1	6.83	-	-
बकाया प्रत्याभूतियाँ	1	52.65	1	52.65	4	154.62
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-	-	-	-	-

नोट: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता का विवरण नीचे दिये चार्ट 4.1 में दिया गया है।

चार्ट—4.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता



वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,318.38 करोड़ एवं ₹ 3,689.57 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त ₹ 1,318.38 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के

¹² यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

¹³ ये ऑकड़े उन पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने बजट से एक या एक से अधिक मदों में राशि प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

रूप क्रमशः ₹ 136.26 करोड ₹ 372.40 करोड एवं ₹ 809.72 करोड सम्मिलित थे। वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 809.72 करोड के अनुदान में से ₹ 766.82 करोड उत्तर प्रदेश जल निगम को उसके स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया था।

पीएसयूज को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) प्रत्याभूति देती है, जिसके लिए प्रत्याभूति कमीशन लेती है जो कि जीओयूपी ने ऋणी के अनुसार 0.25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तय किया है (15 सितंबर 2000)। 2017–18 में बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 154.62 करोड थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान पीएसयूज द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

4.7 पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के सम्बंध में सभी राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आँकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति नीचे दी गई तालिका 4.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका-4.5: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड में)

मद के सम्बंध में बकाया	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	4760.40	5457.09	-696.69
ऋण	3844.87	2845.84	999.03
प्रत्याभूतियाँ	154.62	90.01	64.61

चेत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य के पीएसयूज में से 50 पीएसयूज¹⁴ में इस तरह के अन्तर मौजूद हैं जो कि परिशिष्ट-4.4 में दिखाये गये हैं। आँकड़ों में अन्तर गत कई वर्षों से मौजूद है। अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-4.4 के क्रमांक 48, 36 एवं 37) में मुख्य रूप से अन्तर पाया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार और सम्बंधित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

4.8 कुल 92 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 49 कार्यरत पीएसयूज यथा 43 सरकारी कम्पनियाँ एवं छ: सांविधिक निगम एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2018 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत थे। लेखाओं की तैयारी के लिए राज्य पीएसयूज द्वारा समय सीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् दर्शायी गयी है।

राज्य पीएसयूज द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017–18 के लिए सभी पीएसयूज द्वारा 30 सितंबर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। हालाँकि, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल पाँच सरकारी

¹⁴ परिशिष्ट-4.4 की क्रम संख्या 1, 7, 8, 13, 16, 19 से 23, 26, 29, 32, 36 से 45, 48, 49, 51, 55 से 58, 60 से 66, 68, 69, 71, 72, 74 से 78, 82, 83, 85 एवं 90।

कम्पनियों¹⁵ ने वर्ष 2017–18 के लिए अपने लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 38 कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। छ: सांविधिक निगमों में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश अवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। वर्ष 2017–18 के लिए सभी छ: सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2018 को प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2018 को पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका-4.6: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियां/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां/सांविधिक निगम			
	सरकारी कम्पनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	सांविधिक निगम	योग
31.03.2018 को सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में कुल पीएसयूज की संख्या	80	6	6	92
घटाया: नए पीएसयूज जिनके 2017–2018 के लेखे देय नहीं थे
घटाया: पीएसयूज जो परिसमापन के अन्तर्गत हैं जिनके लेखे 2017–18 के लिए देय नहीं थे	11	01	0	12
2017–18 के देय लेखाओं के लिए पीएसयूज की संख्या	69	5	6	80
30 सितंबर 2018 तक सीएजी ऑडिट के लिए लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयूज की संख्या	4	1	.	5
पीएसयूज ¹⁶ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	74	5	6	85
बकाया लेखाओं की संख्या	778	35	5	818
बकाया का व्यौरा	(i) परिसमापन में	94	8	.
	(ii) अकार्यरत	502	23	.
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	33	3	.
	(iv) अन्य	149	1	5
'अन्य श्रेणी' के विरुद्ध बकाया का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2017-18)	7	1	3
	दो वर्ष (2016-17 एवं 2017-18)	8	.	2
	तीन वर्ष या ज्यादा	134	.	10

85 राज्य पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिये गये थे, में से 23 पीएसयूज में जीओयूपी ने ₹ 11,694.75 करोड़ (पूँजी: ₹ 93.29 करोड़, ऋण: ₹ 774.77 करोड़, एवं अनुदान: ₹ 10,826.69 करोड़) निवेश किया था जबकि शेष 62 पीएसयूज में लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान पीएसयूवार राज्य सरकार द्वारा निवेश का विवरण परिशिष्ट 4.5 में दर्शाया गया है।

¹⁵ परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 1, 2, 3, 16 एवं 19।

¹⁶ इसमें परिसमापन वाले पीएसयूज भी शामिल हैं।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व उनके प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

4.9 लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब, सम्बंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ—साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में परिणित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये इन 85 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का राज्य की जीडीपी में योगदान एवं बकाया अवधि के दौरान अर्जित लाभ/हानि सहित इनकी लाभप्रदता का आकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं एवं निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया था।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। सरकार को कम्पनियों द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये तथा लेखाओं के बकाये की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

अकार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

4.10 31 मार्च 2018 को 43 राज्य पीएसयूज अकार्यरत कम्पनियां थीं, जिनमें कुल निवेश ₹ 1,790.38 करोड़ था ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 285.62 करोड़), नंदगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 239.26 करोड़) जिसमें पूँजी (₹ 1,058.25 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 732.13 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत पीएसयूज की संख्या नीचे तालिका 4.7 दी गई है।

तालिका-4.7: अकार्यरत राज्य पीएसयूज

विवरण	2015.16	2016.17	2017.18
अकार्यरत पीएसयूज की संख्या	38	43	43
उपरोक्त में से, परिसमापन के अन्तर्गत आने वाली पीएसयूज की संख्या	12	12	12

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित।

इन 31 अकार्यरत पीएसयूज¹⁷ के सम्बंध में सरकार को इनके समापन हेतु उचित निर्णय लेना चाहिये।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

4.11 छ: सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2017–18 के लिए अपने लेखे 30 सितंबर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किये थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। ये प्रतिवेदन सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार

¹⁷ 43 अकार्यरत पीएसयूज में से 12 पीएसयूज परिसमापन के अन्तर्गत थीं।

विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखाओं की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति को नीचे तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.8: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखी गई	एसएआर के प्रस्तुतीकरण की तिथि	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखी गई	
				लेखाओं का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम	2012–13	12 फरवरी 2016	2013–14 2014–15	2 सितम्बर 2015 24 मार्च 2017
2	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	2011–12	19 नवम्बर 2014	2012–13	12 नवम्बर 2015
3	उत्तर प्रदेश वन निगम	2015–16	14 फरवरी 2019	2016–17	20 नवम्बर 2018
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2015–16	7 फरवरी 2019	2016–17	15 जुलाई 2019
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007–08	4 दिसंबर 2012	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसंबर 2013 25 मई 2017
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2012–13	29 अगस्त 2016	2013–14 2014–15	20 जुलाई 2016 27 जून 2017

झोत: जीओयूपी की वेबसाइट एवं पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन


4.12 इस अध्याय में शामिल किए गए 21 राज्य पीएसयूज की 30 सितंबर 2018 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखाओं¹⁸ के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणामों को **परिशिष्ट-4.1** में उल्लिखित किया गया है।

पीएसयूज को सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 9,407.26 करोड़ था जिसमे पूँजी ₹ 4,495.12 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 4,912.14 करोड़ के निहित थे (**परिशिष्ट-4.3**)। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 पीएसयूज में ₹ 3,863.76 करोड़ का निवेश किया है जिसमे पूँजी ₹ 2,168.78 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 1,694.98 करोड़ निहित है।

इस अध्याय में शामिल किए गए ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि में जीओयूपी के निवेश का वर्षवार विवरण नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

¹⁸ वर्ष 2015–16 से 2017–18 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे।

चार्ट-4.2: 21 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में जीओयूपी का कुल निवेश




कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल के साक्षेप पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि एक निश्चित वर्ष में हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

4.13 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई लाभ/हानि¹⁹ की समग्र स्थिति नीचे दिये गये चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट-4.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान 21 कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि



¹⁹ आँकड़े सम्बंधित वर्ष के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

4.13.1 इन कार्यरत पीएसयूज द्वारा वर्ष 2015–16 में ₹ 159.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर ₹ 366.94 करोड़ हो गया। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 21 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 16 पीएसयूज ने ₹ 423.52 करोड़ का लाभ कमाया एवं पाँच पीएसयूज ने ₹ 56.58 करोड़ की हानि वहन की जो विस्तृत रूप से परिशिष्ट-4.1 में दिया गया है। 2017–18 के दौरान इन पीएसयूज का क्षेत्रवार लाभ का विवरण नीचे तालिका 4.9 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका-4.9: पीएसयूज की क्षेत्रवार लाभप्रदता

क्षेत्र	लाभ कमाने वाली पीएसयूज की संख्या	कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)	कर के बाद कुल लाभ के लिए लाभ प्रतिशत
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	5	341.76	80.70
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	11	81.76	19.30
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	0	-	-
योग	16	423.52	

चेत: पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर सकलित

2017–18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 16 पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज एकाधिकार श्रेणी से सम्बंधित हैं एवं 11 पीएसयूज निश्चित आय स्रोत श्रेणी से सम्बंधित हैं। इस प्रकार इन पीएसयूज का लाभ या तो एकाधिकार का फायदा या निश्चित आय स्रोत बजटीय सहायता, आय, बैंक जमा पर ब्याज, कमीशन, आदि के कारण है। आगे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले दो पीएसयूज को 2017–18 के दौरान ₹ 26.04 करोड़ का नुकसान हुआ।

इस प्रकार लेखापरीक्षा के मंतव्य से इन पीएसयूज की आत्मनिर्भरता संदेहात्मक है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

4.14 14 राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, की लाभदायकता की गणना करने के लिए कुल आय एवं इनके निवेश का विश्लेषण किया गया है। निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद की गई है जिससे जीओयूपी द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक रिटर्न पर पहुंचा जा सके। राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में इन कम्पनियों में 2000–01 से 31 मार्च 2018 तक के निवेश पर की गयी थी। 2000–01 से 2017–18 की अवधि के दौरान, 2013–14 को छोड़कर वर्ष 2004–05 से 2017–18 में इन पीएसयूज का निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था। इसलिए, इन वर्षों के लिए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है तथा इसे पीवी के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्नलिखित धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार के ऋण को सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। यद्यपि, पीएसयूज द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान के सबंध में, अवधि के दौरान पीवी की गणना ऋण के घटे हुए शेषों पर की गई है। पूँजीगत अनुदान को छोड़कर अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है।

- सम्बंधित वित्तीय वर्ष²⁰ के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल दर के रूप में माना गया है।

4.15 इन 14 राज्य पीएसयूज में 2000–01 से 2017–18 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के पूँजी, ब्याज मुक्त / डिफॉल्टेड ऋण एवं पूँजीगत अनुदान के निवेश की पीसयूज वार स्थिति **परिशिष्ट-4.6** में इंगित की गई है। आगे इन राज्य पीएसयूज में समान अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति नीचे की तालिका 4.10 में दी गई है।

तालिका-4.10: 2000–01 से 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्लौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त / डिफॉल्टेड ऋण एवं पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii=vii*(1+vi/100)	ix=vii*vi/100	x
1999-2000 तक		548.27	96.55	644.82	9.5	644.82	706.08	61.26	
2000-01	706.08	0.00	17.75	17.75	9.58	723.83	793.17	69.34	-147.68
2001-02	793.17	0.00	-33.53	-33.53	9.49	759.64	831.73	72.09	-173.63
2002-03	831.73	10.15	26.25	36.40	7.22	868.13	930.81	62.68	-89.98
2003-04	930.81	0.00	6.25	6.25	9.13	937.06	1022.61	85.55	-148.86
2004-05	1022.61	4.59	10.75	15.34	9.47	1037.95	1136.25	98.29	13.03
2005-06	1136.25	0.00	68.54	68.54	6.49	1204.79	1282.98	78.19	88.99
2006-07	1282.98	47.00	82.22	129.22	6.74	1412.20	1507.38	95.18	103.74
2007-08	1507.38	0.00	0.00	0.00	6.43	1507.38	1604.30	96.92	132.01
2008-09	1604.30	13.88	-0.44	13.44	6.29	1617.74	1719.50	101.76	112.71
2009-10	1719.50	0.00	2.00	2.00	6.16	1721.50	1827.55	106.04	56.52
2010-11	1827.55	0.00	53.52	53.52	6.67	1881.07	2006.53	125.47	26.54
2011-12	2006.53	39.52	35.18	74.70	6.62	2081.23	2219.01	137.78	47.80
2012-13	2219.01	6.00	11.99	17.99	6.73	2237.00	2387.55	150.55	13.00
2013-14	2387.55	23.43	20.96	44.39	6.43	2431.94	2588.31	156.37	-34.58
2014-15	2588.31	211.14	150.55	361.69	6.4	2950.00	3138.80	188.80	103.84
2015-16	3138.80	633.47	261.57	895.04	6.35	4033.84	4289.99	256.15	99.04
2016-17	4289.99	498.38	347.44	845.82	6.82	5135.81	5486.08	350.26	182.93
2017-18	5486.08	132.95	186.89	319.84	6.54	5805.92	6185.62	379.71	176.54
योग		2168.78	1344.44	3513.22				2672.39	561.97

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 1999–2000 तक ₹ 644.82 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 के अन्त में ₹ 3,513.22 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000–01 से 2017–18 की

²⁰ सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (उत्तर प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान / ((पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2)* 100 |

अवधि के दौरान पूँजी ($\text{₹ } 1,620.51$ करोड़) एवं ऋण/पूँजीगत अनुदान ($\text{₹ } 1,247.89$ करोड़) के रूप में धनराशि का निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक निवेश की गई धनराशियों की पीवी $\text{₹ } 6,185.62$ करोड़ आती है। 2000–01 से 2003–04 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज को लगातार समग्र हानि हुई लेकिन 2005–06 से 2008–09 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज ने निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित किया। हालांकि, वर्ष 2009–10 के बाद इन पीएसयूज ने वर्ष 2013–14 को छोड़कर लाभ अर्जित किया, अपितु इनका कुल लाभ इस अवधि के दौरान इन पीएसयूज में किये गए निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम था।

यदि डिफॉल्टेड ब्याज सहित ऋण (आईबीएल) को निवेश के रूप में नहीं माना जाये तो, वर्ष के अन्त में इन पीएसयूज में राज्य सरकार द्वारा निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2000–2001 तक $\text{₹ } 624.37$ करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में $\text{₹ } 3,475.98$ करोड़ हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने 2000–01 से 2017–2018 की अवधि के दौरान पूँजी ($\text{₹ } 1,620.51$ करोड़) एवं ऋण/पूँजीगत अनुदान ($\text{₹ } 1,231.10$ करोड़) के रूप में निवेश किया। 31 मार्च, 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि की पीवी $\text{₹ } 6,071.14$ करोड़ हो जायेगी।

पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल

4.16 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)²¹ वित्तीय निष्पादन का माप है, इसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों की पूँजी से विभाजित करके की जाती है। पीएसयूज की क्षेत्रवार आरओई नीचे तालिका 4.11 में दर्शायी गयी है।

तालिका-4.11: पीएसयू की क्षेत्रवार पूँजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	आरओई 2015–16 के दौरान		आरओई 2016–17 के दौरान		आरओई 2017–18 के दौरान	
		पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
1	एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	7	1.47	8	3.60	8	3.36
2	निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	10	19.11	11	17.18	11	17.18
3	प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	2	-	2	-	2	-
योग		19²²	2.26	21	4.20	21	3.92

चूंकि प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र में दो पीएसयूज का कर बाद लाभ एवं शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी इसलिए इनकी आरओई की गणना नहीं की जा सकी। यह भी देखा जा सकता है कि एकाधिकारी वातावरण वाले पीएसयूज एवं निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज की आरओई सकारात्मक थी जबकि 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र के पीएसयूज की नकारात्मक आय के साथ–साथ निवल मूल्य भी नकारात्मक रहा।

इससे यह दर्शित होता कि प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र में काम करने वाले पीएसयूज व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

²¹ पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – आस्थगित आयगत व्यय।

²² लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद नामक दो पीएसयूज 2016–17 में निगमित हुए थे।

एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों के पीएसयूज की आरओई की तुलना तालिका 4.12 में दर्शायी गई है।

तालिका-4.12: एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों की पीएसयूज के पूँजी पर प्रतिफल की तुलना

वर्ष	एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत पीएसयूज		प्रतिस्पर्धी पीएसयूज	
	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
2015-16	19	2.49	2	-
2016-17	19	4.30	2	-
2017-18	19	4.03	2	-

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.17 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी²³ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल पीएसयूज) के आरओसीई का विवरण नीचे दी गई तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका-4.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्षवार क्षेत्रवार ब्यौरा	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2015-16			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	155.57	7375.03	2.11
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	107.56	544.43	19.76
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-8.30	154.00	-5.39
योग	254.83	8073.46	3.16
2016-17			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	354.52	10927.34	3.24
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	106.44	591.21	18.00
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-8.36	142.42	-5.87
योग	452.60	11660.97	3.88
2017-18			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	350.49	13328.77	2.63
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	106.37	591.47	17.98
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-8.36	142.42	-5.87
योग	448.50	14062.66	3.19

यह देखा गया कि 2017-18 में लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1854.07 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 546.06 करोड़) में नियोजित पूँजी में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 2016-17 के दौरान आरओसीई 3.88 प्रतिशत से घटकर 2017-18 के दौरान 3.19 प्रतिशत हो गयी। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दो पीएसयूज²⁴ की आरओसीई 2015-16 से 2017-18 के दौरान नकारात्मक थी क्योंकि

²³ नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घवधि ऋण - संचय हानियाँ - आस्थगित आयगत व्यय।

²⁴ उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिं कम्पनी लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड।

सभी तीन वर्षों में ईबीआईटी ही नकारात्मक थी। आगे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) की नियोजित पूँजी भी नकारात्मक थी।

हानि वहन करने वाले पीएसयूज

4.18 इस अध्याय में शामिल किए गए 21 पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज को वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि हुई थी। इन पीएसयूज द्वारा 2015–16 के दौरान उठायी गया हानि ₹ 47.89 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 56.58 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे तालिका 4.14 में दिया गया है।

तालिका-4.14: 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या

वर्ष के दौरान	हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य ²⁵ (₹ करोड़ में)
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज				
2015-16	1	22.18	25.14	642.51
2016-17	3	26.31	53.13	2241.69
2017-18	3	30.54	85.00	2801.09
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज				
2015-16	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज				
2015-16	2	25.71	618.63	-389.81
2016-17	2	26.04	630.32	-401.50
2017-18	2	26.04	630.32	-401.50

वर्ष 2017–18 के दौरान पाँच पीएसयूज द्वारा उठायी गयी कुल हानि ₹ 56.58 करोड़ में से ₹ 30.54 करोड़ की हानि एकाधिकारी क्षेत्र की तीन पीएसयूज ने उठायी थी। आगे, दोनों प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाली पीएसयूज 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लगातार हानि में रहीं एवं इसी अवधि के दौरान उनकी संचित हानियाँ ₹ 618.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 630.32 करोड़ हो गयी। इससे इन पीएसयूज की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पीएसयूज के निवल मूल्य का क्षरण

4.19 31 मार्च 2018 को कुल 21 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से आठ पीएसयूज की ₹ 1,922.71 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इन आठ पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 में ₹ 56.58 करोड़ की हानि उठायी। इनमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की दो पीएसयूज शामिल थे, जिन्होंने वर्ष के दौरान ₹ 26.04 करोड़ की हानि उठायी। आगे, तीन पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 में हानि नहीं उठायी, जबकि उनके पास ₹ 1,207.39 करोड़ की संचित हानि थी।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की दोनों पीएसयूज को शामिल करके चार ऐसे पीएसयूज हैं जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था तथा 31 मार्च 2018 को

²⁵ निवल मूल्य का तात्पर्य है कि प्रदत्त शेयर पूँजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय घटाया। मुक्त संचय का तात्पर्य संचय जो लाभ एवं अंश प्रीमियम खाता से निकाला गया हो लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया संचय तथा प्रतिलेखित मूल्यहास प्रावधान शामिल नहीं होता है।

इनमे पूँजी निवेश ₹ 1,055.26 करोड़ के विरुद्ध इनका निवल मूल्य (-) ₹ 781.22 करोड़ हो गया था। इसमे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दो पीएसयूज में पूँजी निवेश ₹ 228.82 करोड़ के विरुद्ध (-) ₹ 401.50 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य शामिल है। यद्यपि उन चार पीएसयूज जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण हो गया था में से दो पीएसयूज ने 2017-18 के दौरान ₹ 97.23 करोड़ का लाभ कमाया था, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने एकाधिकारी लाभ के कारण अपने अर्जित लाभ ₹ 97.19 करोड़ की बजह से था।

31 मार्च 2018 को सभी चार पीएसयूज जिनकी पूँजी का क्षरण हो गया था, की सरकारी बकाया ऋण की राशि ₹ 696.28 करोड़ थी।

लाभांश का भुगतान

4.20 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की थी जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत्त शेयर पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है। लाभांश के भुगतान से सम्बंधित 21 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से 14 में जहाँ राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया था उसे नीचे तालिका 4.15 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.15: 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	
1	2	3	40	5	6	7	8 (7/5*100)
2015-16	13	1362.68	8	110.81	7	3.21	2.90
2016-17	14	1460.88	5	93.17	4	0.19	0.20
2017-18	14	2168.78	1	0.05	-	-	-

2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज की संख्या एक से आठ के मध्य थी। इसी अवधि में जीओयूपी को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या चार²⁶ से सात²⁷ के मध्य थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2015-16 के 2.90 प्रतिशत से 2016-17 में घटकर 0.20 प्रतिशत हो गया।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 2015-16 से 2017-18 के दौरान पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण, जिससे पीएसयूज की क्षमता का आंकलन किया जा सके कि इन पीएसयूज ने सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं उससे सम्बंधित भुगतान में सक्षम हैं। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जा सकता है।

²⁶ परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 10, 13, 14 एवं 15।

²⁷ परिशिष्ट-4.1 की क्रम संख्या 8, 9, 10, 13, 14, 15 एवं 18।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

4.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी पीएसयूज के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना पीएसयूज के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, पीएसयूज की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात ने इंगित किया कि पीएसयूज अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज 2015–16 से 2017–18 की अवधि में उनके बकाया ऋणों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका 4.16 में दिया गया है।

तालिका—4.16: कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋण पर ब्याज भार वाले में ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज भार है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2015-16	36.93	31.38	4	2	2
2016-17	30.00	131.25	5	3	2
2017-18	30.84	112.10	6	3	3

2017–18 के दौरान जिन छ: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋणों का दायित्व था उनमें से तीन पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था एवं तीन पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो ये दर्शाता है कि ये तीन पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर सके।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

4.23 31 मार्च 2018 तक जीओयूपी द्वारा चार पीएसयूज को प्रदान किए गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 96 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। जीओयूपी ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण नीचे तालिका 4.17 में दर्शाया गया है।

तालिका—4.17: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	31 मार्च 2018 को बकाया ब्याज (₹ करोड़ में)	एक वर्ष से कम बकाया (₹ करोड़ में)	एक से तीन वर्षों का बकाया (₹ करोड़ में)	तीन वर्षों से अधिक का बकाया (₹ करोड़ में)
1	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	44.94	2.21	4.39	38.34
2	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7.00	0.00	7.00	0.00
3	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	16.43	3.17	5.09	8.17
4	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	27.63	1.75	0.00	25.88
योग		96.00	7.13	16.48	72.39

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.24 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान 25 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 33 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 24 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 4.18 में दिया गया है।

तालिका-4.18: कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	12	221.89	13	379.22	12	132.71
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.16	2	0.18	2	0.71
3.	हानि में वृद्धि	5	42.58	5	7.23	4	352.13
4.	हानि में कमी	-	-	1	0.18	3	5.05
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	2	11241.40	8	121.18	12	718.68
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	-	-	9	124.80	6	159.23

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

वर्ष 2017–18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण-पत्र प्रदान किये एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने प्रतिकूल प्रतिवेदन दिये थे। पीएसयूज द्वारा लेखाकान्न मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि 22 लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाकान्न मानकों की अनुपालना नहीं करने के 69 मामले इंगित किये गये। सीएजी ने भी पाँच लेखाओं यथा अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (2016–17), श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड (2016–17), इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (2014–15), उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2016–17) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2013–14) में प्रतिकूल प्रमाण-पत्र निर्गत किए थे।

4.25 राज्य में छ: सांविधिक निगम अर्थात् (i) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएईवीपी), (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) (iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), (iv) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), (v) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (यूपीएसडब्ल्यूसी) और उत्तर प्रदेश वन निगम हैं। यूपीएसडब्ल्यूसी एवं यूपीएफसी को छोड़कर सीएजी इन सांविधिक निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

छ: कार्यरत सांविधिक निगमों में से चार निगमों (यूपीएसडब्ल्यूसी, यूपीएईवीपी, यूपीएसआरटीसी एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) ने वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लिए पाँच वार्षिक लेखे प्रेषित किये जबकि किसी भी सांविधिक निगम ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखे प्रेषित नहीं किये। सभी पाँच लेखे एकमात्र/अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गये थे। सांविधिक लेखापरीक्षक ने यूपीएसडब्ल्यूसी के वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण-पत्र दिए थे। सभी पाँच प्राप्त लेखाओं में से सीएजी लेखापरीक्षा ने एक लेखे अर्थात् उत्तर प्रदेश वन निगम के वर्ष 2016–17 के लेखाओं को दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया था एवं एक 'क्वालीफाईड' प्रमाण-पत्र जारी किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे तालिका 4.19 में दिया गया है।

तालिका—4.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	2	3.66	5	7.27	3	26.33
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	2.09
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	1	448.02	5	1114.38	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	-	-	4	1472.19	1	0.71

झोत: सांविधिक निगमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

4.26 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित आठ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्गत किया गया था। तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो गये हैं एवं प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा गया है। पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर राज्य सरकार के उत्तर अभी प्रतीक्षित (अगस्त 2019) हैं। इन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 51.01 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

4.27 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किये। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे तालिका 4.20 में दी गयी है।

तालिका-4.20: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितंबर 2019 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/ पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011-12	16 सितंबर 2013	1	6	0	1
2012-13	20 जून 2014	1	11	0	0
2013-14	17 अगस्त 2015	1	9	0	2
2014-15	8 मार्च 2016	2	4	2	0
2015-16	18 मई 2017	4	6	2	0
2016-17	7 फरवरी 2019	2	3	2	2
योग		11	39	6	5

झोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

उपरोक्त से यह देखा जा सका कि 39 प्रस्तरों एवं 11 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, सात विभागों²⁸ से सम्बंधित पाँच प्रस्तरों एवं छः निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिन पर टिप्पणी की गई थी की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी प्रतीक्षित (सितंबर 2019) थीं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

4.28 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयू) में सम्मिलित एवं कोपू द्वारा विचार-विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की स्थिति नीचे तालिका 4.21 में दी गयी है।

तालिका-4.21: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तरों जिन पर विचार-विमर्श किया गया (30 सितंबर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीए)/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		पीए एवं प्रस्तरों जिनपर चर्चा समाप्त हुई	
	पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	76 ²⁹	475	56	415
2011-12	1	6	0	5
2012-13	1	11	0	7
2013-14	1	9	0	7
2014-15	2	4	0	3
2015-16	4	6	0	0
2016-17	2	3		1
योग	87	514	56	438

झोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.29 कोपू के आन्तरिक कार्य नियमावली में महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन विभागों द्वारा महालेखाकार को केवल कोपू द्वारा एटीएन पर विचार-विमर्श के समय उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए, एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

²⁸ वन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग और आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शहरी विकास विभाग।

²⁹ इसमें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर रट्टैडलोन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रदिवेदन शामिल है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली

4.30 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान लेखापरीक्षा ने ₹ 18.31 करोड़ की वसूली हेतु एक पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के एक मामले को इंगित किया जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसका विवरण तालिका 4.22 में दिया गया है।

तालिका-4.22: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियाँ एवं पीएसयू द्वारा वसूल/स्वीकार किया गया (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

विभाग	वसूली का विवरण	1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूली		(₹ करोड़ में)	
		मामलों की संख्या	सम्बंधित राशि	मामलों की संख्या	सम्बंधित राशि
परिवहन विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सेवा कर नहीं लगाने के कारण सरकार को हानि हुई	1	18.31	-	-
योग		1	18.31	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

अध्याय—V

राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय—V

5. राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच से निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इस अध्याय में शामिल हैं।

परिवहन विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

5.1 सेवा कर न आरोपित किये जाने के कारण सरकार को हानि: ₹ 18.31 करोड़

निगम ने सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में ऐसी बसों के यात्रियों पर सेवा कर न आरोपित किया और न वसूला जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹ 18.31 करोड़ की हानि हुई।

स्टेज वाहन द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवा को सेवा कर से छूट दी गयी थी क्योंकि इसे नकारात्मक सूची में शामिल किया गया था। हालाँकि, नकारात्मक सूची में संशोधन (1 मार्च 2016) के द्वारा सरकार ने 1 जून 2016 से इस छूट को केवल गैर वातानुकूलित बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाओं तक सीमित कर दिया। इस प्रकार वातानुकूलित (ऐसी) बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवा को 1 जून 2016 से सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया था। तदनुसार, राज्य परिवहन निगमों से ऐसी (ऐसी) बसों के यात्रियों पर सेवा कर लगाना एवं उनसे वसूलना तथा इसे सरकार के पास जमा करना अपेक्षित था।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) अलग—अलग निर्दिष्ट मार्गों पर ऐसी स्टेज वाहनों द्वारा (इसकी अपनी बसों साथ ही साथ किराए पर ली गयी बसों) यात्रियों के परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है तथा उपरोक्त संशोधनों के प्रकाश में ऐसी बसों के यात्रियों से सेवा कर लगाना एवं लेना आवश्यक था। निगम के सेवा कर सलाहकार की सलाह पर, निगम के वित्त नियंत्रक (एफसी) ने इस तथ्य को मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), संचालन के संज्ञान में लाया (जून 2016) तथा उन्हें सेवा कर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एफसी ने आगे (दिसम्बर 2016) सीजीएम संचालन को याद दिलाया कि सीजीएम संचालन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है इसीलिए वह भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीजीएम, संचालन ऊपर वर्णित सेवा कर अधिनियम में संशोधन और इस सम्बन्ध में एफसी द्वारा जारी स्पष्ट दिशा—निर्देशों के बावजूद उनका अनुपालन करने में विफल रहे। जून 2016 से जून 2017 की अवधि में ऐसी बसों के संचालन से निगम ने ₹ 305.23 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया। सेवा कर न लगाए जाने और संग्रह न किये जाने के कारण सरकारी खजाने को ₹ 18.31 करोड़ (₹ 305.23 करोड़ के 40 प्रतिशत¹ के 15 प्रतिशत) की हानि हुई। इसके अतिरिक्त सेवा कर का संग्रह और जमा न किया जाना सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही को भी आकृष्ट कर सकता है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2019) और कहा कि सेवा कर की देयता के निर्धारण और उसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

¹ भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 26/2012 सेवा कर दिनांक 20 जून 2012 के तहत राजस्व पर 60 प्रतिशत की छूट अनुमति के बाद परिकलित।

हालाँकि, निगम द्वारा सीजीएम संचालन के विरुद्ध सेवा करने लगाए जाने एवं संग्रह किये जाने हेतु समय से कोई कार्यवाही न शुरू किये जाने के लिए कोई दायित्व तय नहीं किया गया।

प्रकरण को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2018)। उत्तर अभी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

5.2 परिहार्य ब्याज का भुगतान

निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण परिषद को आवंटियों को ₹ 11.38 करोड़ की परिहार्य क्षतिपूर्ति देनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) ने एक स्व: वित्त योजना के तहत माँग पत्र जारी करने की तिथि से 24 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूरा हो जाने की अपेक्षा के साथ शिखर एनक्लेव, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में फ्लैट (216 फ्लैट) के आवंटन के लिए पंजीकरण खोला (21 जनवरी 2011 से 5 मार्च 2011)। पात्रता द्वाँ 7 जून 2011 को आयोजित किया गया तथा माँग पत्र जून 2011 में जारी किये गये थे। इसलिए फ्लैट के कब्जों की अनन्तिम तिथि जुलाई 2013 तय हुई। 3 अगस्त 2011 को परिषद ने फ्लैट्स के निर्माण के लिए दो अनुबन्ध निष्पादित किये। ठेकेदारों के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तिथियाँ क्रमशः 3 अगस्त 2011 तथा 2 फरवरी 2013 थीं।

इसके अतिरिक्त परिषद ने शिखर एनक्लेव में बाहरी विकास कार्यों हेतु द्वि-बोली प्रणाली के आधार पर बोलियाँ आमंत्रित की (21 जुलाई 2013)। तीन फर्मों की तकनीकी बोलियां खोली गयीं (29 जुलाई 2013) और सभी फर्मों को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। इसके बाद, उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली गयी (30 जुलाई 2013) एवं सबसे कम दरों की बोली लगाने वाले बोलीकर्ता (जो फ्लैटों के निर्माण के लिए ठेकेदारों में से एक था) के पक्ष में कार्य आवंटित करने हेतु अनुशंसा को अनुमोदन के लिए अधीक्षण अभियन्ता (एसई) के पास भेजा गया। हालाँकि, एसई ने ठेकेदार द्वारा कथित भवन निर्माण की खराब प्रगति के आधार पर अनुशंसा को अनुमोदित नहीं किया। बिना किसी कारण बताये बोली को रद्द करने के बारे में ठेकेदार को सूचित कर दिया गया था (4 सितम्बर 2013)। नये सिरे से निविदायें आवंटित की गयीं (12 सितम्बर 2013)।

ठेकेदार उच्च न्यायालय चला गया तथा इस आधार पर कि निविदायें पुनः आमंत्रित करने से फर्म को हानि होगी, नई निविदा के द्वारा दिये गये बाहरी विकास के कार्य पर एक स्थगन प्राप्त कर लिया (8 अक्टूबर 2013)। यह स्थगन अगले 21 माह तक नहीं हटवाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण में कोई प्रगति हासिल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ आवंटी विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज की माँग भी कर रहे थे। परिषद ने ठेकेदार के साथ प्रकरण को अदालत के बाहर निपटाने का प्रयास किया जो कि प्रकरण को निपटाने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गया (8 जुलाई 2015) कि निरस्त की गयी निविदा में बतायी गयी दरों पर उसके पक्ष में कार्य दे दिया जाये। तदनुसार, परिषद के बोर्ड ने विलम्ब एवं आवंटियों द्वारा ब्याज/क्षतिपूर्ति की माँग को देखते हुये प्रकरण को अदालत के बाहर निपटाने के पक्ष में निर्णय लिया (8 अक्टूबर 2015)। कार्य ठेकेदार के पक्ष में आवंटित कर दिया गया (2 नवम्बर 2015)। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर रिट याचिका को खारिज कर दिया (21 जनवरी 2016)।

अन्तिम लागत के अनुमोदन के बाद परिषद ने वास्तविक कब्जे की तिथि 31 दिसम्बर 2016 निश्चित की जो कि कार्य की धीमी प्रगति की वजह से 31 जुलाई 2017 तक आगे बढ़ा दी गयी।

इसी बीच, फ्लैटों को सौंपने में अत्यधिक देरी से व्यथित आवंटियों ने इस आधार पर ब्याज की मँग की (सितम्बर 2016), कि परिषद ने उन आवंटियों से 13.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया, जो समय पर भुगतान करने से चूक गये थे। परिषद ने आवंटियों द्वारा अन्तिम जमा की तिथि से 6 माह बाद से उन्हें 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का निश्चय किया (30 दिसम्बर 2016) और तदनुसार 201 आवंटियों को (37 माह के लिए) ₹ 15.60 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देरी के कारणों का विश्लेषण किया। जब निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों का आकलन किया गया, तो यह पाया गया (सितम्बर 2017) कि निविदा समिति ने मानक निविदा प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी बोली (पूर्व—योग्यता बोली) का ठीक से विश्लेषण नहीं किया। बोली लगाने वालों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके द्वारा संतोषजनक पूर्ण किये कार्यों का एक विवरण, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, वास्तव में पूर्ण किये गये कार्य की स्थिति इत्यादि दर्शाते हुये एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, निविदा की शर्तों के अनुसार, ऐसे चरण में जबकि कार्य प्रारम्भ होने से 50 प्रतिशत समयावधि बीत गई हो, यदि किसी निविदादाता का चल रहा कार्य ठेकेदार की गलती के कारण निर्धारित सीमा से 15 प्रतिशत से अधिक पीछे चल रहा हो तो ऐसे ठेकेदार को तकनीकी रूप से अयोग्य ठहराया जाना था और उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जानी थी।

यद्यपि निविदा समिति ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा किये गये कार्यों के विवरण का संतोषजनक रूप में विश्लेषण किया, इसने ठेकेदार के चल रहे कार्य की स्थिति की अनदेखी की। इसके परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण पूर्व—योग्यता मापदण्ड पर बोलियों का विश्लेषण करने में चूक हुई। इसके चलते निविदा समिति ने सभी प्रतिभागियों को तकनीकी रूप से योग्य माना और ठेकेदार द्वारा चल रहे कार्य के सम्बन्ध में सूचनाएं न प्रस्तुत करने के वावजूद उनकी वित्तीय बोली खोलने की संस्तुति की।

बाद में, ठेकेदार द्वारा फ्लैटों के निर्माण की प्रगति 50 प्रतिशत से कम होने के आधार पर एसई ने निविदा रद्द कर दी। ठेकेदार ने इस आधार पर कोर्ट स्थगन प्राप्त कर लिया कि उसकी बोली बिना किसी कारण बताये रद्द कर दी गयी। इससे कार्य में कम से कम 27 माह² की देरी हुई। इस प्रकार, निविदा समिति द्वारा निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण 27 महीने की देरी हुई और परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए ₹ 11.38 करोड़³ की राशि के ब्याज का भुगतान किया गया।

परिषद ने कहा (जनवरी 2019) कि पूर्व—योग्यता बोलियों का मूल्यांकन निविदा समिति द्वारा पूर्व—योग्यता शर्त के अनुसार ठीक ढंग से किया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जून 2019) लेकिन निविदा समिति के सम्बन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शुरू करने का संकेत नहीं दिया।

5.3 गलत आरक्षित मूल्य के कारण परिषद को नुकसान

भूखण्डों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण परिषद ₹ 2.27 करोड़ से वंचित रहा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) के मूल्यांकन दिशा निर्देशों (1986, 2001 में यथा संशोधित) का प्रस्तर 16.1 प्रावधानित करता है कि वाणिज्यिक

² स्टे की अवधि 8 अक्टूबर 2013 से 21 जनवरी 2016 तक (27 माह 14 दिन)।

³ ₹ 15.60 करोड़/37x 27= ₹ 11.38 करोड़।

भूखण्ड का आरक्षित मूल्य प्रभावी भूखण्ड दर का दोगुना निर्धारित किया जायेगा। यह भी प्रावधानित करता है कि परिषद द्वारा भूखण्ड के आरक्षित मूल्य का निर्धारण नीलामी के माध्यम से आरक्षित मूल्य से ज्यादा/कम में बेची गई आस पास के भूखण्डों की नीलामी की दर को ध्यान में रखकर कर किया जाए। इसके अतिरिक्त, आरक्षित दर निकालने के लिए भूखण्ड के मूल्य में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड प्रभार तथा 10 प्रतिशत कार्नर प्रभार (कार्नर भूखण्ड के लिए) जोड़ा जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2017) कि परिषद ने वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 16 में 450 वर्गमीटर के एक वाणिज्यिक भूखण्ड (16/काम-4) को ₹ 59,500 प्रति वर्गमीटर (आरक्षित दर ₹ 35,840 प्रति वर्गमीटर) की दर से नीलाम किया (अप्रैल 2016)। लेकिन परिषद ने भूखण्ड (16/काम-4) की नीलामी दर को बिना ध्यान में रखे वाणिज्यिक भूखण्डों (भूखण्ड सं 16/काम-5, 6 एवं 7) की आरक्षित दर, प्रभावी क्षेत्र दर ₹ 16,000 की दुगनी तथा इसमें 12 प्रतिशत फ्री होल्ड प्रभार जोड़कर ₹ 35,840 प्रति वर्गमीटर निर्धारित कर इन भूखण्डों को नीलाम (22 जुलाई 2016) किया। इसके अतिरिक्त परिषद ने आस-पास के नीलाम किए गए भूखण्ड (16/काम-4) के मूल्य को ध्यान में न रखकर आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई भी कारण अंकित नहीं किया।

अतः परिषद गलत आरक्षित मूल्य निर्धारण की वजह से ₹ 2.27 करोड़ से वंचित हुआ।

लेखापरीक्षा ने पुनः देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए, कि आरक्षित मूल्य निदेशिका/नियम के अनुसार सही निर्धारित किया गया, परिषद में कोई व्यवस्था नहीं है। यह तथ्य कि समीपवर्ती वाणिज्यिक भूखण्ड काफी अधिक दर पर नीलाम किया गया था, प्रश्नगत भूखण्डों के आरक्षित दरों के निर्धारण में ध्यान में नहीं रखा गया। यह परिषद के एमआईएस के कमी को दर्शाता है।

परिषद ने कहा (जनवरी 2019) कि चूंकि भूखण्ड संख्या 16/काम-5 एवं 16/काम-6 का क्षेत्रफल भूखण्ड संख्या 16/काम-4 से थोड़ा कम था, इसलिए इनकी बोली कम आने की सम्भावना थी। भूखण्ड संख्या 16/काम-7 के सम्बंध में परिषद ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

सरकार ने लेखापरीक्षा का तर्क कि, आस-पास के नीलाम किये गये भूखण्डों के मूल्य को आरक्षित मूल्य निर्धारित करते समय संज्ञान में न लेने का विशिष्ट कारण अंकित किया जाना चाहिए था, को स्वीकार किया (जून 2019)।

5.4 ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के विरुद्ध तथा आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ठेकेदार को ₹ 40.86 करोड़ का मोबलाईजेशन अग्रिम दिये जाने के कारण परिषद को ब्याज के रूप ₹ 1.50 करोड़ की धनराशि की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी) के भाग-VI के पैरा 456 में प्रावधान है कि ठेकेदारों को कोई भी अग्रिम अनुमन्य नहीं होगा सिवाय सुरक्षित अग्रिम के, जो कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री के मूल्य का 75 प्रतिशत से अधिक न हो। आगे एफएचबी का पैरा 457 वास्तविक निष्पादित कार्य के लिए अग्रिम भुगतान का प्रावधान करता है। भारत सरकार (जीओआई) की अधिसूचना (सितम्बर 2006) के अनुसार, भवन और निर्माण परियोजनाओं से संबंधित कोई भी कार्य सिवाय भूमि को सुरक्षित करने का कार्य, जहाँ भी आवश्यकता हो, राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) लिये बिना परियोजना प्रबन्धन द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश (अप्रैल 2007) के अनुसार, ठेकेदार को दिये जाने वाला मोबलाईजेशन अग्रिम अनिवार्य रूप से जरूरत पर निर्भर होना चाहिए तथा इसकी वसूली समय पर आधारित होनी चाहिए न कि कार्य की प्रगति पर।

निर्माण खण्ड-15 (खण्ड), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद), लखनऊ ने समाजवादी आवास योजना के तहत 1,680 बहुमंजिला फ्लैटों एवं स्व वित्तपोषित योजना के तहत सेक्टर-8, अवधि विहार योजना लखनऊ में 448 बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए एक ठेकेदार के साथ कुल ₹ 408.63 करोड़ का अनुबन्ध (जनवरी 2016) निष्पादित किया। कार्य शुरू करने और उसके पूरा होने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 27 जनवरी 2016 एवं 26 जुलाई 2018 थीं। परिषद 2 सितम्बर 2016 को ही एसईआईएए, उत्तर प्रदेश से उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक इसी प्राप्त कर सका। अनुबन्ध के उपवाक्यों के अनुसार 10 प्रतिशत व्याज मुक्त मोबलाईजेशन अग्रिम ठेकेदार को प्रदान किया जाना था एवं इसकी वसूली 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद प्रारम्भ की जानी थी। तदनुसार, परिषद ने फरवरी 2016 से मई 2016 तक तीन किस्तों में ₹ 40.86 करोड़⁴ मोबलाईजेशन अग्रिम ठेकेदार को दिया।

एफएचबी के मौजूदा प्रावधान, इसी प्राप्त करने के जीओआई की अधिसूचना तथा सीवीसी दिशानिर्देशों को देखते हुए अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयीं (जुलाई 2017):

- एफएचबी, ठेकेदार को सिवाय सामग्री के विरुद्ध सुरक्षित अग्रिम तथा वास्तविक निष्पादित कार्य के विरुद्ध अग्रिम के अतिरिक्त किसी भी अग्रिम देने को निषिद्ध करता है। आगे परिषद के पास मोबलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई भी दस्तावेजित नीति नहीं है। इसने ठेकेदारों को मोबलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुमोदन अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों से छूट प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार ठेकेदार को दिया ₹ 40.86 करोड़ का मोबलाईजेशन अग्रिम राज्य सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों के तहत नहीं आता है।
- परिषद ने आवश्यक इसी प्राप्त किए बिना कार्य शुरू करने की तिथि 27 जनवरी 2016 निर्धारित कर दी। इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद भी कि आवश्यक इसी प्राप्त नहीं हुई है तथा इसी प्राप्त होने से पहले ठेकेदार द्वारा कोई भी कार्य शुरू किया जाना संभव नहीं है, परिषद ने फरवरी 2016 से मई 2016 तक तीन किस्तों में ठेकेदार को ₹ 40.86 करोड़ मोबलाईजेशन अग्रिम दे दिया।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि पूर्व किस्तों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही मोबलाईजेशन अग्रिम की दूसरी तथा तीसरी किस्त (मार्च 2016 एवं मई 2016) भी परिषद ने दे दी। लेखापरीक्षा द्वारा परिषद के दस्तावेजों से यह सत्यापित किया गया कि ठेकेदार ने इसी के अनुमोदन की तिथि 2 सितम्बर 2016 तक इसी प्राप्त न होने की वजह से कोई भी कार्य शुरू नहीं किया था। इस प्रकार, मोबलाईजेशन अग्रिम देने से न केवल ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया, बल्कि परिषद को ₹ 1.50 करोड़ (**परिशिष्ट-5.2**) की व्याज की हानि भी हुई।

- ठेकेदार को प्रदान किया गया मोबलाईजेशन अग्रिम सीवीसी के दिशानिर्देशों (अप्रैल 2007) के अनुरूप नहीं था, जिसमें यह कहा गया है कि ठेकेदार को दिया जाने वाला मोबलाईजेशन अग्रिम, आवश्यकता पर निर्भर होगा तथा इसकी वसूली समय पर आधारित होनी चाहिए न कि कार्य की प्रगति पर। सीवीसी के दिशानिर्देशों को परिषद ने नौ साल के बाद मई 2016 में अपनाया। हालाँकि, सीवीसी के दिशानिर्देश बिना अपनाए गये भी सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में कार्य करते हैं और मौजूदा मामले में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए था।

⁴ 17 फरवरी 2016 को ₹ 24.52 करोड़, 30 मार्च 2016 को ₹ 14.30 करोड़ एवं 19 मई 2016 को ₹ 2.04 करोड़।

प्रबन्धन ने कहा (फरवरी 2019) कि मोबलाईजेशन अग्रिम अनुबन्ध के नियम के अनुरूप बाऊन्डी की दीवार के निर्माण, स्थल को समतल करने, स्टोर के निर्माण, श्रमिकों की व्यवस्था, श्रमिकों के झोपड़ियों के निर्माण तथा बैचिंग प्लांट इत्यादि की स्थापना के लिए दिया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया (जून 2019) लेकिन इससे सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने का संकेत नहीं दिया।

अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर (कम्पनी) नियोजित औद्योगिक विकास के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भूमि मालिकों से भूमि अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण के प्रस्ताव वित्त की उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की लागत तथा क्षेत्र में औद्योगिक भूमि की माँग पर आधारित होते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (एलएए) कम्पनी को ऐसा करने का अधिकार देता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (एलएए) उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के आदेश (दिसम्बर 1995) के साथ पढ़ने पर जिला प्राधिकारी के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं उसके लिए मुआवजे के भुगतान की प्रणाली निर्धारित करता है। जिला प्राधिकारी इसके अतिरिक्त अनुमानित मुआवजे का 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क के रूप में लेते हैं। आगे जीओयूपी आदेश (दिसम्बर 2005) के अनुसार, यदि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किसी चरण में वापस ले लिया जाता है अथवा कालातीत हो जाता है तो अधिग्रहण के चरण की पूर्णता के आधार पर जिला प्राधिकारियों द्वारा अर्जन शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत काटा जाता है। मौजूदा प्रावधानों को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के चरण	अधिसूचना जारी करने की समय सीमा/अभिनिर्णय की घोषणा	अगले चरण के लिए आगे बढ़ने से पहले मुआवजे की राशि का प्रतिशत जो जमा किया जाना है	यदि प्रस्ताव वापस लिया जाता/विभिन्न चरणों में कालातीत होता तो अर्जन शुल्क में कटौती का प्रतिशत
1. जिला प्राधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव की जाँच करना तथा प्रारम्भिक निरीक्षण करना	—	20 (10 प्रतिशत अर्जन शुल्क सहित)	25
2. एलएए की धारा-4 की प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत करना जो कि यह सूचित करती है कि किसी क्षेत्र में भूमि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।	प्रारम्भिक चरण के लिए कोई समय सीमा नहीं	70	35
3. एलएए की धारा-6 की अधिसूचना निर्गत करना जो कि यह घोषणा करती है कि धारा-5ए के तहत भूमि मालिकों की आपत्तियां, यदि कोई हों, सुनने के बाद यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक है।	एलएए की धारा-4 की अधिसूचना निर्गत करने के एक वर्ष के भीतर	20	50
4. एलएए की धारा-11 के तहत अभिनिर्णय की घोषणा।	एलएए की धारा-6 की अधिसूचना निर्गत करने के दो वर्ष के भीतर	—	100

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में कम्पनी की अनुपालन लेखापरीक्षा में नीचे वर्णित दृष्टान्तों के अनुसार ₹ 9.41 करोड़ की हानि हुई।

5.5 अव्यावसायिक दृष्टिकोण की वजह से कम्पनी को हानि

कम्पनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बिना अनुबन्ध किये भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव शुरू किया और परिणामस्वरूप अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने की वजह से ₹ 6.49 करोड़ की हानि हुई।

एलएए की धारा-39 के अनुसार, किसी कम्पनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने के मामले में प्रस्तावित एजेंसी द्वारा एक अनुबन्ध निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता⁵ को सूचित करते हुए (अप्रैल 2012) इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम्पनी से अनुरोध किया। अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले बीईएल ने स्पष्ट रूप से कम्पनी से कुछ जानकारी चाही जैसे भूमि का स्थान, इसमें लगने वाली अनुमानित लागत, लगने वाला समय इत्यादि। हालांकि, कम्पनी ने बीईएल को उसके द्वारा माँगी गई जानकारी को बिना बताए, जिला गाजियाबाद के मसूरी-गुलावटी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित तीन गाँवों (देहरा, रावली और उदयरामपुर) में 394.32 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। वास्तव में इस प्रस्ताव द्वारा बीईएल की आवश्यकता को शामिल करते हुए पूर्व के एक प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया गया था। तदनुसार जिला प्राधिकारी, गाजियाबाद को एक अधिग्रहण प्रस्ताव भेजा गया (अप्रैल 2013)। इसके साथ कम्पनी ने बीईएल के प्रस्ताव से सम्बन्धित 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क एवं 10 प्रतिशत मुआवजा (प्रत्येक ₹ 18.55 करोड़) को पूर्ण करने के लिए जिला प्राधिकारियों से (अक्टूबर 2013) ₹ 37.10 करोड़ की राशि समायोजित करने का भी अनुरोध किया जो कम्पनी द्वारा अपने पूर्व भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए जमा किए गए थे, जो पूर्ण न हो सके। एलएए की धारा-4(1)/16⁶ की अधिसूचना 28 दिसंबर 2013 को प्रकाशित की गयी।

जिला प्राधिकारियों ने आगे एलएए के धारा-6/16 की अधिसूचना जारी करने के लिए ₹ 203.04 करोड़⁷ की माँग की (जून 2014)। कम्पनी ने ₹ 305.11 करोड़⁸ की कुल राशि के लिए बीईएल को माँग पत्र भेजा (जुलाई 2014)। हालांकि, बीईएल ने अधिक दरों का हवाला देते हुए कम्पनी को आवश्यक धनराशि देने से मना कर दिया (दिसम्बर 2014)। बीच में एलएए की धारा-4(1)/16 की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के बाद एक वर्ष के भीतर एलएए की धारा-6/16⁹ की अधिसूचना न जारी होने की वजह से एलएए की धारा-6(1)(ii) के अनुरूप अधिग्रहण प्रस्ताव कालातीत हो गया (22 जनवरी 2015)। इस बीच, चूंकि किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका, कम्पनी ने भी प्रस्ताव छोड़ने का निर्णय लिया (जनवरी 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2018) कि कम्पनी ने बीईएल से बिना किसी अनुबन्ध के, जैसा कि एलएए में आवश्यक था, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी। कम्पनी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले बीईएल द्वारा माँगी गई जानकारी देने में विफल रही। इसके अतिरिक्त ₹ 137.07 करोड़¹⁰ की देय राशि के विरुद्ध, कम्पनी ने

⁵ तीन सशस्त्र बलों के लिए रडार और एंटीना के लिए भारी माँग को पूरा करने के लिए उनकी इकाई के लिए अतिरिक्त अवस्थापना सुविधा की स्थापना के लिए।

⁶ प्रारम्भिक अधिसूचना कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या होने की संभावना है।

⁷ 394.32 एकड़ के अधिग्रहण की अनुमानित लागत का 70 प्रतिशत।

⁸ 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क (₹ 27.35 करोड़) पुनर्वास शुल्क (₹ 25.00 करोड़) अनुमानित मुआवजे का 80 प्रतिशत (₹ 218.86 करोड़) एवं इसका 12.5 प्रतिशत की दर से उपरिव्यय (₹ 33.90 करोड़)।

⁹ अधिनियम की धारा 6/16 के तहत जारी अधिसूचना यह घोषणा है कि धारा 5 ए के तहत प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन की आवश्यकता है।

¹⁰ 200 एकड़ के लिए माँग ₹ 240.14 करोड़ (₹ 37.10 करोड़ + ₹ 203.04 करोड़)/394.32 एकड़ X 200 एकड़ = ₹ 121.84 करोड़ + ₹ 15.23 करोड़ उपरिव्यय के लिये (₹ 121.84 करोड़ X 12.5 प्रतिशत)।

₹ 305.11 करोड़ की माँग की थी जो कि बीईएल के हिस्से से अधिक था। परिणामस्वरूप, बीईएल ने बजट बाधाओं एवं भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत का हवाला देते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की (दिसम्बर 2014)।

एलएए की धारा-6/16 की अधिसूचना से पहले प्रस्ताव कालातीत होने की वजह से कम्पनी को ₹ 6.49 करोड़¹¹ का हानि हुई। इस हानि को कम्पनी को वहन करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2019) कि कम्पनी एक वाणिज्यिक इकाई है एवं इस भूमि के अधिग्रहण में सम्भावित हानि के पूर्वानुमान के चलते इसे वापस लिया गया था। यह तथ्य वही है कि कम्पनी को हानि उठानी पड़ी क्योंकि वो एलएए के प्रावधानों के तहत कम्पनी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले बीईएल से अनुबन्ध करने में विफल रही। इस तरह के अनुबन्ध निष्पादन से प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर बीईएल के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता एवं कम्पनी के वित्तीय हितों की भी रक्षा होती।

प्रकरण को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2018)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

5.6 अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण ₹ 2.92 करोड़ की हानि

कम्पनी ने अनुपयुक्त भूमि का चयन किया एवं नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी होने के कारण मुआवजे की संशोधित उच्च दरों की अनदेखी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.92 करोड़ की हानि हुई।

कम्पनी ने जिला प्राधिकारी, फिरोजाबाद को 170.537 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा (नवम्बर 2013), जो कि फिरोजाबाद के शिकोहाबाद¹² में एक औद्योगिक क्षेत्र एवं एक आईटी पार्क निर्माण के लिए था तथा ₹ 18.81 करोड़¹³ जिला प्राधिकारी, फिरोजाबाद को भुगतान किया। दिसम्बर 2013 में धारा 4/16 (170.537 हेक्टेयर के लिए) तथा दिसम्बर 2014 में धारा 6/16 (167.578 हेक्टेयर के लिए) के तहत अधिसूचना जारी की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलएए) के तहत उस क्षेत्र¹⁴ पर अंतिम अधिसूचना धारा-6(i)/16, मई 2015 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2018) कि अनुमानित क्षतिपूर्ति एवं अर्जन शुल्क की ₹ 46.11 करोड़ की राशि की माँग जिला प्राधिकारी द्वारा की गई थी (17 दिसम्बर 2015) ताकि धारा 11 के तहत अभिनिर्णय घोषित किया जा सके एवं कम्पनी को जमीन सौंपी जा सके। हालाँकि, कम्पनी के प्रबन्धन ने उच्च निवेश लागत (1 जनवरी 2014 से संशोधित नए एलएए के तहत मुआवजे की संशोधित उच्च दरों एवं असमतल जमीन की उच्च विकास लागत के कारण) के कारण कमजोर विपणन संभावनाओं को देखते हुए मुआवजे को जमा नहीं किया। कम्पनी ने जिला प्राधिकारियों को कुल 167.578 हेक्टेयर भूमि में से केवल 6.859 हेक्टेयर भूमि के सम्बंध में भूमि मालिकों के साथ करार पत्र को अग्रेषित किया, जिसके लिए अभिनिर्णय घोषित किया गया था और ₹ 1.65 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित की गई। परिणामस्वरूप, 160.719 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के सम्बंध में कार्यवाही उस क्षेत्र पर अधिसूचना के प्रकाशन के दो साल बाद यानी 31 मई 2017 को कालातीत हो गई। जिला

¹¹ ₹ 18.55 करोड़ के कुल अर्जन शुल्क का 35 प्रतिशत।

¹² ग्राम गुरहसन, फतेहपुर नसीरपुर एवं पटना करखिन तहसील शिकोहाबाद।

¹³ अर्जन शुल्क एवं अनुमानित क्षतिपूर्ति का 10 प्रतिशत ₹ 1.79 करोड़ + ₹ 1.79 करोड़ (दिसंबर 2013), पुनर्वास के लिए ₹ 3.81 करोड़ (अक्टूबर 2014) एवं वार्षिकी के लिए ₹ 11.42 करोड़ (अक्टूबर 2014)।

¹⁴ उस क्षेत्र में जहाँ भूमि स्थित है।

प्राधिकारियों ने अर्जन शुल्क ₹ 1.79 करोड़ के 50 प्रतिशत ₹ 89.38 लाख की कटौती कर ली (नवम्बर 2017)।

इस प्रकार, कम्पनी को भूमि अधिग्रहण के लिए जिला प्राधिकारियों के पास अवरुद्ध ₹ 17.46 करोड़ की कुल राशि पर ₹ 2.06 करोड़¹⁵ की ब्याज राशि एवं ₹ 85.73 लाख¹⁶ अर्जन शुल्क के चलते ₹ 2.92 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी सितम्बर/अक्टूबर 2013 से भली—भाँति अवगत थी कि यद्यपि भूमि को कम दरों पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन यह अधिक उबड़—खाबड़ है तथा अधिग्रहण एवं आगे के विकास/विपणन के लिए उपयुक्त नहीं है। बाद में नवम्बर 2013 तक, कम्पनी को इस तथ्य के बारे में भी पता चल गया था कि मुआवजे की राशि नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी होने के कारण लगभग तीन गुना¹⁷ तक बढ़ जाएगी जिसे जिला प्राधिकारियों ने अपने प्रारंभिक माँग पत्र 30 नवम्बर 2013 के माध्यम से कम्पनी के संज्ञान में लाया था। उपरोक्त के बावजूद, कम्पनी ने समय पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नहीं रोका। कम्पनी ने दिसम्बर 2013 से अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान जिला प्राधिकारियों को ₹ 18.81 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन आगे कोई भुगतान नहीं किया क्योंकि नई दरों अधिसूचना 4/16 के समय विचार में ली गई डी एम सर्किल दर से चार गुना हो गई थी। इस प्रकार, पहले चरण में ही अनुपयोगी भूमि का चयन करने एवं नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी होने के कारण मुआवजे की उच्च दरों को संज्ञान में न लेने के कारण कम्पनी को ₹ 2.92 करोड़ तक की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2019) कि कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द करने का फैसला किया क्योंकि नए नियमों के तहत नई अधिग्रहण दरों पर भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के बाद इसके विपणन की संभावनाएं कमज़ोर हो गई थी। इसने यह भी बताया की बोर्ड ने बाद में अपने मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की दरों को अतिरिक्त ₹ 300 प्रति वर्गमीटर से बढ़ा दिया है ताकि इस तरह के अधिग्रहण पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सके।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अपनी अकुशलता की लागत को नए आवंटियों पर स्थानान्तरित कर दिया जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है।

प्रकरण को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2018)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित (सितम्बर 2019) है।

नगर विकास विभाग

उत्तर प्रदेश जल निगम

5.7 ठेकेदार को कार्य की अतिरिक्त मदें उच्चतर दरों पर दी गयीं

टिम्बरिंग के कार्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन उच्चतर दरों पर किये जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.05 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

उत्तर प्रदेश जल निगम¹⁸ (उप्रजनि) ने बिजनौर सीवरेज योजना के लिए शाखा, पाश्वर और मुख्य ट्रंक सीवर लाइने और आश्रित कार्यों से सम्बन्धित सर्वेक्षण, डिजाइन सभी

¹⁵ ₹ 17.16 करोड़ पर (₹ 18.81 करोड़ – क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए ₹ 1.65 करोड़) चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तीन वर्ष (नवम्बर 2014 से अक्टूबर 2017) के लिए गणना की गई।

¹⁶ 160.719 हेक्टेयर क्षेत्र, पर अर्जन शुल्क की हानि जिसके लिए अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया था और प्रस्ताव कालातीत हो गया था।

¹⁷ पुरानी दर ₹ 17.88 करोड़ की तुलना में नई डी एम सर्किल दर पर सम्भावित क्षतिपूर्ति ₹ 53.38 करोड़ था।

¹⁸ सर्किल-8, उ प्र जल निगम, मुरादाबाद।

सामग्रियों, श्रमिक और टी एण्ड पी (औजार तथा यन्त्र) की आपूर्ति के लिए एक ठेकेदार के साथ टर्नकी आधार पर ₹ 70.09 करोड़ की लागत पर अनुबन्ध किया। लेखापरीक्षा ने अनुबन्ध के निष्पादन में निम्न अनियमितताओं को देखा (नवम्बर 2017)।

(i) अनुबन्ध की सूची-एच “अतिरिक्त मदों की दरें” के अनुसार, किए गए सभी अधिक एवं अतिरिक्त कार्य अनुबन्ध में निर्धारित दरों और मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाएंगे। यदि अनुबन्ध में अधिक या अतिरिक्त कार्य के लिए कोई दर या मूल्य शामिल नहीं है, तो दरें इनमें से न्यूनतम होंगी (अ) समान वर्ग के कार्य के निविदा अनुबन्ध दरों (ब) बिजनौर जिले के लिए उस वर्ष की उप्रजनि की दरों की अनुसूची जिस वर्ष में कार्य किया गया हो, से व्युत्पन्न।

ठेकेदार के साथ निष्पादित अनुबन्ध में “3 से 6 मी¹⁹ बन्द टिम्बरिंग” और “ट्रेंच में छूटी हुई 6 मी⁰ से अधिक बन्द टिम्बरिंग” की दर क्रमशः ₹ 170 प्रति वर्गमीटर तथा ₹ 910 प्रति वर्गमीटर शामिल थी। अनुबन्ध में उपरोक्त दरों के होते हुए भी, उप्रजनि ने अतिरिक्त मदों के रूप में “बन्द टिम्बरिंग 0 से 3 मी⁰” के लिए ₹ 482 प्रति वर्गमीटर, “ट्रेंच में छूटी हुई बन्द टिम्बरिंग 0 से 3 मी⁰” के लिए ₹ 1,206 प्रति वर्गमीटर और “ट्रेंच में छूटी हुई बंद टिम्बरिंग 3 से 6 मी⁰” हेतु ₹ 1,981 प्रति वर्गमीटर की दर से ठेकेदार को उच्चतर दर से भुगतान किया। अनुमन्य उच्चतर दरें उप्रजनि की दरों (एसओआर) 2011–12 पर आधारित थीं। क्योंकि उच्च विनिर्देश के साथ समान वर्ग के कार्यों की दरें अनुबन्ध में स्वयं उपलब्ध थीं, उप्रजनि को अनुबन्ध की सूची-एच के प्रावधानों के अनुसार कार्यों की अतिरिक्त मदों का भुगतान समान दरों से करना चाहिए था। इस प्रकार अनुबन्ध के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया एवं ₹ 2.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ (परिणिष्ट-5.3)।

(ii) अनुबन्ध के नियम व शर्तों के अनुसार, शटरिंग के कार्य में प्रयोग होने वाली लकड़ी प्राकृतिक रूप से विकसित अच्छे पेड़ से होनी चाहिए तथा जिसमें सैपवुड पूर्णतः निकाल दिया गया हो। यह पदार्थ में एक रूप होना, सीधे फाइबर, बड़े, ढीले और मृत गाठों, त्रुटियों, विक्षेप, क्षय, सड़ांध, कवक और कीटों के हमलों तथा हानिकारक प्रकृति के किसी अन्य नुकसान जो इसकी ताकत, स्थायित्व, उपस्थिति तथा उपयोगिता को प्रभावित कर सकती हो, से मुक्त होना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, रंग में भी एकरूपता होनी चाहिए थी। लकड़ी को पीडब्ल्यूडी की अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए था।

अनुबन्ध या सीवरेज एवं सीवेज शोधन प्लांट के मैनुअल में टिम्बरिंग के लिए नई लकड़ी के प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, बिल ऑफ क्वांटिटी में भी टिम्बरिंग हेतु लकड़ी का प्रकार (अर्थात् उपयोग की गई अथवा नई)²⁰ उल्लिखित नहीं था। इसके अतिरिक्त, निविदा प्रपत्रों की सामान्य शर्तों के अनुसार, कार्य के उचित समाप्ति के लिए, चाहे निविदा में स्पष्ट दिया हो अथवा नहीं ठेकेदार को प्रत्येक मद, सामग्री, श्रम एवं टी एण्ड पी सहित, मदवार दरें उद्धृत करनी थीं। इस आधार पर कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाना था।

सीवर और आश्रित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि उपरोक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत अतिरिक्त मदों के रूप में उप्रजनि, एसओआर 2011–12 के आधार पर सभी सामग्री, श्रम और टी एण्ड पी प्रदान करते हुए एक अतिरिक्त मद, नई लकड़ी (ट्रेंच में छूटी हुई) के साथ बन्द टिम्बरिंग 0 से 3 मी⁰ और 3 से 6 मी⁰ गहराई के साथ, क्रमशः ₹ 2,975 प्रति वर्गमीटर तथा ₹ 3,690 प्रति वर्गमीटर की दर से उप्रजनि द्वारा निष्पादित की गई। हालाँकि, इसी तरह के कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर

¹⁹ मीटर।

²⁰ पहली बार उपयोग में लाई गई लकड़ी को अप्रयुक्त एवं एक बार उपयोग होने के बाद दुबारा प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी प्रयुक्त नामित की गई।

मात्र ₹ 910 प्रति वर्गमीटर दी गई थी। चूंकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, केवल निर्दिष्ट गुणवत्ता की लकड़ी का उपयोग किया जाना था, कार्य का निष्पादन नई लकड़ी को प्रयोग करके अतिरिक्त मद के रूप में उच्चतर दरों पर कराना अनुचित था जिसके परिणामस्वरूप उप्रजनि का ₹ 1.63 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा जिसका विवरण **परिशिष्ट-5.4** में दिया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2019) कि ठेकेदार ने इस प्रकार के कार्य से प्राप्त दर के आधार पर कार्य के अतिरिक्त मद को निष्पादित करने की अनिच्छा व्यक्त की थी और केवल वर्तमान एस ओ आर दर पर कार्य करने को सहमत हुआ था। चूंकि उस चरण में शेष कार्य के लिए किसी अन्य एजेंसी को तैनात करना सम्भव नहीं था इसीलिए उच्च दरों को अनुमन्य किया गया। आगे यह कहा गया कि निर्दिष्ट गुणवत्ता और विर्निदेश की प्रयुक्ति लकड़ी बाजार में मिलना कठिन था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार ने उप्रजनि के साथ उसके द्वारा उद्धृत दरों पर अनुबन्ध निष्पादित किया था। इसलिए, ठेकेदार पर अनुबन्ध के नियम व शर्तों के अनुसार कार्य को निष्पादित करने की बाध्यता थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2018)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

5.8 ठेकेदार को अनुचित लाभ

उत्तर प्रदेश जल निगम ने अस्वीकार्य वृद्धि की अनुमति देकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप जीओयूपी को ₹ 4.09 करोड़ की हानि हुई।

तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने बांदा में ३०० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (कॉलेज) के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (उप्रजनि) के निर्माण एवं परिकल्प सेवायें विंग (सीएण्डडीएस) को व्यय वित्त समिति (ईएफसी)²¹ द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2009) ₹ 126.05 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक डिपॉजिट वर्क के रूप में प्रदान किया (मार्च 2009)। हालाँकि, कार्य के मानकीकरण के कारण जीओयूपी ने कार्य की लागत को कम करके ₹ 62.13 करोड़ संशोधित कर दिया (जनवरी 2010) जिसे ईएफसी द्वारा भी अनुमोदित (दिसम्बर 2009) कर दिया गया था।

सी एण्ड डीएस ने निविदाएं आमंत्रित करके (मार्च 2010) उपर्युक्त कार्य को मै0 अल्ट्रा होम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को ₹ 54.76 करोड़ (दरों की अनुसूची से 5.8 प्रतिशत नीचे) की लागत पर आवंटित कर दिया (जुलाई 2010)। कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 14 जुलाई 2010 और 13 जुलाई 2012 तय की गई। यह कार्य जून 2014 में पूरा हो गया था। अनुबन्ध (जुलाई 2010) के क्लॉज 44 के अनुसार, किसी भी कारण से ठेकेदार को मूल्य वृद्धि प्रदान नहीं की जानी थी।

सी एण्ड डीएस ने बिल ऑफ क्वांटिटी के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया और जून 2010 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ—साथ ₹ 5,569 प्रति पाइल की विश्लेषित दर²² पर 300 मिमी व्यास का पाइल कार्य भी शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि सी एण्ड डीएस ने “300 मिमी व्यास के पाइल कार्य” के मद के लिए, 5.8 प्रतिशत कम करके ₹ 5,569 प्रति पाइल की दर से 3,595 पाइल कार्यों के लिए ठेकेदार को प्रथम एवं द्वितीय रनिंग बिल (अक्टूबर 2010 और जनवरी 2011) के माध्यम से ₹ 1.89 करोड़ का भुगतान किया।

²¹ जीओयूपी की समिति।

²² बाजार दर के आधार पर विश्लेषित।

दरों में संशोधन और कृच्छ अतिरिक्त वस्तुओं के शामिल किए जाने के कारण, बाद में सी एण्ड डीएस ने जीओयूपी को कार्य का एक संशोधित प्राककलन कुल ₹ 81.49 करोड़ का प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2012) जिसे जीओयूपी ने ₹ 80.08 करोड़ के लिए अनुमोदित कर दिया (जनवरी 2013) जो कि ईएफसी द्वारा भी अनुमोदित (अक्टूबर 2012) था। जीओयूपी द्वारा जैसा कि अपेक्षित था, सी एण्ड डीएस ने संशोधित प्राककलन के साथ विस्तृत प्राककलन भी प्रस्तुत किया। विस्तृत प्राककलन 'कार्य पूर्ण' एवं 'कार्य किया जाना है' के आधार पर तैयार किए गये थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि '300 मिमी व्यास पाइल का कार्य' पहले निष्पादित हो चुका था, फिर भी, सीएण्डडीएस ने ईएफसी को प्रस्तुत विस्तृत प्राककलन में उपरोक्त कार्यों को ₹ 17,650 प्रति पाइल (217 प्रतिशत की वृद्धि) की दर से निष्पादित दर्शाया। इस विसंगति पर ईएफसी या विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

जीओयूपी द्वारा अनुमोदन के बाद सी एण्ड डीएस ने पहले से ही भुगतान की गई दरों और नई दरों के बीच के अन्तर का भुगतान ठेकेदार को कर दिया (मार्च 2013)। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.09 करोड़²³ का अस्वीकार्य भुगतान हो गया। इस प्रकार, सी एण्ड डीएस ने पहले ही निष्पादित किये गये कार्य को अत्याधिक बढ़ी हुयी दर पर प्रस्तुत करके और भुगतान करके न केवल जीओयूपी को गलत जानकारी दी, परन्तु उसने भुगतान की गई दरों और बाद में स्वीकृत दरों के अन्तर का ठेकेदार को भुगतान किया, जिससे उसे ₹ 4.09 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2019) कि ठेकेदार के साथ किये गये अनुबन्ध का मूल्य (₹ 54.76 करोड़) तदर्थ था क्योंकि सी एण्ड डीएस को दिनांक 27 जनवरी 2010 के जीओयूपी के आदेशानुसार अनुबन्ध के मूल्य का अनुमान लगाने का पर्याप्त समय नहीं मिला। ठेकेदार को तदर्थ आधार पर भुगतान किया गया। उपर्युक्त कार्यों के लिए संशोधित दरों की अनुशंसा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पीएफएडी) द्वारा की गयी एवं ईएफसी द्वारा अनुमोदित किया गया और सरकार को कोई गलत सूचना नहीं दी गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध में कोई शर्त नहीं है जो दर्शाता है कि मूल्य तदर्थ है। पाइल कार्य पहले से ही निष्पादित थे और सहमत दर (₹ 5,569 प्रति पाइल) पर ही निष्पादित कर, भुगतान किया गया था। फिर भी, सी एण्ड डीएस ने ईएफसी को प्रस्तुत विस्तृत संशोधित प्राककलनों में ₹ 17,650 प्रति पाइल की दर से निष्पादित कार्यों के रूप में दर्शाया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईएफसी की स्वीकृति सीएण्डडीएस द्वारा उन्हें दी गयी गलत सूचना पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध के अनुसार, ठेकेदार को कोई मूल्य वृद्धि नहीं दी जानी थी।

इस प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (मार्च 2019) उत्तर अभी भी (सितम्बर 2019) प्रतीक्षित है।

²³ 3,595 पाइलिंग कार्य (1,835 एकेडमिक ब्लाक + 704 गर्ल्स हॉस्टल + 1,056 ब्यॉज एण्ड गर्ल्स हॉस्टल) x (₹ 17,650 – ₹ 5,569) 5.8 प्रतिशत कम।

भाग—ब

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं संस्थाएँ
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय—VI

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) की
कार्य पद्धति

अध्याय—VI

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों और संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) की कार्य पद्धति


6.1 प्रस्तावना

यह अध्याय लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थाओं के (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति एवं उनके लेखाओं के बकाया की स्थिति दर्शाता है।

6.2 विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के 18 विभाग और 44 प्राधिकरण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इन विभागों का नेतृत्व किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति लेखाचित्र-1 में दर्शायी गयी है।



स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति तालिका 6.1 में दी गई है।

तालिका-6.1: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015-16	2016-17	2017-18
ऊर्जा	48,218.81	33,976.69 ¹	17,265.50 ²
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	3,080.27	6,296.11 ³	1,740.56 ⁴
आवास एवं शहरी नियोजन	2,213.97	2,888.06	723.39 ⁵
राजस्व (कलेकट्रेट के अतिरिक्त)	2,495.16	2,721.56	2,987.80
वन	840.46	1,231.72	808.21 ⁶

चेतेः सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

6.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017–18 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित 18 विभागों के अन्तर्गत कुल 508 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 111 की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

6.4 लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करता है, जैसे,

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन:** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (निप्र):** लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।
- **ड्राफ्ट पैराग्राफ:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयां कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **समापन गोष्ठी:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रमुख एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों/विभाग प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा ठोस/स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर

¹ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिए 2015–16 में ₹ 24,232.48 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 14,801.28 करोड़ व्यय किये गये।

² 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सञ्चालन, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

³ पूर्वान्वय एक्सप्रेसवे के लिए 2016–17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

⁴ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

⁵ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं; शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण।

⁶ 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाईयां/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

6.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (निप्र)

18 विभागों से सम्बंधित 716 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2018 तक ठोस उत्तर की प्रत्याशा में 1,537 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 5,646 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 238 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 584 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि 1,299 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 5,062 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी थी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 6.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका-6.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2018 तक जारी) की 31 मार्च 2019 को स्थिति

क्र०सं०	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2017-18	129 (8)	459 (8)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	410 (27)	2,183 (39)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	214 (14)	859 (15)
4	5 वर्षों से अधिक	784 (51)	2,145 (38)
योग		1,537	5,646

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2017–18 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की दो बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गयीं जिनमें 06 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 17 प्रस्तरों का निराकरण किया गया।

6.4.2 निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाएं

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के लिए 10 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेषित किया गया था। हालाँकि, नौ लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बंधित उत्तर/प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। एक लेखापरीक्षा प्रस्तर का प्रत्युत्तर बार-बार स्मरण कराने के बाद भी अभी तक (सितम्बर 2019) प्राप्त नहीं हुआ है।

6.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

6.5.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका-6.3 में दी गयी है।

तालिका—6.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ⁷ (30 सितम्बर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र/गैर-पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (निले)/विषयगत लेखापरीक्षा (विले) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा (अले) प्रस्तर		निले, विले एवं अले प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		निले/विले	अले प्रस्तर	निले/विले	अले प्रस्तर
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	0
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	2
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	4
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
2016-17	19 जुलाई 2019	-	4	-	4
योग		10	23	9	14

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

6.5.2 लोक लेखा समिति (लोलेस) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार—विमर्श

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 10 निले/विले तथा 23 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गये। इनमें से, लोलेस ने नौ प्रस्तर लिखित उत्तर के लिए छुने। हालाँकि, इन प्रस्तरों के संबंध में कोई कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) प्राप्त नहीं हुई है। 30 सितम्बर 2019 को लोलेस द्वारा विचार—विमर्श की विस्तृत स्थिति तालिका—6.4 में दी गयी है।

तालिका—6.4: लोलेस, उत्तर प्रदेश, विधानसभा द्वारा विचार—विमर्श की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर-पीएसयू लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	33 (10 निले/विले + 23 अले)
लोलेस द्वारा विचार—विमर्श हेतु लिये गये (भौखिक चर्चा)	शून्य
लोलेस द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिये गये	09 (02 निले/विले + 07 अले)
लोलेस द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	लागू नहीं

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

6.6 संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन संस्थाओं के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है तथा राज्य विधानमण्डल में सरकार द्वारा रखा जाता है।

⁷ वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात संवर्धन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अतिरिक्त स्रोतों से ऊर्जा/गैर-पारम्परिक ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं सहकारिता विभाग से सम्बंधित।

संस्थाओं के बकाया लेखाओं का अन्तिमीकरण तथा प्रस्तुति

6.6.1 31 मार्च 2018 तक उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के तहत 44 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी⁸ गयी थी। 44 संस्थाओं में से दो संस्थाओं ने अपने 2017–18 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था। बची हुयी 42 संस्थाओं के 106 लेखे, सितम्बर 2019 तक बकाया थे। 42 संस्थाओं में से, 36 संस्थाओं के लेखे एक वर्ष से बकाया थे, एक संस्था का लेखा पाँच वर्ष से बकाया था तथा पाँच संस्थाओं के लेखे 13 वर्ष से बकाया थे, जिसका विवरण तालिका-6.5 में दिया गया है।

तालिका-6.5: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं के बकाया लेखाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	संस्थाओं का नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	2017-18	01
2	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण	2017-18	01
3	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14 से 2017-18	05
4	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18	01
5	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
6	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य
7	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
8	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
9	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
10	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
11	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
12	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
13	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
14	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
15	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18	01
16	हापुड़ / पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
17	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18	01
18	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
19	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
20	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18	01
21	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
22	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18	01
23	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18	01
24	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
25	अयोध्या / फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
26	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
27	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
28	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01

⁸ सात औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जीओयूपी के आदेश दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा 2005–06 से सौंपी गयी थी तथा 28 विकास प्राधिकरणों एवं पाँच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा, जीओयूपी के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2017 द्वारा सौंपी गयी।

क्र० सं०	संस्थाओं का नाम	वर्ष जिनके लिए बकाया है	बकाया लेखापरीक्षा की संख्या
29	उन्नाव—शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18	01
30	झाँसी विकास प्राधिकरण	2017-18	01
31	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
32	बुलंदशहर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
33	खुजां विकास प्राधिकरण	2017-18	01
34	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18	01
35	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
36	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
37	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
38	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18	01
39	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शवितनगर	2017-18	01
40	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18	01
41	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18	01
42	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विघ्याचल—मिर्जापुर	2017-18	01
43	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर	2017-18	01
44	उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	शून्य	शून्य

आठ: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

6.6.2 उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली दो संस्थाओं के लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पूलेप्र), जो कि अभी राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हैं, का विवरण तालिका-6.6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6.6: राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण

क्र० सं०	संस्था का नाम	वर्ष जहाँ तक पूलेप्र विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधानमण्डल में प्रस्तुत न किये गये पूलेप्र की स्थिति		पूलेप्र को प्रस्तुत न किये जाने के कारण
			पूलेप्र का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	इसकी स्थापना (2003-04) से कोई पूलेप्र विधानमण्डल में नहीं प्रस्तुत किये गये	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	19 अक्टूबर 2006 5 अक्टूबर 2007 5 अक्टूबर 2007 3 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015 18 मई 2017 08 मार्च 2019	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये
2	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण	शून्य	2010-11 2011-12 2012-13	2 मई 2019 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये

6.7 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/संस्थाओं में चार प्रकरणों में ₹ 49.00 करोड़ की इंगित वसूलियाँ स्वीकार की गयी थीं। इसके विरुद्ध, 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक एक प्रकरण में ₹ 1.19 करोड़ की वसूली की गयी जिसका विवरण तालिका-6.7 में दिया गया है।

तालिका-6.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/वसूली की गयी वसूलियाँ (₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाने में विफल रही	1	6.83	-	-
	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगरीय विकास शुल्क को संशोधित एवं वसूल करने में विफल रही	1	18.91	-	-
	प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ देकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हानि उठानी पड़ी	1	22.14	-	-
ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का विभाग	ठेकेदार के बिलों से लेबर सेस का न काटा जाना	1	1.12	1	1.19
योग		4	49.00	1	1.19

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

अध्याय—VII

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से
सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय—VII

7. आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच से निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में शामिल किये गये हैं।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

7.1 हाई-टेक टाउनशिप नीति

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्याओं को कम करने के लिए और शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी विकासकर्ताओं को 1,500 एकड़ की भूमि पर न्यूनतम ₹ 750 करोड़ के निवेश के साथ हाई-टेक टाउनशिप का विकास करने हेतु आमंत्रित करने के उद्देश्य से हाई-टेक टाउनशिप नीति—2003 तैयार की गयी (नवम्बर 2003)।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) की अनुपालन लेखापरीक्षा ने हाई-टेक टाउनशिप नीति के सम्बंध में कुछ अनियमितताओं पर प्रकाश डाला, जिन पर आगामी प्रस्तरों 7.1.1 से 7.1.3 में चर्चा की गयी है:

7.1.1 हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ

भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाये बिना महायोजना में इंगित भू—उपयोग में परिवर्तन करके जीओयूपी ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लागत पर विकासकर्ताओं को ₹ 572.48 करोड़ का अनुचित लाभ अनुमन्य किया।

जीओयूपी के आदेश (अगस्त 2001) के अनुसार भूमि के मौजूदा उपयोग के लिए भूमि के शुद्ध क्षेत्रफल पर जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दरों पर भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाया जाना था। पूर्वोक्त आदेश में आगे यह उल्लेख किया गया था कि कृषि से आवासीय भू—उपयोग प्रकरण में भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क की दर 50 प्रतिशत होगी।

मई 2005 में जीओयूपी ने गाजियाबाद में हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए दो विकासकर्ताओं¹ का चयन किया। इस समय, महायोजना—2001 प्रभावी थी जिसके अनुसार, हाई-टेक टाउनशिप के लिए नामित क्षेत्र का भू—उपयोग कृषि था।

जुलाई 2005 में जीओयूपी द्वारा महायोजना—2021 अनुमोदित की गयी थी। महायोजना—2021 में यह प्रावधान किया गया था कि हाई-टेक टाउनशिप हेतु नामित भूमि का उपयोग सांकेतिक था, अतः जीओयूपी द्वारा चयनित विकासकर्ताओं को लागू भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क देना पड़ेगा तथा हाई-टेक टाउनशिप में प्रयोग के बाद बची हुयी शेष भूमि का प्रयोग कृषि हेतु माना जायेगा। इसके अतिरिक्त जीओयूपी के आदेश (18 मई 2006 एवं 17 सितम्बर 2007) द्वारा हाई-टेक नीतियों क्रमशः 2006 एवं 2007 को आरम्भ करते हुए यह भी नियत किया गया कि चयनित स्थल का भू—उपयोग महायोजना में आवासीय निर्धारित न होने की दशा में लागू भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क विकासकर्ताओं द्वारा देय होगा।

तथापि महायोजना—2021 के सम्बंध में जीओयूपी के आदेश (23 अप्रैल 2010) में कहा गया कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत हाई-टेक

¹ उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं सन सिटी हाई-टेक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड।

टाउनशिप हेतु भू-उपयोग सांकेतिक दिखाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि गाजियाबाद महायोजना-2021 में जैसा भू-उपयोग दिखाया गया था, उस प्रकार भूमि का उपयोग आवासीय माना जायेगा। अतः इस क्षेत्र पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2017) कि उपर्युक्त आदेश (23 अप्रैल 2010) के द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (विभाग), जीओयूपी ने विकासकर्ताओं के अनुरोध पर, महायोजना में सांकेतिक भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित कर दिया और परिणामतः दोनों विकासकर्ताओं द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं रह गया। इस सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित प्रेक्षित किया गया-

- विकासकर्ताओं के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू)² ने यह निर्धारित किया था कि यदि विकासकर्ताओं द्वारा चुना गया स्थल महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और एक हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो यह जीओयूपी द्वारा विधि के अनुसार महायोजना में संशोधनों के माध्यम से पूरा किया जायेगा और जिसके लिए जीओयूपी द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क विकासकर्ताओं द्वारा देय होगा।
- यह पूर्वोक्त आदेश इस तथ्य की अनदेखी करते हुए जारी किया गया था कि महायोजना में प्रस्तावित हाई-टेक शहर का भू-उपयोग मात्र सांकेतिक था तथा प्राधिकरण का आशय विकासकर्ताओं से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क वसूल करने के बाद ही भू-उपयोग को कृषि से आवासीय में बदलने का था।
- संयुक्त शासकीय हस्तान्तरक³, विधि विभाग, जीओयूपी ने अपनी राय में उल्लेख किया कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का न लिया जाना 'पोस्ट बिड बेनिफिट' की श्रेणी में होगा। यह विशिष्ट अभिमत विधि विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्राधिकरण ने (अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013) 4,722.19 एकड़⁴ भूमि के लिए विकासकर्ताओं की ले-आउट योजनाओं को अनुमोदित किया था जिसमें 3,702.97 एकड़⁵ भूमि महायोजना 2021 में हाई-टेक टाउनशिप के रूप में सांकेतिक रूप से चिह्नित थी, जिस-पर विकासकर्ताओं द्वारा ₹ 572.48 करोड़⁶ (परिशिष्ट-7.1) का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय था। हालाँकि, जीओयूपी के आदेश (23 अप्रैल 2010) के कारण उपर्युक्त शुल्क नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार, कृषि भूमि का भू-उपयोग बिना भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाये आवासीय भूमि में परिवर्तित कर दिया गया।

जिसके परिणामस्वरूप विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया एवं प्राधिकरण को ₹ 572.48 करोड़ की हानि हुई।

² उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के साथ 30.11.2005 को तथा सन सिटी हाई-टेक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड के साथ 22.12.2005 को।

³ यह विधि विभाग, जीओयूपी में एक पद है।

⁴ उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013) के लिए 4,004.25 एकड़ तथा सन सिटी हाई-टेक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (जुलाई 2011) के लिए 717.94 एकड़।

⁵ उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड-2,985.03 एकड़ तथा सन सिटी हाई-टेक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड-717.94 एकड़।

⁶ उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड-₹ 401.30 करोड़ तथा सन सिटी हाई-टेक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड-₹ 171.18 करोड़।

सरकार ने लेखापरीक्षा के साथ हुई बैठक (जून 2019) में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया परन्तु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली हेतु किसी कार्य योजना की सूचना नहीं दी।

7.1.2 अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का न आरोपित किया जाना

प्राधिकरण अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क ₹ 6.83 करोड़ आरोपित करने में विफल रहा।

मई 2005 में जीओयूपी ने गाजियाबाद में हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने हेतु मेसर्स उप्पल चड्डा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) का चयन किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गाजियाबाद में हाई-टेक टाउनशिप के विकास हेतु हाई-टेक नीति-2003 के अन्तर्गत विकासकर्ता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। प्राधिकरण और विकासकर्ता के मध्य हुए एमओयू के खण्ड-8 के अनुसार, यदि विकासकर्ता से संशोधित भूमि के हाई-टेक टाउनशिप के प्रयोजन के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे विधि के अनुसार निष्पादित किया जायेगा और निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क विकासकर्ता द्वारा देय होगा।

जीओयूपी के आदेश (अगस्त 2001) सपष्टित जीओयूपी के अप्रैल 2010 के आदेश के अनुसार, लागू भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क उस भूमि के शुद्ध क्षेत्रफल पर आधारित है, जिस पर अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में मकानों का निर्माण प्रस्तावित था। अतः यदि भूमि के शुद्ध क्षेत्र की उपलब्धता में वृद्धि के लिए डीपीआर को संशोधित किया गया तो निरीक्षण शुल्क, नगर विकास शुल्क आदि जैसे अन्य शुल्कों में वृद्धि के साथ ही अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी लगाया जाना था।

प्राधिकरण ने 4,494.31 एकड़ के लिए डीपीआर अनुमोदित किया (जुलाई 2011) जिसमें 1,019.22 एकड़ कृषि भूमि शामिल थी। भू-उपयोग परिवर्तन के लिए विकासकर्ता के अनुरोध पर (दिसम्बर 2011), प्राधिकरण ने भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क ₹ 114.26 करोड़, ग्रीन बैल्ट और सड़कों के चिन्हित क्षेत्र को घटाने के बाद, 'शुद्ध क्षेत्र के गुणांक' (0.6262) के आधार पर लगाया।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी 2016) कि इसके बाद विकासकर्ता ने योजना की रूपरेखा को बदल दिया और एक संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया (मार्च 2013) जिसे प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया (सितम्बर 2013)। संशोधित डीपीआर के आधार पर विकासकर्ता ने एक संशोधित ले-आउट योजना प्रस्तुत की (सितम्बर 2013), जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था (अक्टूबर 2013)। संशोधित ले-आउट योजना में घरों के निर्माण के लिए भूमि के शुद्ध क्षेत्रफल की उपलब्धता में वृद्धि के कारण 'शुद्ध क्षेत्र का गुणांक' 0.6262 से बढ़कर 0.6502 हो गया। अतः अन्य शुल्कों के साथ अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क ₹ 6.83 करोड़ की राशि (**परिशिष्ट-7.2**) देय थी। यद्यपि प्राधिकरण ने अन्य शुल्क लगाये लेकिन वह भूमि के शुद्ध क्षेत्रफल में वृद्धि पर अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप न केवल विकासकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया गया, बल्कि प्राधिकरण को ₹ 6.83 करोड़ की हानि भी हुई।

प्राधिकरण/सरकार ने लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया (जनवरी 2019/जून 2019)। प्राधिकरण ने आगे कहा कि देय राशि की वसूली के लिए विकासकर्ता को एक माँग पत्र जारी किया जा चुका है। लेखापरीक्षा के अनुरोध किए जाने (अगस्त 2019) के बावजूद वर्तमान प्रकरण में वसूली की सूचना अभी तक लंबित है।

7.1.3 नगरीय विकास शुल्क का संशोधन और वसूली न किया जाना

प्राधिकरण ₹ 18.91 करोड़ की राशि के नगरीय विकास शुल्क को संशोधित करने और वसूल करने में विफल रहा।

जीओयूपी ने नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विकासकर्ताओं पर ₹ 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) लेने का निर्णय लिया (सितम्बर 2007)। सीडीसी की दर पुनः संशोधित करके (अगस्त 2008) ₹ तीन लाख प्रति एकड़ कर दी गई।

नवम्बर 2014 में, जीओयूपी ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (नगरीय विकास शुल्क का मूल्यांकन, आरोपण और संग्रहण) नियम, 2014 (उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत बनाया गया) अधिसूचित किया। नियम, 2014 के अनुसार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लागत सूचकांक के आधार पर सीडीसी को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के 1 अप्रैल को संशोधित किया जाना था। इसके बाद जीओयूपी ने सभी विकास प्राधिकरणों को लागत सूचकांक के आधार पर सीडीसी को संशोधित करने तथा उसे हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं से, जिनके ले-आउट, नियम 2014 की अधिसूचना से पहले अनुमोदित किए जा चुके थे, वसूल करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए, मेसर्स उपल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) को चयनित किया गया था (मई 2005) तथा एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गये थे (नवम्बर 2005)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने चरणों⁷ में हाईटेक टाउनशिप हेतु कुल 4,004.25 एकड़ भूमि के ले-आउट योजना को अनुमोदित किया और प्रत्येक चरण पर प्रति एकड़ ₹ तीन लाख की दर से नगरीय विकास शुल्क लगाया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीओयूपी के आदेश (सितम्बर 2015) के बावजूद प्राधिकरण प्रचलित लागत सूचकांक के आधार पर नगरीय विकास शुल्क के संशोधन के लिए और उसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.91 करोड़ (परिशिष्ट-7.3) की हानि हुई।

प्राधिकरण/सरकार ने लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया (जून 2019)। प्राधिकरण ने आगे कहा कि विकासकर्ता को माँग पत्र जारी किया जा चुका है। लेखापरीक्षा के अनुरोध किये जाने (अगस्त 2019) के बावजूद वर्तमान प्रकरण में वसूली की सूचना अभी तक लंबित है।

7.2 भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का कम लगाया जाना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ₹ 10.91 करोड़ का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क कम लगाया।

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क—मूल्यांकन, आरोपण एवं संग्रहण) नियम⁸, 2014 (नियम, 2014) के अनुसार, जहाँ किसी भी विकास क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम) की धारा 13 के तहत महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के संशोधन के परिणामस्वरूप भूमि विशेष का भू-उपयोग बदल जाता है तो ऐसी भूमि के स्वामी पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के अन्तिम निर्णय की तिथि पर लागू भूमि के सर्किल रेट के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाया जाना था। इस अधिसूचना से पूर्व, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का आरोपण जीओयूपी के 2001 के

⁷ अक्टूबर 2010, सितम्बर 2011 तथा अक्टूबर 2013।

⁸ दिसम्बर 2014 में अधिसूचित।

आदेश से नियंत्रित किया जाता था। भू-उपयोग परिवर्तन की अन्तिम अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जाती है।

पुलिस सिटी सहकारी आवास समिति (समिति) ने ग्राम शाहपुर बम्हेटा, जिला-गाजियाबाद स्थित 20.79 हेक्टेयर कृषि भूमि के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने हेतु आवेदन किया था (सितम्बर 2009)। इसके बाद, प्राधिकरण ने भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में ₹ 13.72 करोड़ की माँग की (अगस्त 2011)। जैसा कि प्रस्तावित क्षेत्र बाद में घटकर 17.598 हेक्टेयर रह गया, प्राधिकरण ने तत्कालीन प्रचलित भूमि दरों के आधार पर समिति को ₹ 12.18 करोड़ की संशोधित माँग पत्र जारी किया (जून 2012)। प्राधिकरण द्वारा जारी ₹ 12.18 करोड़ की माँग के विरुद्ध समिति द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

समिति ने पुनः प्राधिकरण से सम्पर्क किया (जनवरी 2014) और उससे छः बराबर किस्तों में तीन साल के अन्दर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। प्राधिकरण ने प्रकरण को राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जिसने निर्देश दिये (जून 2014) कि प्रकरण को लागू नियमों के अनुसार निस्तारित किया जाये।

जीओयूपी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण ने पुनः समिति को धनराशि जमा करने हेतु कहा (जून 2014)। हालाँकि, समिति ने उसे जमा नहीं किया।

समिति ने एक बार फिर से प्राधिकरण से सम्पर्क किया (फरवरी 2016) तथा एक नया माँग पत्र जारी करने का अनुरोध किया। प्राधिकरण ने अगस्त 2016 में ₹ 29.73 करोड़ का माँग पत्र जारी किया (नियम, 2014 के अनुसार परिगणित)। समिति ने प्राधिकरण से सम्पर्क किया (दिसम्बर 2016) और जून 2012 में जारी माँग पत्र के आधार पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की पुर्णगणना करने हेतु अनुरोध किया। प्राधिकरण के बोर्ड ने समिति का अनुरोध स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2016)। प्राधिकरण ने उसके पश्चात ₹ 18.82 करोड़ (18.741 हेक्टेयर) का एक संशोधित माँग पत्र जून 2012 में लागू भूमि दरों के आधार पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित निर्गत किया। समिति ने दिसम्बर 2016 में पूर्ण धनराशि ₹ 18.82 करोड़ जमा कर दी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नियम, 2014 मात्र यह प्रावधानित करता है कि 12 प्रतिशत की दर से ब्याज उसी प्रकरण में भारित किया जायेगा जब आवेदक को भू-परिवर्तन शुल्क किस्तों में जमा करने की अनुमति दी जायेगी। पूर्व तिथि पर लागू भूमि दरों पर इन शुल्कों की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की पूर्ण धनराशि जमा करने हेतु अधिकतम अनुमन्य समय सीमा दो वर्ष की थी।

चूंकि प्राधिकरण द्वारा शुल्क जमा करने के लिए कोई समय विस्तार नहीं दिया गया था, नियमानुसार माँगी गयी राशि को जमा करने के लिए अधिकतम अनुमन्य समय, दो वर्ष के पश्चात् (जून 2014) प्रकरण समाप्त हो जाता है। अतः आवेदन को एक नया आवेदन माना जाना चाहिए तथा जैसा कि प्राधिकरण ने अगस्त 2016 में तय किया था, एक नई माँग जारी की जानी चाहिए थी।

दिसम्बर 2016 में लागू दरों पर (बोर्ड के निर्णय की तिथि) के स्थान पर जून 2012 में लागू भूमि दरों के आधार पर ब्याज सहित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना तथा प्रकरण को नया न मानकर, जबकि, यह प्रकरण प्रारम्भिक माँग जारी होने के दो वर्ष बाद स्वतः ही समाप्त हो गया था, लागू भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क ₹ 10.91 करोड़ की सीमा तक कम लगाया गया था।

प्राधिकरण ने कहा (अगस्त 2019) कि पत्र (जून 2012) के आधार पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाये जाने का प्रकरण एक नीतिगत प्रकरण था

तथा निर्णय केवल प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा लिया जाना था। तदनुसार, बोर्ड ने अपनी बैठक (दिसम्बर 2016) में इसे अनुमोदित कर दिया और निर्णय से सरकार को अवगत करा दिया (जनवरी 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित एक आरोपण है अतः इसे बदलना/संशोधित करना बोर्ड के नियन्त्रण प्रभाव से परे है।

सरकार ने, हालाँकि, लेखापरीक्षा के साथ हुई बैठक में लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया (जून 2019) परन्तु कम लगाये गये भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली हेतु किसी कार्य योजना की सूचना नहीं दी है।

7.3 सम्पत्तियों की बिक्री में सरकार के आदेशों का अनुपालन न करना

विकास प्राधिकरणों की अनुपालन लेखापरीक्षा में सम्पत्तियों की बिक्री में सरकारी आदेशों का गैर-अनुपालन पाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 151.98 करोड़ की हानि हुई जैसा कि आगामी प्रस्तरों 7.3.1 से 7.3.3 में चर्चा की गयी है:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

7.3.1 अनुमन्य फलोर एरिया अनुपात के अनुरूप आरक्षित दर निर्धारित न करके विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सरकार के आदर्श दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर, अनुमन्य फलोर एरिया अनुपात (एफएआर) के अनुसार सामूहिक आवासीय भूखण्डों की आरक्षित दर निर्धारित करने में विफलता के कारण ₹ 70.73 करोड़ की हानि वहन की।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने राज्य में विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की लागत निर्धारण में एकरूपता लाने के लिए आदर्श दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) जारी किये (नवम्बर 1999)। ये दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि बिक्री योग्य आवासीय/वाणिज्यिक सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण सम्पत्ति की माँग और उस पर स्वीकार्य फलोर एरिया अनुपात (एफएआर) पर निर्भर करेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के बोर्ड ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अपनाया (फरवरी 2000)। इसके अतिरिक्त, भवन निर्माण एवं विकास उपयोग 2008 ने भी समूह आवासीय भूखण्डों हेतु कोई भी अतिरिक्त एफएआर क्रय योग्य होने के साथ 1.5 मूलभूत एफएआर अनुमन्य किया है।

प्राधिकरण अपनी प्रत्येक योजनाओं में भूमि की क्षेत्र दर को निर्धारित करता है जो बाद में आवासीय भूखण्डों की बिक्री के लिए आधार दर के रूप में कार्य करती है। समूह आवासीय भूखण्डों को प्राधिकरण द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित किये जाने के बाद नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। इसीलिए, जीओयूपी के दिशानिर्देशानुसार, समूह आवासीय भूखण्डों की नीलामी के लिए आरक्षित दर, क्षेत्र दर गुणित अनुमन्य एफएआर के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2017 एवं अप्रैल 2018) कि प्राधिकरण ने छ: समूह आवासीय भूखण्डों को नीलाम किया (दिसम्बर 2010 तथा दिसम्बर 2014) और मूलभूत एफएआर 2.0 से 2.5 के मध्य अनुमन्य किया। हालाँकि, इन भूखण्डों का आरक्षित मूल्य, अनुमन्य एफएआर के आधार के बजाय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित क्षेत्र दरों के 1.5 गुना पर निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान किया गया और फलस्वरूप प्राधिकरण को ₹ 70.73 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट-7.4)।

प्राधिकरण ने कहा (जनवरी 2019) कि आवासीय एवं वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए क्रमशः क्षेत्र दर का 1.5 गुना और 2.0 गुना की दर से आरक्षित दर निर्धारित करने हेतु बोर्ड के निर्णय (सितम्बर 2009) के अनुसार आरक्षित दर निर्धारित की गयी थी। आगे

कहा गया कि जीओयूपी ने निर्देश दिया (अगस्त 2011) कि 1.5 से अधिक और 2.5 तक अतिरिक्त एफएआर हेतु एफएआर शुल्क, निर्माणकर्ता से वसूल किया जायेगा। इसलिए, निर्माणकर्ता आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद, अतिरिक्त वांछित एफएआर प्राप्त कर सकता है।

जबकि प्राधिकरण का उत्तर मौजूदा नियम की पुष्टि करता है, यह आरक्षित मूल्य के निर्धारण में अतिरिक्त एफएआर पर विचार न करने के विशिष्ट मामलों पर मौन है।

सरकार ने, हालाँकि, लेखापरीक्षा के साथ हुई बैठक (जून 2019) में लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया परन्तु धनराशि की वसूली हेतु किसी कार्य योजना की सूचना नहीं दी।

7.3.2 आरक्षित दर में कार्नर शुल्क को शामिल नहीं करना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कार्नर की सम्पत्ति की नीलामी हेतु आरक्षित दरों में कार्नर शुल्क शामिल न करने से ₹ 10.74 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (विभाग) ने विकास प्राधिकरणों द्वारा बनायी गयी तथा विकसित की गयी सम्पत्तियों की लागत के निर्धारण के लिए आदर्श दिशानिर्देश जारी किये (नवम्बर 1999) जिससे उनकी सम्पत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। पूर्वोक्त दिशानिर्देश साथ-साथ कार्नर पर स्थित सम्पत्ति की लागत निर्धारण के लिए 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने का प्रावधान करते हैं। जीओयूपी ने स्पष्ट किया (18 जून 2009) कि कार्नर सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क मात्र भूमि की लागत पर लगाया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2016 एवं मई 2018) कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) जुलाई 2006 से दिसम्बर 2014 तक नीलाम की गयीं 36 नमूना जाँच सम्पत्तियों में से चार कार्नर सम्पत्तियों के आरक्षित दर में कार्नर शुल्क सम्मिलित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.74 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट-7.5)।

प्राधिकरण ने कहा (जनवरी 2019) कि बड़ी संख्या में अबिक्रीत सम्पत्तियों को देखते हुए, प्राधिकरण के बोर्ड ने 2000 वर्ग मीटर से बड़े कार्नर भूखण्डों की बिक्री पर कार्नर शुल्क न लगाये जाने हेतु विभाग से अनुरोध करने और सरकार के निर्णय आने तक इसे बोलीकर्ताओं से न माँगने का निश्चय किया (अक्टूबर 2014)। लेकिन सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

सरकार द्वारा निर्धारित कार्नर शुल्क को बोर्ड द्वारा न लगाया जाना, बोर्ड द्वारा शक्तियों के परे जाने का एक स्पष्ट प्रकरण है और सरकार के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके कारण प्राधिकरण को हानि हुई है।

सरकार ने, हालाँकि, लेखापरीक्षा के साथ हुई बैठक (जून 2019) में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया परन्तु हानि की वसूली के लिए कोई कार्य योजना सूचित नहीं की।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण और लखनऊ विकास प्राधिकरण

7.3.3 भूखण्डों के विक्रय पर अवस्थापना अधिभार आरोपित नहीं किया जाना

विकास प्राधिकरण भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 70.51 करोड़ का अवस्थापना अधिभार आरोपित करने में विफल रहे।

शहरी क्षेत्रों में आवासीय अवसंरचना विकसित करने के लिए एक अलग कोष बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों को चिन्हित

स्रोतों⁹ से अपनी आय का एक निश्चित भाग अलग रखने का निर्देश दिया (15 जनवरी 1998)। इस कोष को प्राधिकरण के अपने कोष से पृथक एक अलग खाते में रखा जाना था। प्राधिकरण द्वारा बेचे गये भूखण्डों पर भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना चिह्नित स्रोतों में से एक था।

जीओयूपी ने एक नया आदेश जारी किया (26 जुलाई 2018) जो कि उसके जारी होने की तिथि से लागू होता है, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि चिह्नित स्रोतों से प्राधिकरणों की आय का एक निश्चित भाग दो अलग—अलग खातों जो कि शहरी अवस्थापना विकास खाता एवं क्षेत्रीय अवस्थापना खाता है, में जमा किया जायेगा। इस आदेश में अवस्थापना अधिभार के आरोपण को स्रोत के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया। इस प्रकार अवस्थापना अधिभार लगाने की प्रयोज्यता जनवरी 1998 से जुलाई 2018 तक थी।

विकास प्राधिकरण विभिन्न उद्देश्यों अर्थात् आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत आदि के लिए भूखण्डों का विकास और बिक्री करते हैं। इन भूखण्डों को प्राधिकरण द्वारा नीलामी/लॉटरी प्रणाली के माध्यम से बेचा जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण इन भूखण्डों के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय करता है। फिर भी, तीन विकास प्राधिकरणों द्वारा जीओयूपी के आदेश (जनवरी 1998) के उल्लंघन में ₹ 70.51 करोड़ का अवस्थापना अधिभार नहीं लगाया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के निदेशक मण्डल (बीओडी) ने बड़ी संख्या में अविक्रित अपनी परिसंपत्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जीओयूपी से जनवरी 1998 के शासनादेश को अवक्रमित करते हुए अवस्थापना अधिभार न आरोपित करने का आदेश जारी करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2014)। बीओडी ने उनके अनुरोध के आधार पर सरकार के निर्णय लेने तक 2000 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों की नीलामी पर अवस्थापना अधिभार आरोपित नहीं करने का निर्णय लिया। फिर भी, बीओडी ने अपनी सभी बिक्री विवरणिका में विशेष रूप से अवस्थापना अधिभार आरोपित करने का प्रावधान किया जिसमें कहा गया था कि अगर सरकार जीडीए के अनुरोध से सहमत नहीं हुई, तो अवस्थापना अधिभार बोलीदाताओं द्वारा देय होगा। तदनुसार, यह मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2014)।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2017/मई 2018) कि बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय (अक्टूबर 2014) के बाद जीडीए ने विभिन्न योजनाओं¹⁰ में 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ₹ 175.45 करोड़ के छ: भूखण्डों को नीलाम किया। फिर भी, इसने ₹ 17.55 करोड़ (**परिशिष्ट-7.6**) के लागू अवस्थापना अधिभार आरोपित नहीं किया। यद्यपि जीडीए ने जीओयूपी द्वारा जीडीए के प्रस्ताव से सहमत नहीं होने की स्थिति में बोलीदाताओं द्वारा भविष्य में अवस्थापना अधिभार के भुगतान का उल्लेख आवंटन पत्र में किया था, इसने विवरणिका के शर्तों के अनुसार अधिभार का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी या किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति बोलीदाताओं से लेने का कोई भी वसूली तन्त्र सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार, जीडीए की कार्यवाही में प्रवर्तनीयता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, जीओयूपी के जुलाई 2018 के आदेश के बाद भी, अक्टूबर 2014 से जून 2018 की अवधि के लिए बकाया अवस्थापना अधिभार

⁹ दिनांक 15.01.1998 के शासनादेश के खण्ड-5 के अनुसार पिम्न स्तर की भूमि के परिवर्तन के लिए परिवर्तन शुल्क, प्राधिकरणों की योजनाओं के बाहर शहरी क्षेत्र के लिए ले-आउट अनुमोदन के लिए विकास शुल्क, अनाधिकृत कालोनियों के ले-आउट अनुमोदन के लिए विकास शुल्क, अनाधिकृत निर्माण के लिए शमन शुल्क, भूमि के फ्री-होल्ड के लिए शुल्क, अवस्थापना अधिभार और बिक्री विलेख के पंजीकरण से प्राप्त आय।

¹⁰ प्रताप विहार, इन्दिरा पुरम, वैशाली, कोयल इन्क्लेव एवं कर्पुरीपुरम।

की वसूली सुनिश्चित करने में जीडीए विफल रहा (अक्टूबर 2018)। किसी भी वसूली तन्त्र के न होने से अवस्थापना अधिभार की वसूली अब सदिग्ध है।

यह पुनः देखा गया कि जीडीए अक्टूबर 2014 से पहले अर्थात् उपर्युक्त निर्णय से पहले नीलाम किये गये के 10 भूखण्डों पर ₹ 42.10 करोड़ (**परिशिष्ट-7.6**) का अवस्थापना अधिभार, सम्बंधित फाइलों में बिना कारण बताये, आरोपित करने में विफल रहा।

(ii) मेरठ विकास प्राधिकरण: लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2017) कि मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने विभिन्न योजनाओं¹¹ के अन्तर्गत 17 भूखण्डों (नौ वाणिज्यिक भूखण्ड और आठ आवासीय भूखण्ड) का विक्रय नीलामी/लॉटरी प्रणाली के माध्यम से ₹ 14.28 करोड़ में किया (जून 2015 से जनवरी 2017 के बीच)। फिर भी, एमडीए ने उपर्युक्त भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से ₹ 1.43 करोड़ (**परिशिष्ट-7.7**) का लागू अवस्थापना अधिभार आरोपित नहीं किया।

(iii) लखनऊ विकास प्राधिकरण: इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2019) कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने विभिन्न योजनाओं¹² के अन्तर्गत ₹ 94.28 करोड़ कुल मूल्य के 13 वाणिज्यिक भूखण्डों का नीलामी प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया (मई 2016 से अप्रैल 2018)। फिर भी, प्राधिकरण ने उपर्युक्त भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से लागू ₹ 9.43 करोड़ (**परिशिष्ट-7.8**) का अवस्थापना अधिभार आरोपित नहीं किया।

इस प्रकार, अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए नियत ₹ 70.51 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राधिकरणों द्वारा अभी तक वसूल नहीं किया गया।

जीडीए और एलडीए प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2019 और जुलाई 2019) कि जीओयूपी ने अवस्थापना अधिभार लगाने से मना/रोक लगा दी है (जुलाई 2018)। एमडीए प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2018)।

सरकार ने लेखापरीक्षा के साथ बैठक में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जून 2019) और बताया कि जनवरी 1998 से जुलाई 2018 की अवधि में विकास प्राधिकरणों द्वारा भूखण्डों के विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से अवस्थापना अधिभार आरोपित करना प्रभावी था। फिर भी, इसने अवस्थापना अधिभार की वसूली के लिए किसी कार्य योजना को सूचित नहीं किया।

7.4 प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ

मेडिकल कॉलेज को प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ देने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ₹ 22.14 करोड़ की हानि हुयी।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग/मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की स्थापना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निर्देश जारी (अगस्त 2011) किये। निर्देश (अगस्त 2011) के अनुसार, आवेदकों को भूमि के परिवर्तन की अधिसूचना के बाद मानचित्रों के अनुमोदन के समय भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करना था। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जीओयूपी ने उच्च चिकित्सा शिक्षा में निजी निवेश के लिए एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की (जून 2013)। तदनुसार, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (एचयूपीडी) ने भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क में छूट की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की कि निजी मेडिकल कॉलेज के लिए

¹¹ श्रद्धा पुरी फेज-II, पॉकेट-डी; रक्षापुरम योजना, सेक्टर-I; स्पोर्ट्स गुडस कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) योजना पॉकेट-A; डॉ राम मनोहर लोहिया नगर योजना, पॉकेट-डी एवं ई; पल्लवपुरम योजना, पॉकेट-जे।

¹² गोमती नगर योजना, गोमती नगर विस्तार योजना, सीतापुर रोड योजना एवं कानपुर रोड योजना।

छूट, प्रोत्साहन योजना के आरम्भ होने की तिथि (अर्थात् 20 जून 2013 से) से लागू होगी।

मेडिकल संस्थान के भवन का निर्माण मोदीनगर, गाजियाबाद में स्थित कृषि भूमि पर बिना मानचित्र के अनुमोदन के किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) द्वारा बिल्डर/प्रोमोटर के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के बाद संस्थान ने 24 एकड़ (97,120.00 वर्गमीटर) क्षेत्रफल की भूमि के कृषि से नॉलेज पार्क में भू-उपयोग परिवर्तन (सितम्बर 2011) और अनधिकृत भवन निर्माण शमन (मार्च 2013) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव जीओयूपी को अनुमोदन के लिए भेजा (मार्च 2012)। भू-उपयोग परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना मई 2013 में जारी की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2017) कि संस्थान ने प्राधिकरण से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं मानचित्र अनुमोदन के सम्बंध में अन्य शुल्कों में जीओयूपी की 2013 की प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया (जुलाई 2013)। प्राधिकरण ने उक्त प्रोत्साहन योजना का लाभ संस्थान को देने के लिए एचयूपीडी से पूछा (सितम्बर 2013)। एचयूपीडी ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2013) कि जीओयूपी के आदेश (जून 2013) में उल्लिखित प्रोत्साहन योजना का लाभ इस संस्थान को नहीं दिया जा सकता एवं इसके अतिरिक्त संगत शासनादेशों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली के लिए प्राधिकरण को निर्देशित किया। प्राधिकरण ने कोई भी माँग पत्र जारी नहीं किया और एचयूपीडी के दिसम्बर 2013 के आदेश के अनुसार जून 2013 से प्रभावी प्रोत्साहन योजना का लाभ संस्थान को देने के लिए पुनः पूछा (मार्च 2014)। एचयूपीडी ने पुनः स्पष्ट किया (अगस्त 2014) कि योजना का लाभ संस्थान को नहीं दिया जा सकता। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कोई भी लाभ देने से एचयूपीडी के अस्वीकार करने के बाद भी प्राधिकरण ने संस्थान को प्रोत्साहन योजना का लाभ देते हुए संस्थान के शमन मानचित्र का अनुमोदन कर दिया (जुलाई 2016)। एचयूपीडी के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क के लिए आदेश के बाद भी इसने ₹ 22.14 करोड़¹³ का माँग पत्र जारी नहीं किया। इस प्रकार, संस्थान को प्रोत्साहन योजना का लाभ देने से प्राधिकरण को ₹ 22.14 करोड़ की हानि हुई।

प्राधिकरण ने बताया (अगस्त 2018 और जनवरी 2019) कि सरकार ने मार्च 2019 तक एमसीआई की अनुमति मिलने पर संस्थान को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है (जून 2018)। प्राधिकरण ने आगे बताया (जून 2019) कि संस्थान ने एमसीआई की अनुमति को प्रस्तुत नहीं किया इसलिए विकास शुल्क और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करने के लिए एक माँग पत्र जारी किया गया है। तथ्य यह है कि अनुचित लाभ दिया गया क्योंकि इस मामले में भू-उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना मई 2013 में अर्थात् जून 2013 से प्रोत्साहन योजना के आरम्भ होने से पहले जारी की गयी थी और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था (अक्टूबर 2013 और अगस्त 2014) कि इस मामले में प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता।

सरकार ने फिर भी लेखापरीक्षा के साथ बैठक में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जून 2019)। लेकिन इन्होंने शासनादेशों (अक्टूबर 2013 एवं अगस्त 2014) के उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश नहीं दिया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध करने (अगस्त 2019) के बाद भी इस मामले में वसूली के बारे में सूचित नहीं किया गया।

¹³ विकास शुल्क ₹ 16.02 करोड़ एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क ₹ 6.12 करोड़।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

7.5 मानचित्रों की स्वीकृति के समय लेबर सेस के आंकलन एवं संग्रहण में विफलता

प्रचलित शासनादेशों की अवहेलना करते हुए लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 145 मानचित्रों की स्वीकृति के समय ₹ 5.86 करोड़ के लेबर सेस का आंकलन एवं संग्रहण करने में विफल रहा।

भारत सरकार (जीओआई) ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) को अधिनियमित किया, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा किए गये निर्माण की लागत पर उपकर¹⁴ आरोपित करने और संग्रह करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी थीं। जीओआई ने उपकर अधिनियम की धारा-14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करके भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 (उपकर नियमावली) को भी बनाया।

उपर्युक्त उपकर अधिनियम एवं नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकार के 'उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 (नियमावली)¹⁵ की अधिसूचना¹⁶ (फरवरी 2009) के साथ लागू किये गये थे। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत 'उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार' कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का भी गठन किया।

जीओयूपी के शासनादेश (सितम्बर 2010 / अगस्त 2011) द्वारा प्राधिकरणों में ₹ 10 लाख से अधिक लागत के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति पर लागत पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस का आंकलन एवं संग्रहण एवं उसे कर्मकार कल्याण बोर्ड (एलआइडीए) के खाते में जमा करने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों के सचिवों को नामित किया गया।

जीओयूपी ने सभी प्रभागीय आयुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये गये उपकर की समीक्षा करने और उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (एलआईडीए) अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों के मानचित्रों/ले-आउटों को स्वीकृति देता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2017) कि एलआईडीए ने मानचित्रों/ले-आउटों को मंजूरी देते समय जीओयूपी आदेशों की अवहेलना करते हुए, निर्माण की अनुमानित लागत पर लेबर सेस की देय राशि के आंकलन और संग्रहण के लिए कोई तन्त्र विकसित नहीं किया। यह भी पाया गया कि एलआईडीए ने विभिन्न श्रेणियों के 145 आवासीय भवनों¹⁷ के मानचित्रों को स्वीकृत किया (फरवरी 2010 से मार्च 2018)। हालाँकि, इसने आवेदकों से देय ₹ 5.86 करोड़¹⁸ के लेबर सेस का आंकलन एवं संग्रहण नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मामले को प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिसने मानचित्रों/ले-आउटों को स्वीकृति देते समय लेबर सेस के आंकलन और

¹⁴ ऐसी दर पर जो दो प्रतिशत से अधिक न हो, लेकिन एक प्रतिशत से कम न हो।

¹⁵ उपकर अधिनियम की धारा-40, सपष्टित धारा-62 से प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से बनायी गयी।

¹⁶ अधिसूचना सं० 143 / 36-2-2009-251 (एसएम) / 95 दिनांक 04 फरवरी 2009।

¹⁷ स्वयं के आवासीय भवनों के 140 मानचित्र एवं 5 समूह आवासीय भवनों के मानचित्र।

¹⁸ यूपीपीडब्ल्यूडी की भवन निर्माण की प्लिंथ एरिया दर, जो कि निदेशक मण्डल की बैठक के बाद में एलआईडीए के द्वारा भी लेबर सेस का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाती है, पर गणना किया गया।

संग्रहण की स्वीकृति दी (अप्रैल 2018)। हालांकि, जीओयूपी के आदेशों के विलम्ब से कार्यान्वयन (आठ वर्ष) के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ लेबर सेस का आंकलन एवं संग्रहण नहीं किया जा सका।

एलआईडीए ने बताया (फरवरी 2019) कि निदेशक मण्डल ने आगे के मानचित्रों/ले—आउटों की स्वीकृति देते समय लेबर सेस के आंकलन एवं संग्रहण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया था (अप्रैल 2018)।

तथ्य यह है कि जीओयूपी के आदेशों के विलम्ब से कार्यान्वयन (आठ वर्ष) के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ के लेबर सेस की वैधानिक देयता का आंकलन एवं संग्रहण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, एलआईडीए द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए नियत ₹ 5.86 करोड़ की अतिरिक्त आय को अभी तक वसूल नहीं किया जा सका।

प्रकरण को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2018)। उत्तर अभी भी (सितम्बर 2019) प्रतीक्षित है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण

7.6 परिसमापन क्षतिपूर्ति आरोपित न करना

अभिकरण ने सेवाओं के निष्पादन में विफलता के लिए ₹ 1.73 करोड़ की परिसमापन क्षतिपूर्ति आरोपित न करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया

राममनोहर लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बनाये गये आवासों में 99,353 सोलर पॉवर पैक¹⁹ (एसपीपी) की पाँच साल की समावेशी मरम्मत वारंटी के साथ आपूर्ति, स्थापना, चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए) ने निविदाओं को आमंत्रित करने के बाद सभी करों को सम्मिलित करते हुए ₹ 26,200 प्रति एसपीपी की दर पर आठ फर्मों को कार्य आदेश निर्गत किये (12 फरवरी 2016)। प्रत्येक फर्म से किये गये अनुबन्ध में प्रावधानित है कि:

- कार्य आदेश होने के चार माह के अंदर कार्य पूरा करना होगा जिसे यूपीएनईडीए द्वारा अधिकतम दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ठेकेदार निर्धारित समय के अंदर कार्य पूरा करने में विफल हो जाता है तो यूपीएनईडीए ठेकेदार के जोखिम और लागत पर खुले बाजार से कार्य कराने के लिए स्वतन्त्र होगा (क्लॉज सं0 1.3); और
- यदि ठेकेदार समय अवधि में सेवाओं का निष्पादन करने में विफल रहता है तो यूपीएनईडीए बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुबन्ध के तहत अन्य उपायों के अतिरिक्त प्रत्येक विलम्बित सप्ताह के लिए अनिष्पादित सेवा मूल्य का एक प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा अनिष्पादित सेवा के मूल्य का 10 प्रतिशत तक होगी, परिसमापन क्षतिपूर्ति के रूप में कटौती करेगा। एक बार अधिकतम सीमा पहुँच जाने पर यूपीएनईडीए अनुबन्ध को समाप्त करने पर विचार कर सकता है। (क्लॉज सं0 2.1)।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2018) कि आठ फर्मों में से, तीन फर्म जिनको कुल आपूर्ति आदेश का 57 प्रतिशत कार्य (32 जिलों में 56,268 एसपीपी) दिया गया था, निर्धारित अवधि²⁰ में कार्य पूरा नहीं कर सके। ये फर्म मिलकर 13 जिलों में 13,108 (इन फर्मों

¹⁹ 03 एलईडी इनडोर लाइट (3 वॉट की 2 और 5 वॉट की 1) एक 25 वॉट की डीसी सीलिंग फैन और एक मोबाइल चार्जर संचालित करने के लिए सोलर पॉवर पैक।

²⁰ चार महीने (12 जून 2016) की निर्धारित अवधि जो 20 अगस्त 2016 तक यूपीएनईडीए द्वारा विस्तारित की गयी अर्थात् अनुबन्ध में नियत आठ सप्ताह के विरुद्ध नौ सप्ताह।

को आदेशित मात्रा का 23 प्रतिशत) एसपीपी की आपूर्ति करने में विफल रहीं। यूपीएनईडीए ने शेष एसपीपी के लिए चूककर्ता फर्मों के आदेश निरस्त कर दिये (अगस्त 2016 से नवम्बर 2016) और उसे मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं में से दो को समान कीमत पर व्यपवर्तन कर दिया। हालाँकि, यूपीएनईडीए ने अनुबन्ध का उल्लंघन करते हुये सभी तीन चूककर्ता फर्मों पर परिसमापन क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ₹ 1.73 करोड़ (परिशिष्ट-7.9) का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

सरकार और यूपीएनईडीए ने बताया (अप्रैल 2019 और फरवरी 2019) कि परिसमापन क्षतिपूर्ति लगाने से सम्बंधित अनुबन्ध का क्लॉज 2.1 इन दशाओं में लागू नहीं था क्योंकि चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अकृत आपूर्ति को समान कीमत पर अन्य ठेकेदार फर्मों को व्यपवर्तन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, तीन चूककर्ता फर्मों के साथ किये गये अनुबन्धों में आपूर्ति में विलम्ब से सम्बंधित कोई शर्त नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीनों फर्में कार्य पूरा करने की विस्तारित अवधि में भी एसपीपी की कार्य आदेश में संविदित मात्रा की आपूर्ति/निष्पादन नहीं कर सकीं। इसके अतिरिक्त, इन फर्मों से सम्बंधित एसपीपी की शेष मात्रा को दो अन्य फर्मों को व्यपवर्तन कर दिया गया, जिससे कार्य के निष्पादन में और विलम्ब हुआ। चूंकि चूककर्ता फर्में अनुबन्ध की निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत सेवाओं को निष्पादित करने में विफल रही थीं, इसलिए अनुबन्ध के क्लॉज 2.1 के अनुसार परिसमापन क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाना और निष्पादन सुरक्षा/बैंक गारंटी को जब्त करना उपयुक्त था।

(जयंत सिन्हा)

लखनऊ

दिनांक 8 जुलाई 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

(राजीव महिर)

नई दिल्ली

दिनांक 13th July, 2020

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्टयाँ

परिशोधि-1.1

(प्रस्तर 1.9, 1.10 एवं 1.13 में संदर्भित)

नवीनतम वर्ष के अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणाम का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का वर्ष	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी ¹	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि ²	संचित लाभ/हानि
अ उत्पादन									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	1257.79	128.95	9991.01	10796.79	21283.25	11595.58	1049.92
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2015-16	14.05	-8.48	93.73	434.53	251.11	99.03	-335.50
3	यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 15 की एसोसिएट कम्पनी)	2015-16	0.00	0.00 ³	0	0.05	-2.46	-2.46	-2.51
4	सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2015-16	-1.17	-1.17	0	0.07	-6.12	-6.12	-6.19
5	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 1 की संयुक्त उपक्रम कम्पनी)	2016-17	-0.24	-0.24	0	0.16	0.34	-0.16	-0.32
6	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी की सहायक कम्पनी)	2013-14	-0.02	-0.02	0	0.05	-0.20	-0.20	-0.25
7	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्रम सं0 1 की सहायक कम्पनी)	2017-18	0.51	0.51	0	251.05	906.60	250.79	-0.26
उप योग (अ)			1270.92	119.55	10084.74	11482.70	22432.52	11936.46	704.89
ब प्रसारण									
8	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	507.07	-27.13	1682.64	10091.20	16993.23	9154.56	-901.46
9	सर्वन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2015-16	0.00	0.00 ⁴	0	0.05	-1.52	-1.52	-1.57
उप योग (ब)			507.07	-27.13	1682.64	10091.25	16991.71	9153.04	-903.03

¹ शेयरधारकों की निधि एवं दीर्घावधि ऋण का कुल योग नियोजित पूँजी होता है।² प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 35.18 करोड़ की डी आर ई घटायी गयी।³ केवल ₹ 91,611 की हानि हुई।⁴ केवल ₹ 682.02 का लाभ अर्जित हुआ।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का वर्ष	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ /हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ /हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य / शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ / हानि
स	वितरण								
10	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2016-17	-446.74	-867.32	9320.19	13646.98	5790.76	-3899.27	-17546.25
11	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2016-17	-302.77	-468.00	13161.10	10995.20	4465.39	-2424.07	-13419.27
12	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2016-17	-622.71	-722.80	7980.60	12553.30	6746.43	-989.42	-13542.72
13	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2016-17	-766.80	-1443.48	7731.75	14084.31	4754.85	-9183.29	-23267.6
14	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 15 की सहायक कम्पनी)	2016-17	423.72	319.55	2330.62	1568.77	380.86	-1612.7	-3181.47
15	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	-15444.99	-15444.99	0	66429.38	-42497.71	-42497.71	-62483.53
उप योग (स)			-17160.29	-18627.04	40524.26	119277.94	-20359.42	-60606.46	-133440.84
कुल योग (अ+ब+स)			-15382.30	-18534.62	52291.64	140851.89⁵	19064.81	-39516.96	-133638.98

⁵ ₹ 1,40,851.89 करोड़ के प्रदत्त पूँजी में ₹ 46,694.69 करोड़ की धनराशि स्वामित्व धारक कम्पनियों के क्रम सं0 1 (₹ 251.13 करोड़) एवं क्रम सं0 15 (₹ 46,443.56 करोड़) में शामिल हैं जो कि क्रम सं0 3,4,5,7,9,10,11,12,13 एवं 14 पर उनकी सहायक/एसोसिएट/संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा दिया गया था। इसलिए, ₹ 46,694.69 करोड़ की धनराशि को निवल मूल्य और नियोजित पूँजी की गणना के लिए निकाल दिया गया है।

परिशोधि—1.2
(प्रस्तर 1.9 में संदर्भित)

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक सरकार एवं अन्य द्वारा किये गये निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	पीएसयूज की संख्या	पूँजी		कुल पूँजी	दीर्घावधि ऋण			कुल दीर्घावधि ऋण	कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
			राज्य सरकार	अन्य		राज्य सरकार के ऋण	केंद्र सरकार के ऋण	स्वामित्व धारक कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण		
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जीवीयूएनएल सहित)	2	10796.79	0.00	10796.79	0.00	0.00	10343.48	10343.48	21140.27
2	यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	1	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
3	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड (केवल 2013–14 तक लेखे प्राप्त किये गए)	1	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
4	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2016–17 तक लेखे प्राप्त किये गए)	1	435.33	0.00	435.33	64.65	0.00	85.21	149.86	585.19
5	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	1	12494.42	0.00	12494.42	0.00	0.00	10762.29	10762.29	23256.71
6	यूपीपीसीएल (सहायक कम्पनियों पूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, केस्को, एसपीजीसीएल एवं एसयूपीपीटीसीएल सहित)	8	82991.49	0.20	82991.69	9783.44	0.00	45444.18	55227.62	138219.31
7	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	1	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	1.19	1.19	1.35
योग		15	106718.03	0.46	106718.49	9848.09	0.00	66636.35	76484.44	183202.93

नोट: (i) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश = (पीएसयूज में पूँजी) + (पीएसयूज में ऋण) = ₹ 1,06,718.49 करोड़ + ₹ 76484.44 करोड़ = ₹ 1,83,202.93 करोड़।

(ii) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में सरकार के कुल निवेश = (पीएसयूज में जीओयूपी की पूँजी) + (पीएसयूज में जीओयूपी के ऋण) = ₹ 1,06,718.03 करोड़ + ₹ 9,848.09 करोड़ = ₹ 1,16,566.12 करोड़।

परिशिष्ट-1.3

(प्रस्तर 1.7 में संदर्भित)

लेखाओं के बकाया के अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) में किये गए निवेश की स्थिति दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	अवधि जहाँ तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	लेखाओं के बकाया के अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश (₹ करोड़ में)				
					पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	कुल
1	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (पाँच सहायक कम्पनियों पूर्वीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, केस्को सहित)	2015-16	2016-17 से 2017-18	66429.38	16562.10	3700.32	9788.26	12609.03	42659.71
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	434.53	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	10091.20	2403.22	0.00	13.56	0.00	2416.78
योग					18966.12	3700.32	9801.82	12609.03	45077.29

परिशिष्ट-1.4

(प्रस्तर 1.10 में संदर्भित)

2017–18 के दौरान शीर्ष लाभ कमाने/हानि उठाने वाले पीएसयूज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	लेखाओं का वर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)
शीर्ष लाभ कमाने वाले पीएसयूज			
1	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2016-17	319.55
2	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	128.95
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	0.51
कुल			449.01
शीर्ष हानि उठाने वाले पीएसयूज			
1	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	15444.99
2	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	1443.48
3	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	867.32
4	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	722.80
5	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	468.00
6	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	27.13
7	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2015-16	8.48
8	सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2015-16	1.17
9	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	0.24
10	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	0.02
कुल			18983.63

2017–18 के दौरान सीमान्त/न लाभ/न हानि वाले पीएसयूज का विवरण

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	लेखाओं का वर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.00 ⁶
2	सर्दन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2015-16	0.00 ⁷
कुल			0.00

⁶ केवल ₹ 91,611 का हानि हुई।

⁷ केवल ₹ 682.02 का लाभ अर्जित हुआ।

परिशिष्ट—1.5

(प्रस्तर 1.12 में संदर्भित)

2000–2001 से 2017–2018 तक राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के चार उपक्रमों में निवेश की गयी धनराशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूपीजेवीएनएल				यूपीआरवीयूएनएल				यूपीपीटीसीएल				यूपीपीसीएल				कुल योग			
	पूँजी	सीजी	आई एफ एल	आई बी एल	पूँजी	सीजी	आई एफ एल	आई बी एल	पूँजी	सीजी	आई एफ एल	आई बी एल	पूँजी	सीजी	आई एफ एल	आई बी एल	पूँजी	सीजी	आई एफ एल	आई बी एल
2000-01तक	372.88	20.00	3.55	62.60	1764.25	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4199.34	7.02	0.00	1562.09	6336.47	27.02	3.55	1811.69
2001-02	0.00	4.82	0.00	-1.50	32.82	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	282.21	173.23	0.00	152.23	315.03	202.64	0.00	175.32
2002-03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	143.57	0.00	281.90	225.90	143.57	0.00	289.40
2003-04	21.06		0.00	0.00	335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5694.39	140.62	0.00	-1673.23	6051.30	140.62	0.00	-1673.23
2004-05	10.50		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.30	172.27	0.00	209.06	906.80	172.27	0.00	209.06
2005-06	10.65		0.00	0.00	389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.06	67.82	0.00	89.91	794.60	67.82	0.00	89.91
2006-07	9.16		0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.37	25.00	0.00	0.00	3113.53	25.00	0.00	0.00
2007-08	1.00		0.00	0.00	1006.00	0.00	0.00	0.00	2213.34	0.00	0.00	99.71	4039.91	99.48	0.00	-99.71	7260.25	99.48	0.00	0.00
2008-09	2.00		0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	428.55	0.00	0.00	0.00	5013.79	315.94	0.00	0.00	6222.34	315.94	0.00	0.00
2009-10	3.50		0.00	0.00	812.20	0.00	0.00	0.00	891.57	0.00	0.00	0.00	3615.10	0.00	0.00	0.00	5322.37	0.00	0.00	0.00
2010-11	1.00		0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3107.52	0.00	0.00	-100.00	4383.52	0.00	0.00	-100.00
2011-12	0.00		0.00	0.00	555.75	0.00	0.00	-219.09	409.05	0.00	0.00	0.00	3349.56	0.00	0.00	0.00	4314.36	0.00	0.00	-219.09
2012-13	1.39		0.00	0.00	865.35	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2158.79	17.00	0.00	0.00	3825.53	17.00	0.00	0.00
2013-14	1.39		0.00	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00	1394.08	0.00	0.00	0.00	5067.59	69.77	0.00	-422.25	6580.95	69.77	0.00	-422.25
2014-15	0.00		0.00	0.00	351.90	0.00	0.00	0.00	2004.61	0.00	0.00	-99.71	9189.65	83.02	0.00	0.00	11546.16	83.02	0.00	-99.71
2015-16	0.00		0.00	0.00	1129.51	0.00	0.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	16498.92	0.00	6083.12	0.00	19078.43	0.00	6083.12	0.00
2016-17	0.00		0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	1695.00	0.00	0.00	0.00	9722.97	75.00	3700.32	0.00	12205.97	75.00	3700.32	0.00
2017-18	0.80		0.00	0.00	686.38	0.00	0.00	0.00	708.22	0.00	0.00	0.00	6839.12	83.40	0.00	0.00	8234.52	83.40	0.00	0.00
कुल	435.33	24.82	3.55	61.1	10796.79	24.59	0.0	0.0	12494.42	0.0	0.0	0.0	82991.49	1473.14	9783.44	0.0	106718.03	1522.55	9786.99	61.10

नोट: सीजी = पूँजीगत अनुदान, आई एफ एल = ब्याज मुक्त ऋण, आई बी एल = डिफॉल्टेड ब्याज सहित ऋण

परिशोधि—1.6

(प्रस्तर 1.12 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा डिफॉल्टेड ब्याज सहित ऋण को छोड़कर निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार व्योरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं पूँजीगत अनुदान का योग	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिये धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	आय व्यय विवरण के आधार पर वर्ष के कुल अर्जन
1	2	3	4	5 (कॉलम 3 + कॉलम 4)	6	7 (कॉलम 2 + कॉलम 5)	8 कॉलम 7 * (1 + कॉलम 6/100)	9 (कॉलम 7 * कॉलम 6/100)	10
2000-01 तक		6336.47	30.57	6367.04	9.58	6367.04	6977.00	609.96	
2001-02	6977.00	315.03	202.64	517.67	9.49	7494.67	8205.92	711.24	-1562.66
2002-03	8205.92	225.90	143.57	369.47	7.22	8575.39	9194.53	619.14	-1453.67
2003-04	9194.53	6051.30	140.62	6191.92	9.13	15386.45	16791.23	1404.78	-1420.28
2004-05	16791.23	906.80	172.27	1079.07	9.47	17870.30	19562.62	1692.32	-2404.25
2005-06	19562.62	794.60	67.82	862.42	6.49	20425.04	21750.63	1325.59	-3146.92
2006-07	21750.63	3113.53	25.00	3138.53	6.74	24889.16	26566.68	1677.53	-4288.59
2007-08	26566.68	7260.25	99.48	7359.73	6.43	33926.41	36107.88	2181.47	-7931.01
2008-09	36107.88	6222.34	315.94	6538.28	6.29	42646.16	45328.61	2682.44	-10585.24
2009-10	45328.61	5322.37	0.00	5322.37	6.16	50650.98	53771.08	3120.10	-8916.25
2010-11	53771.08	4383.52	0.00	4383.52	6.67	58154.60	62033.51	3878.91	-8682.32
2011-12	62033.51	4314.36	0.00	4314.36	6.62	66347.87	70740.10	4392.23	-11914.56
2012-13	70740.10	3825.53	17.00	3842.53	6.73	74582.63	79602.04	5019.41	-13151.15
2013-14	79602.04	6580.95	69.77	6650.72	6.43	86252.76	91798.81	5546.05	-17719.95
2014-15	91798.81	11546.16	83.02	11629.18	6.40	103427.99	110047.38	6619.39	-19110.96
2015-16	110047.38	19078.43	6083.12	25161.55	6.35	135208.93	143794.70	8585.77	-18127.40
2016-17	143794.70	12205.97	3775.32	15981.29	6.82	159775.99	170672.71	10896.72	-17986.14
2017-18	170672.71	8234.52	83.40	8317.92	6.54	178990.63	190696.62	11705.99	-18534.62
योग	106718.03	11309.54	118027.57						

परिशिष्ट—2.1
(प्रस्तर 2.4 में संदर्भित)
कम्पनी के विभिन्न विंगों की भूमिका दर्शाता विवरण

नियोजन विंग

- परियोजना की अवधारणा एवं पहचान
- फील्ड इकाईयों द्वारा पारेषण परियोजनाओं के सृजन के प्रस्तावों को प्राप्त करना
- परियोजनाओं के प्रस्तावों (डीपीआर) की तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन
- पारेषण कार्य समिति (टीडब्ल्यूसी), कम्पनी के बोर्ड एवं राज्य सरकार (₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाएं राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजी जाती हैं)। टीडब्ल्यूसी का प्रमुख कम्पनी का प्रबंध निदेशक होता है जिसके साथ निदेशक वित्त, नियोजन, संचालन एवं कार्य एवं परियोजना सदस्य के रूप में होते हैं।

परिकल्पना एवं क्रय विंग

- कार्यों के क्रियान्वयन एवं सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा का आमंत्रण एवं अन्तिमीकरण
- परियोजनाओं में अवरोधकों को दूर करना
- मुख्यालय से परियोजनाओं का अनुश्रवण

वित्त विंग

- परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कोष की व्यवस्था हेतु प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण
- शासन से अंशपूँजी एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना

फील्ड विंग

- प्राक्कलन/डीपीआर/जमा मद से सम्बन्धित प्राक्कलनों को तैयार करना एवं जमा कोष का मांग/आहरण
- टर्नकी अनुबंधों के नियम एवं शर्तों के अनुसार/विभागीय पद्धति से क्रियान्वयन
- ठेकेदारों को भुगतान करना
- फील्ड स्तर से परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण

परिशिष्ट-2.2

{प्रस्तर 2.8 (i) में संदर्भित}

2013-14 के प्रारम्भ में उपकेन्द्रों एवं लाइनों की भौतिक स्थिति एवं 2013-14 से 2017-18 के मध्य विस्तार को दर्शाता विवरण

2013-14 के प्रारम्भ में उपकेन्द्रों की संख्या एवं क्षमता	उपकेन्द्रों की स्थिति								(एमवीए में)	
	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता		
	1	1000	14	9010	71	22050	274	26590	360	58650
2013-14 से 2017-18 के मध्य नए उपकेन्द्रों का निर्माण										
वर्ष	उप-केन्द्रों की संख्या	वर्ष के दौरान क्षमता का विस्तार एमवीए में	उप-केन्द्रों की संख्या	वर्ष के दौरान क्षमता का विस्तार एमवीए में	उप-केन्द्रों की संख्या	वर्ष के दौरान क्षमता का विस्तार एमवीए में	उप-केन्द्रों की संख्या	वर्ष के दौरान क्षमता का विस्तार एमवीए में	वर्ष के दौरान क्षमता का विस्तार एमवीए में	
2013-14	0	0	0	0	4	1000	13	740	17	1740
2014-15	0	0	0	0	8	1380	31	1550	39	2930
2015-16	0	0	2	980	5	1100	25	1220	32	3300
2016-17	1	3000	1	315	10	1640	38	1952	50	6907
2017-18	0	0	3	1545	8	2040	23	1583	34	5168
कुल नए निर्माण	1	3000	6	2840	35	7160	130	7045	172	20045
2017-18 के अन्त में कुल उपकेन्द्र									532	
विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि										
2013-14	1	1000	1	185	8	520	53	1519	63	3224
2014-15	0	0	1	500	4	260	47	1239	52	1999
2015-16	0	0	4	1280	24	1760	60	1599	88	4639
2016-17	0	0	2	685	16	990	136	3783	154	5458
2017-18	1	1000	10	1980	33	2690	85	2648	129	8318
कुल क्षमता वृद्धि	2	2000	18	4630	85	6220	381	10788	486	23638
2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल उपकेन्द्रों एवं परिवर्तन क्षमता में विस्तार		5000		7470		13380		17833		43683
2017-18 के अन्त में कुल क्षमता		6000		16480		35430		44423		102333
लाइनों की स्थिति										(सकिमी में)
	765 केवी	400 केवी	220 केवी	132 केवी						योग
2012-13 तक लाइनों की लम्बाई (टीए अवधि के प्रारम्भ में)	410.93	4259.42	8090.77	13913						26674.12
नयी लाइनों का निर्माण (टीए अवधि अर्थात् 2013-14 से 2017-18 के दौरान विस्तार)										
2013-14	0	518.312	84.434	351.167						953.913
2014-15	2.63	136.1	558.558	691.672						1388.96
2015-16	0	71.6	522.55	1013.29						1607.44
2016-17	336.81	233.74	730.216	1136.049						2436.815
2017-18	335	343.38	601.408	1810.959						3090.747
कुल निर्मित लाइनें	674.44	1303.132	2497.166	5003.137						9477.875
मार्च 2018 में लाइनों की कुल लम्बाई	1085.37	5562.552	10587.936	18916.137						36151.995

परिशिष्ट—2.3

(प्रस्तर 2.10 में संदर्भित)

2013–14 से 2017–18 के दौरान नए उपकेन्द्रों के निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के नियोजन की स्थिति को दर्शाता विवरण

वर्ष	उपकेन्द्रों की क्षमता	नए उपकेन्द्रों का विवरण				विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का विवरण					
		नियोजित नए उपकेन्द्रों की संख्या	नियोजित नए उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	नियोजित नए उपकेन्द्रों की स्थिति (संख्या में)	पूर्ण	कार्य प्रगति पर	क्षमता वृद्धि हेतु नियोजित विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	क्षमता वृद्धि किये गये उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	क्षमता वृद्धि हेतु नियोजित विद्यमान उपकेन्द्रों की स्थिति (संख्या)	पूर्ण	कार्य प्रगति पर
2013-14	765	-	-	-	-	-	1	1000	1	-	-
	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	2	720	1	1	9	355	9	9	-	-
	132	12	720	11	1	28	728	28	28	-	-
2014-15	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	3	3240	-	3	1	150	1	1	-	-
	220	18	6220	9	9	9	752	8	1	-	-
	132	31	2658	20	11	18	487	18	-	-	-
2015-16	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	2	2350	-	2	6	1165	6	-	-	-
	220	16	4000	7	9	37	2659	33	4	-	-
	132	16	1206	13	3	99	2802	96	3	-	-
2016-17	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	4	4910	-	4	5	840	4	1	-	-
	220	3	1180	-	3	26	1976	21	5	-	-
	132	14	1304	1	13	63	1813	59	4	-	-
2017-18	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	1	1000	-	1	7	1925	-	7	-	-
	220	11	3626	-	11	17	1512	1	16	-	-
	132	22	1886	-	22	57	1643	12	45	-	-
योग		155	35020	62	93	383	19807	297	86	-	-

परिशिष्ट—2.4

{प्रस्तर 2.14 (i) में सन्दर्भित}

निर्माण के एक वर्ष के भीतर अतिभारित नए उपकेन्द्रों से संयोजित भार को दर्शाता विवरण

निर्माण के एक वर्ष के भीतर अतिभारित नए उपकेन्द्रों (220 केवी) की स्थिति को दर्शाता विवरण									
क्र.सं.	खण्ड का नाम	एसएस का नाम	क्षमता (एमवीए में)	टीडब्लूसी द्वारा अनुमोदन की तिथि	स्थापना की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत	नवंबर 2018 तक संयोजित भार	स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत के सापेक्ष संयोजित भार का प्रतिशत
1	ईटीडी—I, कानपुर	220 केवी, सिकंदरा	100	09.07.2011	28.05.2018	33.12	80	90	112.50
2	ईटीसी—कानपुर (ईटीडी—फतेहगढ़)	220 केवी, नीबकरोरी	200	02.02.2015	31.03.2018	109.00	160	200	125.00
योग						142.12			

निर्माण के एक वर्ष के भीतर अतिभारित नए उपकेन्द्रों (132 केवी) की स्थिति को दर्शाता विवरण									
क्र.सं.	खण्ड का नाम	एसएस का नाम	क्षमता (एमवीए में)	टीडब्लूसी की तिथि	स्थापना की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत	संयोजित भार	स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत के सापेक्ष संयोजित भार का प्रतिशत
1	ईटीडी—II, आगरा	132 केवी, बिचपुरी	80	08.04.2013	19.06.2017	16.17	64	65	101.56
2	ईटीडी—रॉबर्ट्सगंज	132 केवी, पसाही	40	08.07.2015	18.05.2018	28.90	32	38	118.75
3	ईटीडी—बस्ती	132 केवी, नाथनगर	40	27.08.2008	मार्च—2016	12.57	32	40	125.00
4	ईटीसी—कानपुर (ईटीडी—फतेहगढ़)	132 केवी, तालेग्राम	80	05.05.2016	16.03.2018	34.00	64	80	125.00
5	ईटीडी—I, कानपुर	132 केवी, रसूलाबाद	80	13.02.2014	04.03.2016	32.94	64	80	125.00
6	ईटीडी, सीतापुर	132 केवी, नेरी	60	06.07.2012	09.03.2016	12.00	48	75	156.25
7	ईटीसी, कानपुर, (ईटीडी—इटावा)	132 केवी, ताखा	40	06.07.2012	08.06.2016	10.30	32	50	156.25
8	ईटीडी—झाँसी	132 केवी, गुरुसराय	40	07.09.2011	02.12.2016	18.54	32	63	196.88
9	ईटीडी, सीतापुर	132 केवी, महमूदाबाद	20	06.07.2012	23.03.2017	12.00	16	45	281.25
योग						177.42			

परिशिष्ट—2.5

{(प्रस्तर 2.14 (ii) में संदर्भित)}

(अ) अतिभारित 220 केवी उपकेन्द्रों की स्थिति दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	एसएस का नाम	स्थापित क्षमता (एमवीए में)	स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत (एमवीए में)	नवंबर 2018 तक संयोजित भार (एमवीए में)	अतिभारिता एमवीए में	अधिभार का प्रतिशत (80 प्रतिशत क्षमता के विरुद्ध)
1	ईटीडी—बस्ती	220 केवी, बस्ती	360	288	370	82	28
2	ईटीडी—II , गोरखपुर	220 केवी, बरहुगा	520	416	569	153	37
3	ईटीडी, सीतापुर	220 केवी, सीतापुर	300	240	479	239	100
4	ईटीडी—II, प्रयागराज	220 केवी, रीवा रोड़	520	416	831	415	100
5	ईटीडी, सीतापुर	220 केवी, सीतापुर	143	114	145	31	27

(ब) अतिभारित 132 केवी उपकेन्द्रों की स्थिति दर्शाता विवरण

क्र.सं	खण्ड का नाम	एसएस का नाम	स्थापित क्षमता (एमवीए में)	स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत (एमवीए में)	नवंबर 2018 तक संयोजित भार (एमवीए में)	अतिभारिता एमवीए में	अधिभार का प्रतिशत (80 प्रतिशत क्षमता के विरुद्ध)
1	ईटीडी—बस्ती	132, केवी, नौगढ़	60	48	60	12	25
2	ईटीडी—बस्ती	132, केवी, डुमरियागंज	80	64	80	16	25
3	ईटीडी—बस्ती	132, केवी, नाथनगर	40	32	40	8	25
4	ईटीडी—I, गोरखपुर	132, केवी, राजपाकर	80	64	85	21	33
5	ईटीडी—बस्ती	132, केवी, बंसी	60	48	65	17	35
6	ईटीडी—I, गोरखपुर	132, केवी, कौरीराम	103	82	113	31	38
7	ईटीडी, सीतापुर	132, केवी, सिधौली	60	48	66	18	38
8	ईटीडी—I, लखनऊ	132, केवी, टीआरटी	189	151	210	59	39
9	ईटीडी—I, गोरखपुर	132, केवी, एफसीआई, गोरखपुर	166	133	185	52	39
10	ईटीडी, अलीगढ़	132, केवी, अलीगढ़—III	120	96	135	39	41
11	ईटीडी—बस्ती	132, केवी, खलीलाबाद	80	64	90	26	41
12	ईटीडी—बस्ती	132, केवी, मेहदावल	40	32	45	13	41
13	ईटीडी—झाँसी	132, केवी, ललितपुर	100	80	116	36	45
14	ईटीडी—झाँसी	132, केवी, हसारी	143	114	170	56	49
15	ईटीडी—झाँसी	132, केवी, महरौनी	40	32	48	16	50
16	ठटीडी, सीतापुर	132, केवी, नेरी	60	48	75	27	56
17	ईटीडी, सीतापुर	132, केवी, बिस्वान	40	32	50	18	56
18	ईटीडी, अलीगढ़	132, केवी, अलीगढ़—V	80	64	104	40	63
19	ईटीडी—I, गोरखपुर	132, केवी, कासिया, कुशीनगर	166	133	218	85	64

क्रं.सं	खण्ड का नाम	एसएस का नाम	स्थापित क्षमता (एमवीए में)	स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत (एमवीए में)	नवंबर 2018 तक संयोजित भार (एमवीए में)	अतिभारिता एमवीए में	अधिभार का प्रतिशत (80 प्रतिशत क्षमता के विरुद्ध)
20	ईटीडी-II, लखनऊ	132, केवी, खुर्रम नगर	120	96	160	64	67
21	ईटीडी, अलीगढ़	132, केवी, जतरी	80	64	108	44	69
22	ईटीडी, अलीगढ़	132, केवी, बोनर	120	96	163	67	70
23	ईटीडी-II, लखनऊ	132, केवी, एनकेएन	120	96	166	70	73
24	ईटीडी, अलीगढ़	132, केवी, सरसोल	143	114	215	101	89
25	ईटीडी-III, लखनऊ	132, केवी, बाराबंकी	126	101	193	92	91
26	ईटीडी-झाँसी	132, केवी, गुरुसराय	40	32	63	31	100
27	ठटीडी, सीतापुर	132, केवी, लाहेरपुर	20	16	35	19	119
28	ईटीडी-I, लखनऊ	132, केवी, मोहन रोड	80	64	168	104	163
29	ईटीडी, सीतापुर	132, केवी, महमूदाबाद	20	16	45	29	181

परिशिष्ट—2.6

(प्रस्तर 2.1.6 में संदर्भित)

निर्माण गतिविधियों से समक्रमिक किए बिना सामग्री की खरीद की स्थिति दर्शाता विवरण

क्रम सं,	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	आपूर्ति प्राप्त करने की तिथि	सामग्री का मूल्य (₹ करोड़ में)	उपयोग की तिथि	अवधि (महीने) जिसके लिए सामग्री नवंबर 2018 तक प्राप्ति की तिथि से तीन महीने छोड़कर बेकार पड़ी थी	सामग्री के मूल्य के 70 प्रतिशत पर व्याज की हानि (₹ करोड़ में)
1	ईटीडी—मऊ	132 केवी एस एस मऊ नई की वृद्धि	63 एमवीए परिवर्तक	1 नग	नवंबर—2015	1.8	सितम्बर—2016	6	0.07
		132 केवी दोहरीघाट—काठमंगलारु लाइन	पैथर कंडक्टर	24.322 किमी	मार्च—2018	0.38	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	4	0.01
2	ईटीडी—II, गोरखपुर	132 केवी आनंद नगर—नौगढ़	एसीएसआर पैथर कंडक्टर	116.16 किमी	अक्टूबर—2017	1.14	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	8	0.05
		220 केवी गोला लाइन	जेबरा कंडक्टर	250.757 किमी	सितम्बर—2017	5.26	अप्रैल—2018	3	0.10
		132 केवी कोरीराम— दोहरीघाट लाइन	एसीएसआर पैथर कंडक्टर	82.495 किमी	मार्च—2018	1.06	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	4	0.01
		132 केवी बांसी—नौतनवा लाइन	एसीएसआर पैथर कंडक्टर	195.95 किमी	फरवरी—2018	2.4	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	4	0.04
3	ईटीडी— अलीगढ़	220 केवी एससी लाइन, अलीगढ़—बोनर	जेबरा कंडक्टर	23.998 किमी	दिसम्बर—2015	0.52	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	32	0.10
		132 केवी एससी लाइन खैर—इगलास	पैथर कंडक्टर	83.519 किमी	मई—2016	1.04	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	27	0.17
4	ईटीडी—II , वाराणसी	132 केवी भदौरिया—कुण्डेश्वर लाइन	एसीएसआर पैथर कंडक्टर	106.979 किमी	दिसम्बर—2015	1.4	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	31	0.26
			अन्य सामग्री		मई—2016 तक	2.54	अभी तक प्रयोग नहीं हुयी	26	0.40
5	ईटीडी—II, आगरा	220 केवी एस एस सिकंदरा में वृद्धि	60 एमवीए परिवर्तक	1 नग	दिसम्बर—2014	2.74	फरवरी—2016	10	0.17
6	ईटीडी—आजमगढ़	132 केवी आजमगढ़	63एमवीए परिवर्तक	1 नग	जुलाई—2013	1.73	नवंबर—2014	12	0.13
			63एमवीए परिवर्तक	1 नग	अक्टूबर—2016	1.73	अप्रैल—2018	2	0.02
		220 केवी आजमगढ़	160 एमवीए परिवर्तक	1 नग	मई—2017	5.74	जनवरी—2018	5	0.18

क्रम सं.	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	आपूर्ति प्राप्त करने की तिथि	सामग्री का मूल्य (₹ करोड़ में)	उपयोग की तिथि	अवधि (महीने) जिसके लिए सामग्री नवंबर 2018 तक प्राप्ति की तिथि से तीन महीने छोड़कर बेकार पड़ी थी	सामग्री के मूल्य के 70 प्रतिशत पर व्याज की हानि (₹ करोड़ में)
7	ईटीडी—बहराइच	132 केवी बेगमपुर	40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	जून—2016	1.47	जनवरी—2017	3	0.03
			40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	जून—2016	1.47	जनवरी—2017	8	0.07
8	ईटीडी—बांदा	220 केवी बांदा	40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	अगस्त—2012	1.67	जनवरी—2016	37	0.38
9	ईटीडी—फैजाबाद	220 केवी पीजीसीआईएल सोहावाल—न्यू टांडा डीसी लाइन	एसीएसआर जेब्रा कंडक्टर	425.88 किमी	जुलाई—2013 तक	7.71	अगस्त—2014	9	0.43
		132 केवी अकबरपुर	63एमवीए परिवर्तक	1 नग	फरवरी—2017	1.89	जुलाई—2017	1	0.01
10	ईटीडी—I, लखनऊ	132 केवी नीबू पार्क	63एमवीए परिवर्तक	1 नग	जुलाई—2014	1.9	फरवरी—2015	3	0.03
		220 केवी एसएस, हरदोई रोड	200 एमवीए परिवर्तक	1 नग	जुलाई—2015	4.77	जनवरी—2016	2	0.06
		132 केवी एसएस, टीआरटी	63एमवीए परिवर्तक	1 नग	मार्च—2016	1.75	दिसम्बर—2016	5	0.05
11	ईटीडी-II, प्रयागराज	132 केवी जीआईएस, पुराना हाउस	63एमवीए परिवर्तक	2 नग	मई—2014	5.66	मार्च—2016	18	0.62
		220 केवी एसएस, रीवा रोड	40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	दिसम्बर—2016	1.46	जुलाई—2018	15	0.13
		132 केवी एसएस, सलाईखुर्द	40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	अगस्त—2016	1.46	जुलाई—2018	19	0.17
12	ईटीडी-II, कानपुर	220 केवी एसएस, सारह	40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	मई -2017	1.35	मार्च—2018	6	0.05
		132 केवी एसएस, कृष्णा नगर	63एमवीए परिवर्तक	1 नग	अप्रैल—2017	1.74	सितम्बर—2017	1	0.01
13	ईटीडी-III, वाराणसी	220 केवी एसएस साहूपुरी	200 एमवीए परिवर्तक	1 नग	अगस्त—2017	4.5	फरवरी—2018	2	0.06
		132 केवी जीयोनाथपुर (मुगलसराय)	40 एमवीए परिवर्तक	1 नग	अप्रैल—2012	4.76	मई—2014	21	0.61
14	ईटीडी—सीतापुर	220 केवी सीतापुर निघासन लाइन	एसीएसआर जेब्रा कंडक्टर	367.51 किमी	फरवरी 2012 तक	6.67	दिसम्बर—2013	18	0.74
		132 केवी लखीमपुर—लहरपुर लाइन	एसीएसआर पैथर कंडक्टर	99.05 किमी	नवंबर 2012 तक	1.18	मई—2016	38	0.27
		220 केवी एसएस सीतापुर	200 एमवीए परिवर्तक	1 नग	जुलाई—2017	4.37	दिसंबर—2017	1	0.03
योग						85.26			5.45

परिशिष्ट-2.7

{प्रस्तर 2.17(i) में संदर्भित}

टीकेसी के माध्यम से खरीदे गए विभिन्न क्षमताओं के परिवर्तकों का विवरण

क्रम सं.	एसएस का नाम	एलओआई संख्या एवं तिथि	परिवर्तक की क्षमता (एमवीए में)	परिवर्तकों की संख्या	टीकेसी को दी गयी प्रति परिवर्तक दर (₹ करोड़ में)	परिवर्तक हेतु कुल प्रदान किया गया मूल्य (₹ करोड़ में)	टीकेसी द्वारा परिवर्तक की आपूर्ति की तिथि	कम्पनी द्वारा परिवर्तक की खरीद की तिथि (स्वतन्त्र आपूर्ति)	प्रति परिवर्तक दर (स्वतन्त्र आपूर्ति) (₹ करोड़ में)	दर में अन्तर (₹ करोड़ में)	टीकेसी की अधिक दर (प्रतिशत में)	कुल अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (कॉलम 6 - कॉलम 10)	12 (कॉलम 11* 100/ कॉलम 10)	13 (कॉलम 11* कॉलम 5)
1	छाता	64/4.3.14	160	2	5.49	10.98	15.3.16, 20.10.18	30.12.13	3.69	1.80	49	3.60
2	सिकंदरा हाथरस	69/10.4.15	160	2	5.48	10.96	28.4.16, 23.7.16	7.1.15	3.47	2.01	58	4.02
3	परतापुर	126/13.7.15	160	2	5.83	11.66	16.2.17, 25.3.17	7.1.15	3.47	2.36	68	4.72
4	सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	151/22.3.16	60	5	3.37	16.85	5.2017, 8.2017	27.2.16	2.71	0.66	24	3.30
योग						50.45						15.64

परिशोधि-3.1

(प्रस्तर 3.1 में सन्दर्भित)

उपभोक्ता को गलत बिल निर्गत करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र० सं०	माह	अंकित माँग (केवीए में)	खण्ड द्वारा निर्गत बिल की धनराशि (₹ में)	लिफ्ट खण्ड द्वारा सत्यापित बिल की धनराशि (₹ में)	टैरिफ आदेश के प्रावधान के आधार पर निर्गत किये जाने वाले बिल की धनराशि (₹ में)	खण्ड द्वारा प्रभारित कमी (+)/आधिक्य (-) (₹ में)	गलत बिल करने पर टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 6-कॉलम 5)	8
1	जनवरी 15	1800	1193132	864409	2066625	1202216	न्यूनतम शुल्क
2	फरवरी 15	1240	1474193	1216079	2066625	850546	न्यूनतम शुल्क
3	मार्च 15	1040	1066379	711393	2066625	1355232	न्यूनतम शुल्क
4	अप्रैल 15	120	1027802	829511	2066625	1237114	न्यूनतम शुल्क
5	मई 15	480	1523792	1452315	2066625	614310	न्यूनतम शुल्क
6	जून 15	920	1821386	1774455	2066625	292170	न्यूनतम शुल्क
7	जुलाई 15	1440	2480094	2480094	2311914	-168180	बिल योग्य माँग
8	अगस्त 15	1680	3433339	3433339	3265159	-168180	बिल योग्य माँग
9	सितम्बर 15	1960	7688022	7520337	7188220	-332117	बिल योग्य माँग
10	अक्टूबर 15	2760	4877769	4771379	4966141	194762	अतिरिक्त माँग
11	नवम्बर 15	2200	1191360	745598	2242400	1496802	न्यूनतम शुल्क
12	दिसम्बर 15	280	2052615	2007845	2242400	234555	न्यूनतम शुल्क
13	जनवरी 16	960	1659239	1623049	2242400	619351	न्यूनतम शुल्क
14	फरवरी 16	880	2124138	2077808	2242400	164592	न्यूनतम शुल्क
15	मार्च 16	1640	1414869	1414869	2242400	827531	न्यूनतम शुल्क
16	अप्रैल 16	560	2240369	2032738	2242400	209662	न्यूनतम शुल्क
17	मई 16	1720	1656259	1656259	2242400	586141	न्यूनतम शुल्क
18	जून 16	920	2301103	2142400	2139922	-2478	बिल योग्य माँग
19	जुलाई 16	920	3018954	2142400	2859957	717557	बिल योग्य माँग
20	अगस्त 16	2240	8474042	2142400	8910522	6768122	बिल योग्य माँग एवं टैरिफ परिवर्तन
21	सितम्बर 16	8480	6294332	2142400	12075792	9933392	अतिरिक्त माँग

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	माह	अंकित माँग (केवीए में)	खण्ड द्वारा निर्गत बिल की धनराशि (₹ में)	लिफ्ट खण्ड द्वारा सत्यापित बिल की धनराशि (₹ में)	टैरिफ आदेश के प्रावधान के आधार पर निर्गत किये जाने वाले बिल की धनराशि (₹ में)	खण्ड द्वारा प्रभारित कमी (+)/आधिक्य (-) (₹ में)	गलत बिल करने पर टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 6-कॉलम 5)	8
22	अक्टूबर 16	2560	2847484	2142400	3190590	1048190	अतिरिक्त माँग
23	नवम्बर 16	1800	1469907	1469907	2185600	715693	न्यूनतम शुल्क
24	दिसम्बर 16	280	2481292	2142400	2548082	405682	टैरिफ परिवर्तन
25	जनवरी 17	1080	1761348	1761348	2185600	424252	न्यूनतम शुल्क
26	फरवरी 17	1040	1391438	1391438	2185600	794162	न्यूनतम शुल्क
27	मार्च 17	760	1467095	1464095	2185600	721505	न्यूनतम शुल्क
28	अप्रैल 17	560	2355858	2085600	2164618	79018	बिल योग्य माँग
29	मई 17	640	2704461	2085600	2513221	427621	बिल योग्य माँग
30	जून 17	600	2546005	2085600	2354765	269165	बिल योग्य माँग
31	जुलाई 17	1280	2973837	2085600	2782596	696996	बिल योग्य माँग
32	अगस्त 17	1200	11262618	2085600	10819485	8733885	बिल योग्य माँग
33	सितम्बर 17	9480	8633664	2085600	14485137	12399537	अतिरिक्त माँग
34	अक्टूबर 17	14302	2532935	2085600	12696628	10611028	अतिरिक्त माँग
35	नवम्बर 17	1640	1622040	1622040	2185600	563560	न्यूनतम शुल्क
36	दिसम्बर 17	200	2383820	2383820	2590994	207174	न्यूनतम शुल्क
37	जनवरी 18	1560	1599348	1599348	2732000	1132652	न्यूनतम शुल्क
38	फरवरी 18	1120	1340019	1340019	2732000	1391981	न्यूनतम शुल्क
39	मार्च 18	NA	1310844	1310844	2732000	1421156	न्यूनतम शुल्क
40	अप्रैल 18	0	1288153	1288153	2732000	1443847	न्यूनतम शुल्क
41	मई 18	640	1210353	1210353	2732000	1521647	न्यूनतम शुल्क
42	जून 18	600	2075867	2075867	2732000	656133	न्यूनतम शुल्क
43	जुलाई 18	1320	3038258	2607000	2732000	125000	न्यूनतम शुल्क
44	अगस्त 18	2280	1647973	1647973	2732000	1084027	न्यूनतम शुल्क
45	सितम्बर 18	880	2503761	2503761	2732000	228239	न्यूनतम शुल्क
योग		123461566	89741043	163476293	73735250		

परिशोधि-3.2 (अ)

{प्रस्तर 3.1 (i) में सन्दर्भित}

बिलों में न्यूनतम प्रभार का प्रावधान न करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र0 सं0	माह	खण्ड द्वारा जारी की गयी बिल की धनराशि (₹ में)	न्यूनतम प्रभार लगाने के बाद जारी किये जाने वाले बिल की धनराशि ⁸ (₹ में)	न्यूनतम प्रभार के विरुद्ध कम बिल की गयी धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5 (कॉलम 4 - कॉलम 3)
1	जनवरी 15	1193132	2066625	873493
2	फरवरी 15	1474193	2066625	592432
3	मार्च 15	1066379	2066625	1000246
4	अप्रैल 15	1027802	2066625	1038823
5	मई 15	1523792	2066625	542833
6	जून 15	1821386	2066625	245239
7	नवम्बर 15	1191360	2242400	1051040
8	दिसम्बर 15	2052615	2242400	189785
9	जनवरी 16	1659239	2242400	583161
10	फरवरी 16	2124138	2242400	118262
11	मार्च 16	1414869	2242400	827531
12	अप्रैल 16	2240369	2242400	2031
13	मई 16	1656259	2242400	586141
14	नवम्बर 16	1469907	2185600	715693
15	जनवरी 17	1761348	2185600	424252
16	फरवरी 17	1391438	2185600	794162
17	मार्च 17	1467095	2185600	718505
18	नवम्बर 17	1622040	2185600	563560
19	दिसम्बर 17	2383820	2590994	207174
20	जनवरी 18	1599348	2732000	1132652
21	फरवरी 18	1340019	2732000	1391981
22	मार्च 18	1310844	2732000	1421156
23	अप्रैल 18	1288153	2732000	1443847
24	मई 18	1210353	2732000	1521647
25	जून 18	2075867	2732000	656133
26	अगस्त 18	1647973	2732000	1084027
27	सितम्बर 18	2503761	2732000	228239
	योग	43517499	63471544	19954045

⁸ न्यूनतम प्रभारों की गणना ₹ 750 प्रति केवीए, ₹ 800 प्रति केवीए एवं ₹ 1000 प्रति केवीए क्रमशः 12.10.2014, 28.06.2015 तथा 09.12.2017 से 2500 केवीए अनुबन्धित भार पर की गयी हैं तथा बाद में पाँच प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क एवं 5.22 प्रतिशत, 7.12 प्रतिशत तथा 4.28 प्रतिशत रेगुलेटरी सरचार्ज जो क्रमशः दिनांक 12.10.14, 28.06.15 एवं 10.08.16 से प्रभावी था, जोड़ा गया है।

परिशिष्ट-3.2 (ब)

(प्रस्तर 3.1(ii) में सन्दर्भित)

बिल की गयी धनराशि को उपभोक्ता द्वारा कम सत्यापित करने के कारण राजस्व के नुकसान को दर्शाता हुआ विवरण

क्र० सं०	माह	खण्ड द्वारा जारी किये बिलों की धनराशि (₹ में)	लिफट खण्ड द्वारा सत्यापित किये गये बिलों की धनराशि (₹ में)	बिल की गयी धनराशि के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा कम सत्यापित की गयी धनराशि (₹ में) 5 (कॉलम 3 – कॉलम 4)
1	2	3	4	
1	जनवरी 15	1193132	864409	328723
2	फरवरी 15	1474193	1216079	258114
3	मार्च 15	1066379	711393	354986
4	अप्रैल 15	1027802	829511	198291
5	मई 15	1523792	1452315	71477
6	जून 15	1821386	1774455	46931
7	सितम्बर 15	7688022	7520337	167685
8	अक्टूबर 15	4877769	4771379	106390
9	नवम्बर 15	1191360	745598	445762
10	दिसम्बर 15	2052615	2007845	44770
11	जनवरी 16	1659239	1623049	36190
12	फरवरी 16	2124138	2077808	46330
13	अप्रैल 16	2240369	2032738	207631
14	जून 16	2301103	2142400	158703
15	जुलाई 16	3018954	2142400	876554
16	अगस्त 16	8474042	2142400	6331642
17	सितम्बर 16	6294332	2142400	4151932
18	अक्टूबर 16	2847484	2142400	705084
19	दिसम्बर 16	2481292	2142400	338892
20	मार्च 17	1467095	1464095	3000
21	अप्रैल 17	2355858	2085600	270258
22	मई 17	2704461	2085600	618861
23	जून 17	2546005	2085600	460405
24	जुलाई 17	2973837	2085600	888237
25	अगस्त 17	11262618	2085600	9177018
26	सितम्बर 17	8633664	2085600	6548064
27	अक्टूबर 17	2532935	2085600	447335
28	जुलाई 18	3038258	2607000	431258
योग		92872134	59151611	33720523

परिशोधि-3.2 (स)

{प्रस्तर 3.1(iii) में सन्दर्भित}

बिल योग्य माँग तथा अधिक माँग पर विचार न करने के कारण बिल की गयी धनराशि में कमी/अधिकता को दर्शाता हुआ विवरण

क्र0 सं0	माह	दर्ज की गई माँग (केवीए में)	खण्ड द्वारा जारी किये गये बिल की धनराशि (₹ में)	बिल योग्य माँग तथा अतिरिक्त माँग को देखते हुए जारी किये जाने वाले बिल की धनराशि (₹ में)	बिल की गयी धनराशि में कम /अधिक प्रभार की धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 5 - कॉलम 4)
1	जुलाई 15	1440	2480094	2311914	-168180
2	अगस्त 15	1680	3433339	3265159	-165180
3	सितम्बर 15	1960	7688022	7188220	-499802
4	अक्टूबर 15	2760	4877769	4966141	88372
5	जून 16	920	2301103	2139922	-161181
6	जुलाई 16	920	3018954	2859957	-158997
7	अगस्त 16	2240	8474042	8910522	436480
8	सितम्बर 16	8480	6294332	12075792	5781460
9	अक्टूबर 16	2560	2847484	3190590	343106
10	दिसम्बर 16	280	2481292	2548082	66790
11	अप्रैल 17	560	2355858	2164618	-191240
12	मई 17	640	2704461	2513221	-191240
13	जून 17	600	2546005	2354765	-191240
14	जुलाई 17	1280	2973837	2782596	-191241
15	अगस्त 17	1200	11262618	10819485	-443133
16	सितम्बर 17	9480	8633664	14485137	5851473
17	अक्टूबर 17	14302	2532935	12696628	10163693
18	जुलाई 18	1320	3038258	2732000	-306258
योग			79944067	100004749	20063682

परिशिष्ट—4.1

(प्रस्तर 4.1, 4.12 एवं 4.13 में संदर्भित)

इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. एकाधिकारी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज										
अ सरकारी कम्पनियां										
1	लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2017-18	-24.57	-25.38	5.55	1897.92	4580.72	1826.67	-71.25
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2017-18	-4.94	-4.94	9.81	987.67	2104.14	974.14	-13.53
	उप योग			-29.51	-30.32	15.36	2885.59	6684.86	2800.81	-84.78
ब सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां										
3	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)	2017-18	2017-18	3.61	2.47	35.89	2.00	7.52	7.47	5.53
4	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.22	-0.22	0.00	0.50	0.28	0.28	-0.22
	उप योग			3.39	2.25	35.89	2.50	7.80	7.75	5.31
स सांविधिक निगम										
5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2016-17	2017-18	160.01	158.95	911.24	0.00	4906.20	4906.20	4906.20
6	उत्तर प्रदेश बन निगम	2016-17	2017-18	32.62	31.92	330.28	0.00	1478.19	1459.22	1459.22
7	उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम	2016-17	2017-18	108.80	97.19	3903.65	826.19	-229.32	-379.20	-1205.39
8	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2015-16	2017-18	75.18	51.23	395.98	13.37	481.04	481.04	473.00
	उप योग			376.61	339.29	5541.15	839.56	6636.11	6467.26	5633.03
II. सेन्ट्रेज, कमीशन, राजस्व अनुदान / सब्सिडी, आदि निश्चित झोत से आय वाली पीएसयूज										
सरकारी कम्पनियां										
9	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2017-18	35.86	23.08	790.29	6.40	93.32	93.32	86.92
10	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डिवैलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2016-17	2017-18	2.42	1.62	692.29	0.15	73.31	73.31	73.16

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लाभांश, व्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, व्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन धनराशि सम्मिलित करते हुए)	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	1.11	0.76	36.91	7.12	12.72	10.09	2.97
12	अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	2.02	1.46	28.22	4.07	2.83	2.83	-1.24
13	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.75	0.89	79.65	91.54	145.03	34.61	6.18
14	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	7.64	4.35	153.17	1.00	12.02	12.02	11.02
15	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	38.73	38.73	321.59	0.43	219.22	219.22	218.79
16	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	0.04	0.04	0.18	0.25	1.97	-0.51	-0.76
17	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	2017-18	0.08	0.08	0.21	1.50	2.32	2.32	0.82
18	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	16.50	10.53	26.98	3.00	28.24	28.24	25.24
19	उत्तर प्रदेश नियांत्रित प्रोत्साहन परिषद	2017-18	2017-18	0.22	0.22	0.66	0.05	0.49	0.49	0.44
उप योग				106.37	81.76	2130.15	115.51	591.47	475.94	423.54
III. प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज										
सरकारी कम्पनियां										
20	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-8.52	-11.69	0.17	93.24	-28.05	-167.53	-260.77
21	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	2015-16	2017-18	0.16	-14.35	2.56	135.58	170.47	-233.97	-369.55
उप योग				-8.36	-26.04	2.73	228.82	142.42	-401.50	-630.32
महायोग				448.50	366.94	7725.28	4071.98 ⁹	14062.66	9350.26 ¹⁰	5346.78

⁹ प्रदत्त पूँजी ₹ 4,071.98 करोड़ में ₹ 63.11 करोड़ की राशि भी शामिल है जो कि क्र. स. 13 पर नियंत्रक कम्पनी को सरकार द्वारा उसकी सहायक कम्पनियों के लिए दी गई थी। इसलिए, निवल मूल्य और नियोजित पूँजी की गणना के लिए ₹ 63.11 करोड़ की धनराशि को शामिल नहीं किया गया है।

¹⁰ निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय एवं आधिक्य का कुल योग तथा इसमें से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय को घटाकर निकाला गया है। आस्थगित आयगत व्यय ₹ 5.39 करोड़ को निवल मूल्य की राशि निकालने के लिए घटाया गया जो उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (₹ 5.33 करोड़) और अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (₹ 0.06 करोड़) की है।

परिशिष्ट—4.2

(प्रस्तर 4.1 में संदर्भित)

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	कर उपरान्त शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
I	तीन या अधिक वर्षों के लेखाओं के बाकाया के साथ कार्यरत पीएसयूज/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए/देय नहीं हैं					
आ	सरकारी कम्पनियां					
1	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2017-18	95.22	193.45	24.08
2	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2017-18	-1.10	3.32	30.00
3	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	-0.01	2.94	8.10
4	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-13.25	87.11	230.42
5	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2009-10	2017-18	9.97	1512.06	5.50
6	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.36	0.60	5.19
7	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2016-17	-0.21	0.38	5.25
8	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2016-17	10.26	793.26	46.30
9	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13	2016-17	98.48	2588.10	1.00
10	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	27.91	1375.68	15.00
11	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2007-08	2016-17	4.39	175.48	5.96
12	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2015-16	3.51	272.59	6.92
13	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2017-18	1.10	5.94	1.07
14	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	2009-10	2012-13	-8.53	0.33	1.10
15	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2014-15	2017-18	1.24	0.00	880.13
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	-26.95	82.26	1648.31
17	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विषयन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश नियंत निगम लिमिटेड)	2007-08	2017-18	-0.13	10.65	7.24
18	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	-5.13	31.08	18.60
19	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-	-
20	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.00	0.00	0.05
21	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	2017-18	-7.21	16.11	0.05

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	कर उपरान्त शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
22	आगरा-मधुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-	-
23	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-	-
24	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-	-	-	-	-
	उप योग			189.92	7151.34	2940.27
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ					
25	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड**	-	-	-	-	-
26	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड**	-	-	-	-	-
	उप योग			0.00	0.00	0.00
स	सांविधिक निगम					
27	उत्तर प्रदेश जल निगम	2011-12	2016-17	16.82	397.45	0.00
28	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2015-16	17.38	22.22	179.28
	उप योग			34.20	419.67	179.28
II	अकार्यरत पीएसयूज					
अ	सरकारी कम्पनियाँ					
29	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98	1998-99	-0.40	1.29	1.05
30	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.48	0.00	59.43
31	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	2017-18	-0.71	0.00	81.38
32	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	-0.60	0.00	147.72
33	नन्दगंग-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	2017-18	-0.33	0.00	256.80
34	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2012-13	-0.60	0.03	0.22
35	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2005-06	-0.29	0.16	1.93
36	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	2007-08	2.39	0.53	5.38
37	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	-8.80	0.00	197.10
38	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	1997-98	-32.12	97.15	53.16

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	कर उपरान्त शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
39	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	2016-17	-4.97	24.00	47.07
40	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	2002-03	0.26	3.60	5.74
41	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-5.38	0.00	53.67
42	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	0.30	0.00	2.73
43	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	2011-12	2017-18	-0.27	0.00	2.94
44	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्वर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1984-85	1994-95	-0.67	0.27	1.90
45	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.12	0.00	0.64
46	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	2012-13	-0.16	0.45	1.46
47	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2007-08	-0.09	3.91	1.00
48	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1992-93	-0.11	2.74	0.55
49	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2011-12	-0.39	3.33	1.00
50	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2013-14	-0.07	0.25	1.26
51	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1992-93	0.01	1.70	0.50
52	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	-0.03	0.00	1.00
53	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1991-92	2011-12	-0.19	0.85	0.25
54	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1990-91	-0.04	0.01	0.25
55	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	0.09	0.00	1.23
56	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	-0.38	0.12	8.18
57	उत्तर प्रदेश पूर्वाचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1994-95	-0.14	1.30	1.15
58	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1993-94	-0.03	1.47	0.70
	उप योग			-54.32	143.16	937.39
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां					
59	कमाण्ड एरिया पौल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)	1994-95	-	0.01	0.96	0.24
	उप योग			0.01	0.96	0.24
III	समापन के अधीन पीएसयूज					
अ	सरकारी कम्पनियां					
60	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03 (01-07-03 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2004-05	-0.18	0.04	0.31

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	कर उपरान्त शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
61	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07 (01-07-03 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2008-09	-1.05	0.11	0.71
62	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96 (08-02-99 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1996-97	-47.75	113.01	68.28
63	विन्ध्याचल अब्रेसिल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 (28.11.02 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	-0.12	0.00	0.00
64	आटो ट्रैकर्स लिमिटेड	1991-92 (14.02.03 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	0.11	6.31	7.50
65	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95 (20.02.96 से परिसमापन के अन्तर्गत)	0	-1.66	0.27	3.76
66	कान्चीनेटल पलोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98 (01-04-02 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2002-03	0.00	0.00	46.24
67	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	(10.06.96 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.05	0.00
68	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76 (19.04.96 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-0.02	0.00	0.05
69	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (19.02.94 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-6.18	2.26	6.58
70	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1974-75 (11/2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1984-85	-0.01	0.04	0.01
उप योग				-56.86	122.09	133.44
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां					
71	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)	(परिसमापन के अन्तर्गत से (14.07.1981))	-	0.00	0.00	0.00
	उप योग			0.00	0.00	0.00
	सभी क्षेत्रों का योग			112.95	7837.22	4190.62

नोट: ** उन पीएसयूज को इंगित करता है जिन्होंने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

परिशिष्ट—4.3

(प्रस्तर 4.3 एवं 4.12 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को इस अध्याय में शामिल में किये गये राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी ¹¹				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर दीघर्विधि बकाया ऋण			
				जीओयूपी ¹²	जीओआई ¹³	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
I पीएसयूज जो एकाधिकारी वातावरण में कार्यरत सरकारी कम्पनियां											
1	लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	आवास एवं शहरी नियोजन	11/25/2013	1037.95	859.92	0.05	1897.92	685.05	247.00	1822.00	2754.05
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	5/11/2014	0.00	687.62	300.05	987.67	0.00	0.00	1130.00	1130.00
उप योग				1037.95	1547.54	300.10	2885.59	685.05	247.00	2952.00	3884.05
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां											
3	अल्मोड़ा मैनेसाइट लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)		8/27/1971	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.05	0.05
4	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8/16/2016	0.00	188.00	186.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग				0.00	188.00	188.00	376.00	0.00	0.00	0.05	0.05
सांविधिक निगम											
5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास एवं शहरी नियोजन	3/4/1966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	11/25/1974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
7	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1/6/1972	816.18	60.01	0.00	876.19	46.72	0.00	0.00	46.72
8	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	3/19/1958	7.61	0.00	5.40	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग				823.79	60.01	5.40	889.20	46.72	0.00	13.00	59.72
क्षेत्र I का उप योग				1861.74	1795.55	493.50	4150.79	731.77	247.00	2965.05	3943.82

¹¹ पूँजी में अंश आवेदन धनराशि शामिल।

¹² उत्तर प्रदेश सरकार।

¹³ भारत सरकार।

क्रम सं०	क्षेत्र/ कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी ¹¹				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर दीर्घवधि बकाया ऋण			
				जीओयूपी ¹²	जीओआई ¹³	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
II सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी, आदि से आय की स्रोत वाली पीएसयूज सरकारी कम्पनियाँ											
9	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	5/26/1976	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
10	उत्तर प्रदेश स्टेट कास्ट्रॉक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डिवैलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	6/25/1976	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	10/2/1979	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00	2.63	2.63
12	अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	10/4/1974	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
13	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	3/20/1974	91.54	0.00	0.00	91.54	112.88	0.00	0.00	112.88
14	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	3/15/1977	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	5/23/1989	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
16	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	8/27/1975	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	2.48	2.48
17	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	3/30/1978	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	3/27/1987	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	8/11/2016	0.05	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	5.00
उप योग				103.22	1.00	11.29	115.51	117.88	0.00	5.11	122.99
क्षेत्र II का उप योग				103.22	1.00	11.29	115.51	117.88	0.00	5.11	122.99
III पीएसयूज जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
20	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	8/20/1976	93.24	0.00	0.00	93.24	139.20	0.00	0.00	139.20
21	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	3/29/1972	110.58	0.00	25.00	135.58	706.13	0.00	0.00	706.13
उप योग				203.82	0.00	25.00	228.82	845.33	0.00	0.00	845.33
क्षेत्र III का उप योग				203.82	0.00	25.00	228.82	845.33	0.00	0.00	845.33
महायोग				2168.78	1796.55	529.79	4495.12	1694.98	247.00	2970.16	4912.14

परिशिष्ट—4.4

(प्रस्तर 4.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के बीच पैंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं०	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूज के रिकॉर्ड के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पैंजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पैंजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पैंजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3 - 6	10=4 - 7	11=5 - 8
1	लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	1037.95	685.05	0	955.05	774.05	0	82.9	-89	0
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
4	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	उत्तर प्रदेश वन निगम	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	उत्तर प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम	816.18	46.72	0.00	766.18	54.18	0	50	-7.46	0
8	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	7.61	0.00	0.00	7.79	0	0	-0.18	0	0
9	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	5.40	0.00	0.00	5.40	0	0	0	0	0
10	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डिवैलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	0.15	0	0	0.15	0	0	0	0	0
11	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	91.54	112.88	0	91.54	34.08	0	0	78.8	0
14	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	0.43	0	0	0.43	0	0	0	0	0
16	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0	0	0.15	0	1.8	0	0	-1.8

क्रम. सं०	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूज के रिकॉर्ड के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3 - 6	10=4 - 7	11=5 - 8
17	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1.50	0	0	1.5	0	0	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3.00	0	0	3	0	0	0	0	0
19	उत्तर प्रदेश नियात प्रोत्साहन परिषद	0.05	5	0	0	0	0	0.05	5	0
20	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	139.20	0	93.24	10.42	0	0	128.78	0
21	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड	110.58	706.13	0	135.58	467.33	5.09	-25	238.8	-5.09
22	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	24.08	1.98	0	24.08	143.45	0	0	-141.47	0
23	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0	0	30	15.18	0	0	-15.18	0
24	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	0	52.65	12.23	0	52.65	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	126.55	0	0	126.55	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34	0.73	0	12.34	-7.31	0	0	8.04	0
27	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	4.71	0	0	4.71	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	10.00	0	0	10	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	59.01	5	0	59.01	4.69	0	0	0.31	0
30	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0
31	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	15.00	0	0	15	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	5.96	6.32	0	5.96	0.42	0	0	5.9	0
33	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	6.25	0	0	6.25	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.07	0	0	1.07	0	0	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश झग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	1.10	0	0	1.1	0	0	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम. सं०	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूज के रिकॉर्ड के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3 - 6	10=4 - 7	11=5 - 8
36	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	880.13	0	0	-880.13	0	0
37	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1648.31	166.8	73.96	1648.31	944.05	0	0	-777.25	73.96
38	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	12.44	0	6.34	5.77	0	0	6.67	0
39	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.66	0	32.6	2.76	0	0	-2.1	0
40	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	17.84	0	0	0	0	0	17.84	0	0
41	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0	0
42	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0	0
43	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0	0
44	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0	0
45	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0	0	0	0	0	0.05	0	0
46	आगरा स्मार्ट सिटि लिमिटेड	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
47	झाँसी स्मार्ट सिटि लिमिटेड	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
48	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	1196.19	0	0	88.77	0	0	1107.42	0
49	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.17	292.99	27.46	114.17	13.81	27.46	0	279.18	0
कार्यरत पीएसयूज का उप योग		4297.59	3378.09	154.07	5051.86	2551.65	87	-754.27	826.44	67.07
अकार्यरत पीएसयूज										
50	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	59.43	18.24	0	59.43	6.83	0	0	11.41	0
52	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

क्रम. सं०	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूज के रिकॉर्ड के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3 - 6	10=4 - 7	11=5 - 8
54	नन्दगांज—सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	दि इण्डियन ट्रेपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	0.19	5.33	0	0.19	1.9	1.76	0	3.43	-1.76
56	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.09	5.55	0	0.09	0	0	0	5.55	0
57	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	5.28	1.94	0	5.28	0.15	0	0	1.79	0
58	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	197.10	88.52	0	160.79	202.76	0	36.31	-114.24	0
59	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
60	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	36.44	123.71	0	36.44	12.53	0	0	111.18	0
61	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	5.74	1.91	0	5.74	1.4	0	0	0.51	0
62	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	53.67	66.12	0	31.91	13.17	0	21.76	52.95	0
63	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.10	0.71	0	2.73	1.1	0	-0.63	-0.39	0
64	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशॉलिटीज लिमिटेड	2.88	0	0	0.44	0	0	2.44	0	0
65	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्वर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	6.41	3.34	0.55	8.72	0	0.55	-2.31	3.34	0
66	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0	0	0.51	0	0.7	0	0	-0.7
67	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.78	0	0	0.78	0	0	0	0	0
68	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.05	0	1	0	0	0	0.05	0
69	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.67	0.66	0	0.67	0	0	0	0.66	0
70	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.25	0	0	1.25	0	0	0	0	0
71	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.94	0.65	0	0.93	0	0	0.01	0.65	0

क्रम. सं०	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूज के रिकॉर्ड के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3 - 6	10=4 - 7	11=5 - 8
72	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	0.70	0.86	0	0.7	0	0	0	0.86	0
73	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0
74	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.65	0	0.25	0	0	0	0.65	0
75	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	1.25	0	0.45	0	0	0	1.25	0
76	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.05	0	1.23	0	0	0	0.05	0
77	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	2.47	0	8.18	0.31	0	0	2.16	0
78	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1.30	0.35	0	1.3	0	0	0	0.35	0
79	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.70	0	0	0.7	0	0	0	0	0
80	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
उप योग		388.29	322.36	0.55	330.71	240.15	3.01	57.58	82.21	-2.46
समापन के अधीन पीएसयूज										
सरकारी कम्पनियां										
81	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.23	1.7	0	0.23	1.7	0	0	0	0
82	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	6.55	0	0.38	0	0	0	6.55	0
83	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	68.28	124.77	0	68.28	37.45	0	0	87.32	0
84	विन्ध्यांचल अब्रेसिल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
85	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	5.63	0.38	0	5.63	14.89	0	0	-14.51	0

क्रम. सं०	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूज के रिकॉर्ड के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3 - 6	10=4 - 7	11=5 - 8
86	भद्रोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
87	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
88	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
89	उत्तर प्रदेश एस्क्यूट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
90	उत्तर प्रदेश काबाईड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	11.02	0	0	0	0	0	11.02	0
91	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
92	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (धारा 2(45) के अनुसार तथा 2(27) के साथ पढ़ा जाये)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
उप योग		74.52	144.42	0.00	74.52	54.04	0.00	0.00	90.38	0.00
अकार्यरत पीएसयूज का उप योग		462.81	466.78	0.55	405.23	294.19	3.01	57.58	172.59	-2.46
महायोग		4760.40	3844.87	154.62	5457.09	2845.84	90.01	-696.69	999.03	64.61

परिशिष्ट—4.5

(प्रस्तर 4.8.1 में संदर्भित)

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	पीएसयूज का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश					
					पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान / अन्य अनुदान	सब्सिडी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
अ कार्यरत पीएसयूज										
I. एक वर्ष तक बकाया										
1	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	93.24	0.00	7.99	0.00	0.00	7.99	
2	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
3	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2016-17	2017-18	826.19	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
उप कुल -I					920.43	50.00	7.99	1.00	0.00	58.99
II. दो वर्ष तक बकाया										
4	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	2015-16	2016-17 & 2017-18	135.58	0.00	30.27		0.00	30.27	
उप कुल -II					135.58	0.00	30.27	0.00	0.00	30.27
III. तीन वर्ष तथा उससे ज्यादा का बकाया										
5	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 to 2017-18	30.00	0.00	0.00	64.22	0.00	64.22	
6	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 to 2017-18	230.42	3.31	0.00	0.25	0.00	3.56	
7	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11 to 2017-18	5.50	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	
8	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2004-05 to 2017-18	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
9	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12 to 2017-18	46.30	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	
10	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 to 2017-18	1648.31	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
11	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13 to 2017-18	1.07	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	
12	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 to 2017-18	7.24	0.00	5.00	13.19	0.00	18.19	
13	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 to 2017-18	5.19	0.00	0.00	15.14	0.00	15.14	

क्रम सं०	पीएसयूज का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
					पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान / अन्य अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	01-02-2010 को निगमित	2009-10 to 2017-18	0.00	17.84	0.00	19.30	0.00	37.14
15	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	2012-13 to 2017-18	0.05	0.00	0.00	11.38	0.00	11.38
16	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	2015-16 to 2017-18	0.05	0.00	0.00	15.73	0.00	15.73
17	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	08-07-10 को निगमित	2010-11 to 2017-18	0.00	0.05	0.00	22.57	0.00	22.62
18	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	28-04-10 को निगमित	2010-11 to 2017-18	0.00	0.05	0.00	27.50	0.00	27.55
19	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	15-06-2010 को निगमित	2010-11 to 2017-18	0.00	0.05	0.00	22.66	0.00	22.71
20	उत्तर प्रदेश जल निगम	2011-12	2012-13 to 2017-18	0.00	0.00	440.61	10613.67	0.00	11054.28
उप योग -III				1979.38	43.29	625.61	10825.69	0.00	11494.59
योग - अ				3035.39	93.29	663.87	10826.69	0.00	11583.85
ब. अकार्यरत पीएसयूज									
I. एक वर्ष तक बकाया									
21	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	53.67	0.00	4.01	0.00	0.00	4.01
उप योग-I									
II. तीन वर्ष तथा उससे ज्यादा का बकाया									
22	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12 to 2017-18	0.22	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34
23	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-1999	1999-2000 to 2017-18	47.07	0.00	106.55	0.00	0.00	106.55
उप योग-II				47.29	0.00	106.89	0.00	0.00	106.89
योग - ब				100.96	0.00	110.90	0.00	0.00	110.90
महायोग				3136.35	93.29	774.77	10826.69	0.00	11694.75

परिशिष्ट—4.6

(प्रस्तर 4.15 में संदर्भित)

2000-01 से 2017-18 की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में संचारित किये गये कोष को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1. लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड				2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम				3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान
1999-2000 तक	0.00	0.00	0	0.00	252.11		0.00	0.00	7.79			0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	20.00	0.00	0.00	27.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	60.00	35.00	0.00	115.00	151.32	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00
2015-16	475.00	150.00	0.00	73.29	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	400.00	350.00	0.00	20.46	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	82.95	150.05	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1037.95	685.05	0	235.75	816.18	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00

वर्ष	4. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड				5. उत्तर प्रदेश स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफास्ट्रक्चर डिवैलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)				6. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान
1999-2000 तक	5.40	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	77.51	24.99	10.45	0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	18.75	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	-0.42	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.28	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	5.40	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	91.54	105.50	10.03	0.00

वर्ष	7. उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड				8. उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड				9. उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान
1999-2000 तक	1.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	-24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

वर्ष	10. उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम				11. उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड				12. उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद			
	पैंजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पैंजीगत अनुदान	पैंजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पैंजीगत अनुदान	पैंजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पैंजीगत अनुदान
1999-2000 तक	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00

वर्ष	13. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड				14. दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्चेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यू. पी. लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिसके ब्याज के भुगतान करने में डिफॉल्ट हुआ है।	पूँजीगत अनुदान
1999-2000 तक	88.65	17.58	0.00	0.00	110.58	33.53	10.00	0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.53	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	4.59	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	59.88	0.00	0.00
2006-07	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	68.65	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	9.74	2.00	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00
2011-12	0.00	33.11	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	9.88	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	-0.94	2.40	0.00	0.00	0.00	-7.50	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	11.79	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	4.19	2.38	0.00	0.00	30.27	0.00	0.00

परिशिष्ट—5.1

(प्रस्तर 5.3 में सन्दर्भित)

आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण परिषद को हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	नीलामी की तिथि	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	निर्धारित आरक्षित मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर में)	आरक्षित मूल्य जो निर्धारित किया जाना था (₹ प्रति वर्ग मीटर में)	नीलामी दर (₹ प्रति वर्ग मीटर में)	दर में भिन्नता (₹ प्रति वर्ग मीटर में)	परिषद को हानि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (कॉलम 6 - कॉलम 5)	9 (कॉलम 8 x कॉलम 4)
1	16/कॉम-5	22.07.2016	442.00	35840	59500	41502	17998	7955116
2	16/कॉम-6	22.07.2016	372.76	35840	59500	40545	18955	7065666
3	16/कॉम-7	22.07.2016	450.00	35840	59500	42501	16999	7649550
योग								22670232

परिशिष्ट—5.2

(प्रस्तर 5.4 में सन्दर्भित)

आवश्यकता का निर्धारण किये बिना ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनुमति देने के कारण परिषद को हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रं. सं.	मोबिलाइजेशन अग्रिम की धनराशि (₹ में)	निर्माचन की तिथि	सितम्बर 2016 तक की अवधि (महीने में)	ब्याज दर प्रतिशत में	ब्याज की हानि (₹ में)
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 2 x कॉलम 4) / (कॉलम 12 x 5 प्रतिशत)
1	245176000	17.02.2016	6	8	9807040.00
2	143019800	30.03.2016	5	8	4767326.67
3	20432438	19.05.2016	3	8	408648.76
योग	408628238				14983015.43

परिशिष्टि—5.3

(प्रस्तर 5.7 में सन्दर्भित)

अतिरिक्त मदों के निष्पादन पर किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	निष्पादित मात्रा (वर्ग मीटर)	भुगतान दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	भुगतान की गयी धनराशि (₹ में)	भुगतान की जाने वाली दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	भुगतान की जाने वाली धनराशि (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)	टिप्पणियाँ
1	2	3	4 (कॉलम 2 * कॉलम 3)	5	6 (कॉलम 2 * कॉलम 5)	7 (कॉलम 4 - कॉलम 6)	8
बन्द टिम्बरिंग 0 से 3.0 मी0 गहराई में	68661.054	482	33094628	170	11672379	21422249	अनुबन्ध के अनुसार बंद टिम्बरिंग 3 से 6.0 मी0 गहराई की दर ₹ 170 प्रति वर्ग मीटर थी इसलिए बंद टिम्बरिंग 0 से 3.0 मी0 गहराई की दर 3.0 से 6.0 मी0 गहराई के लिए भुगतान की जाने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती है।
बन्द टिम्बरिंग ट्रैच में छूटी हुई 3 से 6.0 मी0 गहराई में प्रयुक्त टिम्बरिंग के साथ	1934.774	1981	3832787	910	1760644	2072143	अनुबन्ध के अनुसार बंद टिम्बरिंग >6 मी0 गहराई की दर ₹ 910 प्रति वर्ग मीटर है, अतः 3.0 से 6.0 मीटर गहराई के लिये बंद टिम्बरिंग >6 मी0 गहराई के लिए भुगतान की जाने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती है।
बन्द टिम्बरिंग ट्रैच में छूटी हुई 0 से 3.0 मी0 गहराई में प्रयुक्त टिम्बरिंग के साथ	2626.651	1206	3167741	910	2390252	777489	अनुबन्ध के अनुसार बंद टिम्बरिंग >6 मी0 गहराई की दर ₹ 910 प्रति वर्ग मीटर थी, अतः 0 से 3.0 मी0 गहराई के लिये बन्द टिम्बरिंग की दर >6 मी0 गहराई के लिये भुगतान की जाने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती है।
योग			40095156		15823275	24271881	
घटाया 0.20 प्रतिशत की छूट के बाद ठेकेदार की दर						48544	
शुद्ध अधिक भुगतान						24223337	

परिशिष्टि—5.4

(प्रस्तर 5.7 में सन्दर्भित)

अतिरिक्त मदों में नई लकड़ी के प्रयोग पर अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	निष्पादित मात्रा (वर्ग मीटर)	भुगतान की नई दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	राशि भुगतान की गई (₹ में)	देय भुगतान दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	देय धनराशि (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4 (कॉलम 2 * कॉलम 3)	5	6 (कॉलम 2 * कॉलम 5)	7 (कॉलम 4 – कॉलम 6)	8
बन्द टिम्बरिंग ट्रैच छूटी हुई 0 से 3.0 मी0 गहराई में उपयोग की गई टिम्बरिंग के साथ	5308.799	2975	15793677	910	4831007	10962670	अनुबन्ध के अनुसार बंद टिम्बरिंग >6 मी0 गहराई की दर ₹ 910 प्रति वर्ग मीटर थी, अतः 0 से 3.0 मी0 गहराई के लिए बन्द टिम्बरिंग की दरें >6 मी0 गहराई के लिये भुगतान की जाने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती है।
बन्द टिम्बरिंग 3 से 6.0 मी0 गहराई में ट्रैच में छूटी हुई – उपयोग की गई टिम्बरिंग के साथ	1939.411	3690	7156427	910	1764864	5391563	अनुबन्ध के अनुसार बंद टिम्बरिंग >6 मी0 गहराई की दर ₹ 910 प्रति वर्ग मीटर थी, अतः 3.0 से 6.0 मी0 गहराई के लिए बन्द टिम्बरिंग की दर >6 मीटर गहराई के लिये भुगतान की जाने वाली दर से अधिक नहीं हो सकती है।
योग			22950104		6595871	16354233	
घटाया 0.20 प्रतिशत की छूट के बाद ठेकेदार की दर					32708		
शुद्ध अधिक भुगतान					16321525		

परिशिष्ट-7.1

(प्रस्तर 7.1.1 में सन्दर्भित)

हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क न लगाने के कारण हानि
को दर्शाता हुआ विवरण

अ. उप्पल चड्ढा हाई-टेक टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड					
क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अगस्त 2010 से 27 सितम्बर 2011 तक और 2013 के दौरान प्रभावी डी0एम0 सर्कल दर (₹ प्रति एकड़)	गुणांक ¹⁴ (0.65*0.50) = 0.325	कुल भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क (₹ में)
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 3 * कॉलम 4 * कॉलम 5)
(i) 19.10.2010 के ले-आउट के अनुसार					
1	महरौली	202.978	10000000	0.325	659678500
2	सादिकपुर काजीपुर	154.716	4000000	0.325	201130800
3	नायफल	367.779	4000000	0.325	478112700
4	कचैहरा वारसाबाद	13.363	3238866	0.325	14066314
5	दुरयाई	401.283	3441296	0.325	448803414
6	डासना	17.455	10000000	0.325	56728750
7	बयाना	343.889	2500000	0.325	279409813
8	शाहपुर बम्हेटा	142.545	8000000	0.325	370617000
योग		1644.008			2508547291
(ii) 27.09.2011 के ले-आउट के अनुसार					
1	महरौली	3.687	10000000	0.325	11982750
2	कचैहरा वारसाबाद	476.835	3238866	0.325	501931518
3	दुरयाई	353.393	3441296	0.325	395242223
4	दुजाना	280.502	3238866	0.325	295265227
5	तालबपुर हाथीपुर	87.164	3441296	0.325	97486065
6	गिरधरपुर सुनारसी	66.106	3441296	0.325	73934352
योग		1267.687			1375842135
(iii) 07.10.2013 के ले-आउट के अनुसार					
1	सादतनगर इकला	7.083	7085020	0.325	16309539
2	कचैहरा वारसाबाद	37.16	5263158	0.325	63563159
3	दुजाना	14.3	5263158	0.325	24460527
4	तालबपुर हाथीपुर	14.79	5060729	0.325	24325659
योग		73.333			128658884
योग-अ { (i)+(ii)+(iii)}		2985.028			4013048310

¹⁴ शुद्ध क्षेत्रफल {कुल क्षेत्रफल – (हरित पट्टी+सड़क)} x कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित करने हेतु गुणांक अर्थात् 50 प्रतिशत।

ब. सनसिटी हाई-टेक इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड					
(iv) 12.07.2011 के ले—आउट के अनुसार					
क्र०सं०	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावी डी०एम० सर्कल दर 2011 (₹ प्रति एकड़)	गुणांक ¹⁵ (0.59*0.50) = 0.295	कुल भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क (₹ में)
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 3* कॉलम 4* कॉलम 5)
1	डासना	507.457	10000000	0.295	1496998150
2	नायफल	89.142	4000000	0.295	105187560
3	बयाना	94.056	2500000	0.295	69366300
4	सादतनगर इकला	27.284	5000000	0.295	40243900
योग		717.939			1711795910
योग—ब		717.939			1711795910
महायोग — अ+ब		3702.967			5724844220

¹⁵ शुद्ध क्षेत्रफल {कुल क्षेत्रफल – (हरित पट्टी+सड़कें)} x कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित करने हेतु गुणांक अर्थात् 50 प्रतिशत।

परिशिष्ट-7.2

(प्रस्तर 7.1.2 में सन्दर्भित)

उप्पल चड्ढा हाई-टेक टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क न लगाने को दर्शाता हुआ विवरण

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जुलाई 2011 में डी0पी0आर0 के अनुमोदन के समय भूमि का डी0एम0 सर्कल दर (₹ लाख में प्रति हेक्टेयर)	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2011 ¹⁶ में डी0पी0आर0 अनुमोदन के समय गणना की गयी (₹ लाख में)	अक्टूबर 2013 में संशोधित डी0पी0आर0 के अनुमोदन के समय भूमि की प्रभावी डी0एम0 सर्कल दर (₹ लाख में प्रति हेक्टेयर)	अक्टूबर 2013 ¹⁷ में संशोधित डी0पी0आर0 के अनुमोदन के समय प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुजाना	530.70	214.77	80.00	5379.56	130.00	335.04
2	कचैहरा वारसाबाद	222.17	89.91	80.00	2252.07	130.00	140.26
3	तालबपुर हाथीपुर	13.26	5.37	85.00	142.91	125.00	8.06
4	तालबपुर हाथीपुर	63.62	25.75	85.00	685.30	125.00	38.63
5	सादतनगर इकला	189.47	76.68	123.55	2966.25	175.00	161.03
योग		1019.22	412.48		11426.09		683.02

¹⁶ डी0पी0आर0 दिनांक 12.07.2011 के अनुसार (क्षेत्रफल X 0.6262 X 0.5 X दर)।

¹⁷ गुणांक के अन्तर पर संशोधित डी0पी0आर0 के अनुसार {क्षेत्रफल X 0.024 (0.6502-0.6262) X 0.5 X दर}।

परिशिष्ट—7.3

(प्रस्तर 7.1.3 में सन्दर्भित)

उप्पल चड्ढा हाई—टेक टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से नगरीय विकास शुल्क का संशोधन एवं वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं ⁰	ले—आउट के अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित ले—आउट का कुल क्षेत्रफल	1500 एकड़ ¹⁸ से ऊपर ले—आउट का वृद्धिशील क्षेत्रफल (एकड़ में)	नगरीय विकास शुल्क ¹⁹ हेतु क्षेत्रफल (एकड़ में)	लागू लागत सूचकांक	नगरीय विकास शुल्क की दर प्रति एकड़ ²⁰	वसूली ²¹ योग्य नगरीय विकास शुल्क की दर प्रति एकड़	कम लगाये गये नगरीय विकास शुल्क की धनराशि
1	2	3	4	5=4*0.65024	6	7	8	9 = (8 * 4)
1	19.10.2010	1671.08	171.08	111.24	136	3.58	0.58	64.52
2	21.10.2011	2911.70	1240.62	806.70	151	3.97	0.97	782.50
3	20.09.2013	4004.25	1092.55	710.42	170	4.47	1.47	1044.32
योग				1628.36				1891.34

¹⁸ विकासकर्ता का मूल अनुमोदित क्षेत्रफल 1500 एकड़ था। अप्रैल 2010 में, उ0प्र0 सरकार ने ऐसे विकासकर्ताओं के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल पर नगरीय विकास शुल्क न लगाने का निर्णय लिया जिन्हें नीति 2003 के अन्तर्गत चुना गया था तथा समझौता ज्ञापन का निष्पादन 2005 में किया गया था।

¹⁹ उ0प्र0 सरकार के आदेश अप्रैल 2010 के अनुसार हरित एवं सड़क क्षेत्र गुणांक घटाने के पश्चात्।

²⁰ लागत सूचकांक को 114 पर (अगस्त 2008 में) ध्यान में रखते हुए ₹ 3.00 लाख के लिए।

²¹ ₹ 3.00 लाख प्रति एकड़ की दर से पहले ही वसूले जा चुके नगरीय विकास शुल्क को घटाने के बाद।

परिशिष्ट-7.4

(प्रस्तर 7.3.1 में सन्दर्भित)

अनुमन्य एफएआर के अनुसार समूह आवास भूखण्ड के आरक्षित मूल्य को सही से निर्धारित न करने के कारण हुई हानि को दर्शाता विवरण

योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	नीलामी की तिथि	लागू क्षेत्र दरें (₹ प्रति वर्ग मीटर)	अनुमन्य मूल एफएआर	तय आरक्षित मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर)	तय किया जाने वाला आरक्षित मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर)	अन्तिम नीलामी मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर)	अन्तर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	प्राधिकरण को हानि (₹ में)
1	2	2	4	5	6 (कॉलम 4*1.5)	7 (कॉलम 4* कॉलम 5)	8	9 (कॉलम 7 - कॉलम 6)	10 (कॉलम 2 * कॉलम 9)
कर्पूरीपुरम	12620.00	18.12.2014	22000	2.0	33000	44000	34400	9600	121152000
वैशाली	7766.00	18.12.2014	50000	2.5	75000	125000	77000	48000	372768000
गोविन्दपुरम	14675.00	23.08.2012	20000	2.0	30000	40000	35600	4400	64570000
इन्द्रापुरम	2811.88	08.02.2011	15000	2.5	22500	37500	30670	6830	19205140
कोशान्बी	3136.00	13.12.2010	16000	2.5	24000	40000	25500	14500	45472000
इन्द्रापुरम	12148.92	18.11.2010	15000	2.5	22500	37500	30570	6930	84192015
योग									707359155

परिशोधि-7.5

(प्रस्तर 7.3.2 में सन्दर्भित)

कार्नर सम्पत्तियों की नीलामी के आरक्षित मूल्य में कार्नर शुल्क न शामिल करने से हुई हानि का विवरण

क्रं सं	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	नीलामी की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आरक्षित मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर)	निर्धारित किये जाने वाले आरक्षित मूल्य (10 प्रतिशत की दर से कार्नर शुल्क सहित) (₹ प्रति वर्ग मीटर)	वास्तविक नीलामी दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	निर्धारित किये जाने वाले आरक्षित मूल्य एवं वास्तविक नीलामी मूल्य का अन्तर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	कार्नर शुल्क न लगाये जाने के कारण हुई हानि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 6 * 1.10)	8	9 (कॉलम 7 - कॉलम 8)	10 (कॉलम 9* कॉलम 5)
1	वैशाली	जीएच-18ए	18.12.14	7766.00	75000.00	82500.00	77000.00	5500.00	42713000
2	कर्पूरीपुरम	एमएल-1	18.12.14	12620.00	33000.00	36300.00	34400.00	1900.00	23978000
3	तुलसी निकेतन*	-	17.08.13	1252.05	11000.00	12100.00	11500.00	600.00	751230
4	नेहरु विकास मीनार जी0टी0 रोड पर^	-	12.07.06	45936.00	14000.00	15400.00	14530.00	870.00	39964320
योग									107406550

* बिक्री विवरणिका के अनुसार 1331.33 वर्ग मीटर क्षेत्र तुलसी निकेतन योजना में नीलामी के लिए उपलब्ध था जबकि वास्तविक माप में 1252.05 वर्ग मीटर मापा गया।

^ बिक्री विवरणिका के अनुसार जी0टी0 रोड पर स्थित नेहरु विकास मीनार वाणिज्यिक परिसर नीलामी के लिए उपलब्ध था। हालाँकि, लागत दिशानिर्देशों के अनुसार कार्नर शुल्क केवल भूखण्ड क्षेत्रफल 45936.00 वर्ग मीटर (लगभग) पर आगणित किया गया।

परिशिष्ट-7.6

{प्रस्तर 7.3.3(i) में सन्दर्भित}

अवस्थापना अधिभार को आरोपित एवं वसूल नहीं करने के कारण हुई हानि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	नीलामी की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अन्तिम नीलामी दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	भूखण्ड का मूल्य (₹ में)	भूखण्ड के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अवस्थापना अधिभार की धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 5* कॉलम 6)	8 (कॉलम 7*10 प्रतिशत)
(अ) बोर्ड के निर्णय (अक्टूबर 2014) के बाद जून 2018 तक नीलाम किये गये भूखण्ड							
1	प्रताप विहार	पी ब्लॉक कनीनिएन्ट शॉपिंग प्लॉट	22.10.2016	3212.22	38500	123670470	12367047
2	इन्द्रापुरम	स्कूल प्लॉट शक्ति खण्ड-4	11.08.2016	5269	50500	266084500	26608450
3	वैशाली	जीएच-1 (18ए)	18.12.2014	7768	77000	598136000	59813600
4	कोयल इन्क्लेव	जीएच-7ए	18.12.2014	6400	28551	182726400	18272640
5	कर्पूरीपुरम	एमएल-01	18.12.2014	12620	34400	434128000	43412800
6	कोयल इन्क्लेव	जीएच-3ए	22.11.2014	5250	28525	149756250	14975625
योग (अ)						1754501620	175450162
(ब) बोर्ड के निर्णय (अक्टूबर 2014) के पहले नीलाम किये गये भूखण्ड							
7	इन्द्रप्रस्थ डी ब्लॉक	4	23.08.2012	4500	18000	81000000	8100000
8	गोविंदपुरम	सीपी 1/ए	23.08.2012	14675	35600	522430000	52243000
9	गोविंदपुरम	सीपी 1/बी	23.08.2012	5273.22	42000	221475240	22147524
10	इन्द्रापुरम विस्तार	जीएच-2	24.12.2011	17507.095	40050	701159155	70115915
11	इन्द्रापुरम विस्तार	जीएच-3	23.12.2011	16350	40050	654817500	65481750
12	वैशाली	आरसी-1/2	20.10.2011	24462	40300	985818600	98581860
13	इन्द्रापुरम विस्तार	जीएच-1	25.05.2011	7607	30750	233915250	23391525
14	कौशाम्बी	जीएच प्लॉट निकट नीलम कॉपरेटिव आवास समिति	20.12.2010	3136	25500	79968000	7996800
15	कौशाम्बी	कर्मशियल प्लॉट नं० 1	29.06.2010	598.71	104250	62415518	6241551
16	जीटी रोड	नेहरू विकास मीनार	12.07.2006	45936	14529.77	667439515	66743951
योग (ब)						4210438777	421043876
कुल योग (अ)+(ब)						5964940397	596494038

परिशोधि-7.7

{प्रस्तर 7.3.3 (ii) में सन्दर्भित}

अवस्थापना अधिभार को आरोपित नहीं करने के कारण हुई हानि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र0 स0	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या/प्रकार	नीलामी/लॉटरी की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अन्तिम नीलामी दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	भूखण्ड का मूल्य (₹ में)	भूखण्ड के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अवस्थापना अधिभार की धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 5 * कॉलम 6)	8 (कॉलम 7 * 10 प्रतिशत)
1	डॉ राम मनोहर लोहिया नगर योजना, पॉकेट-डी	डीसी-04 /वाणिज्यिक	31.01.2017	1041	27150	28263150	2826315
2	रक्षापुरम योजना सेक्टर-1	आर-01 /आवासीय	21.09.2016	300	21350	6405000	640500
3	स्पोर्टस गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) योजना, पॉकेट-ए	पीसी-01 /वाणिज्यिक	28.06.2016	420	25250	10605000	1060500
4	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-05 /आवासीय	22.06.2016	200	26850	5370000	537000
5	स्पोर्टस गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) योजना, पॉकेट-ए	पीसी-03 /वाणिज्यिक	21.06.2016	420	25000	10500000	1050000
6	स्पोर्टस गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) योजना, पॉकेट-ए	पीसी-02 /वाणिज्यिक	24.05.2016	420	25100	10542000	1054200
7	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	सी-01 /वाणिज्यिक	24.05.2016	325.42	28100	9144302	914430
8	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-01 /आवासीय	17.05.2016	200	24700	4940000	494000
9	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-04 /आवासीय	17.05.2016	200	22500	4500000	450000

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र0 सं0	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या/प्रकार	नीलामी/लॉटरी की तिथि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अन्तिम नीलामी दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	भूखण्ड का मूल्य (₹ में)	भूखण्ड के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अवस्थापना अधिभार की धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 5 * कॉलम 6)	8 (कॉलम 7 * 10 प्रतिशत)
10	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-03/आवासीय	17.05.2016	200	20901	4180200	418020
11	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-02/आवासीय	17.05.2016	200	22500	4500000	450000
12	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-06/आवासीय	17.05.2016	200	27200	5440000	544000
13	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	बीपी-07/आवासीय	17.05.2016	200	28600	5720000	572000
14	श्रद्धा पुरी फेस-II, पॉकेट-डी	सी-02/वाणिज्यिक	16.05.2016	405	28200	11421000	1142100
15	स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स (मेजर ध्यानचंद नगर) योजना, पॉकेट-ए	पीसी-04/वाणिज्यिक	16.05.2016	420	25100	10542000	1054200
16	डॉ राम मनोहर लोहिया नगर योजना, पॉकेट-ई	ईएस-25/वाणिज्यिक	26.04.2016	253.88	23900	6067732	606773
17	पल्लवपुरम योजना	सी-24/वाणिज्यिक	09.06.2015	200	23250	4650000	465000
योग				5611.30		142790384	14279038

परिशोधि-7.8

{प्रस्तर 7.3.3 (iii) में सन्दर्भित}

वाणिज्यिक भूखण्डों की विक्री पर अवस्थापना अधिभार आरोपित न किये जाने को दर्शाता हुआ विवरण

क्र0 सं0	भूखण्ड संख्या एवं योजना का नाम	नीलामी की तिथि	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	नीलामी की दर (प्रति वर्ग मीटर)	भूखण्ड का मूल्य (₹ में)	भूखण्ड के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अवस्थापना अधिभार की धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 4 * कॉलम 5)	7 (कॉलम 6 * 10 प्रतिशत)
1	सीपी-2, वास्तु खण्ड, गोमती नगर योजना	04.05.2016	1010.00	48000.00	48480000.00	4848000.00
2	1/41, वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार योजना	04.05.2016	1490.00	50000.00	74500000.00	7450000.00
3	4/17, बसन्त खण्ड, गोमती नगर विस्तार योजना	04.05.2016	5103.84	47142.00	240605225.28	24060522.53
4	सी.पी.-228, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना	20.07.2016	447.90	60700.00	27187530.00	2718753.00
5	सीपी-47-ए, सीतापुर रोड योजना	20.07.2016	600.00	40000.00	24000000.00	2400000.00
6	सीपी-225, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना	20.07.2016	447.90	51895.00	23243770.50	2324377.05
7	सीपी-16, सेक्टर डी-1, कानपुर रोड योजना	20.07.2016	478.50	30000.00	14355000.00	1435500.00
8	के.वी.सी.-30, कानपुर रोड योजना	06.10.2016	726.00	31500.00	22869000.00	2286900.00
9	सी-7, कानपुर रोड योजना	06.10.2016	864.00	36005.00	31108320.00	3110832.00
10	टीसी-49-V-XVII, विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना	06.10.2016	1159.00	80250.00	93009750.00	9300975.00
11	4/31-सी, बसन्त खण्ड सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार योजना	09.01.2018	2326.50	41200.00	95851800.00	9585180.00
12	सीपी-222, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना	09.01.2018	447.90	54000.00	24186600.00	2418660.00
13	4/4, बसन्त खण्ड, गोमती नगर विस्तार योजना	11.04.2018	4843.04	46188.94	223694907.00	22369490.70
योग					943091902.78	94309190.28

परिशिष्ट-7.9

(प्रस्तर 7.6 में सन्दर्भित)

ठेकेदार पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की धनराशि आरोपित न किये जाने को दर्शाता हुआ विवरण

क्र० सं०	ठेकेदार	कार्य आदेश के अनुसार कुल आपूर्ति की जान वाली एसपीपी	कार्य आदेश जारी होने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि / कार्य पूर्ण करने की विस्तारित तिथि	आपूर्ति न की गयी एसपीपी	आपूर्ति न की गयी एसपीपी की धनराशि (₹ में)	अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि	अनुबन्ध के पूर्ण होने की विस्तारित तिथि से अनुबन्ध की समाप्ति तिथि तक कालातीत समय (सप्ताह में)	आरोपित की जाने वाली परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का प्रतिशत (प्रति सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग के लिए एक प्रतिशत अधिकतम 10 प्रतिशत तक)	आरोपित की जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 (कॉलम 6 * ₹ 26,200)	8	9 (कॉलम 8 – कॉलम 5) / 7	10	11 (कॉलम 7 * कॉलम 10) / 100
1	फर्म अ	37980	12.02.2016	11.06.2016/ 20.07.2016	3413	89420600	23.11.2016	13.43	10	8942060
					666	17449200	24.08.2016 ²²	0.43	1	174492
उप-योग (अ)		37980			4079	106869800				9116552
2	फर्म ब	9565	12.02.2016	11.06.2016/ 20.07.2016	5269	138047800	19.09.2016	4.14	5	6902390
					948	24837600	30.08.2016	1.29	2	496752
उप-योग (ब)		9565			6217	162885400				7399142
3	फर्म स	8723	12.02.2016	11.06.2016/ 20.07.2016	2812	73674400	26.08.2016	0.71	1	736744
उप-योग (स)		8723			2812	73674400				736744
कुल योग (अ+ब+स)		56268			13108	343429600				17252438

²² यूपीएनईडीए द्वारा अनुबन्ध को समाप्त करने की स्वीकृति की तिथि।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एजीयूपी.एनआईसी.इन